लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[तृतीय माला
Third Series]

[खंड 42, 1965/1887 (शक)
Volume, XLII, 1965/1887 (Saka)]

[20 अप्रैल से 1 मई, 1965 तक/30 चैत्र से 11 वशाख, 1887 (शक)तक
April 20 to May 1, 1965/Chaitra 30 to Vaisakha 11, 1887 (Saka)]

ग्यारहवां सत्र 1965/1886-87 (शक)
Eleventh Session, 1965/1886-87 (Saka)

[खंड 42 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XLII contains Nos. 41—50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची

अंक 49—शुक्रवार 30 अप्रैल, 1965/10 वैशाख, 1887 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1097.	ऊन का रक्षित भण्डार	4635—37
1098.	उद्योगों में विदेशी सहयोग	4637—38
1100.	चाय वित्त समिति	4638—41
1101.	फ्रैंको-जर्मन स्टील कनसार्टियम	4641—43
1102.	सऊदी अरब को कपड़े का निर्यात	4644—45
1103.	हथकरघे और शक्तिचालित करघे	4645—50
1104.	हाल्ट स्टेशन	4650—51
1105.	सूती कपड़ा मिलें	4651—53
1106.	फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण	4653—56
1107.	रेलवे औद्योगिक यूनिट	4656—57
1108.	इस्पात की उत्पादन लागत	4657—58

अल्प सूचना

प्रश्न संख्या		
12.	राजहर लौह अयस्क खानों के श्रमिकों द्वारा हड़ताल	4659—60

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित

प्रश्न संख्या		
1099.	आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग	4660—61
1109.	बैल्लारी-हॉस्पेट और बेलाडिला लौह अयस्क	4661
1110.	कपड़े के दाम	4662
1111.	आसाम में रेलवे भूमि से शरणार्थियों का हटाया जाना	4662—63
1112.	कोयले का निर्यात	4663
1113.	निर्यात-ऋण गारंटी योजना	4664—65
1114.	घटिया किस्म का कोयला	4665
1115.	गन्ने की खोई से कागज बनाना	4665
1116.	आसाम के लिए सामान की बुकिंग	4665
1117.	बेलिंगटन में एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिए आर्थिक आयोग सम्मेलन	4666—67
1118.	कोयले के प्रयोग	4667

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 49—Friday, 30th April, 1965/Vaisakha 10, 1887 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
1097	Buffer Stock of Wool	4635—37
1098	Foreign Collaboration in Industries	4637-38
1100	Tea Finance Committee	4638—41
1101	France-German Steel Consortium	4641—43
1102	Export of Textiles to Saudi Arabia	4644-45
1103	Handlooms and Powerlooms	4645—50
1104	Halt Stations	4650-51
1105	Cotton Textile Mills	4651—53
1106	Notings on Files in Hindi	4653—56
1107	Railway Industrial Units	4656-57
1108	Production Cost of Steel	4657—58

Short Notice Question No.		
12	Strike by workers of Rajhara Iron Ore Mines	4659—60

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.		
1099	Misuse of Import Licences	4660—61
1109	Bellari Hospet and Bailadilla Iron Ore	4661
1110	Prices of Cloth	4662
1111	Eviction of Refugees from Railway Land in Assam	4662-63
1112	Export of Coal	4663
1113	Export Credit Guarantee Scheme	4664—65
1114	Low-Grade Coal	4665
1115	Manufacture of Paper from Bagasse	4665
1116	Booking of Goods to Assam	4665-66
1117	ECAFE Conference, Wellington	4666-67
1118	Use of Coal	4667

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
2824.	लघु उद्योग बोर्ड	4667–68
2825.	औद्योगिक प्रदर्शनियां	4668
2826.	उत्पादन-व-प्रशिक्षण केन्द्र	4668–69
2827.	मध्य प्रदेश में खतरे की जंजीर खींचने की घटनायें	4669
2828.	रेलवे मंत्रालय में हिन्दी जानने वाले कर्मचारी	4669
2829.	इलाहाबाद-फ़ैजाबाद लाइन पर नया स्टेशन	4669–70
2830.	स्टेशन यार्डों का पुर्ननिर्माण	4670
2831.	केरल में ऊपरी रेलवे पुल	4670–71
2832.	नारियल जटा बोर्ड	4671
2833.	दक्षिण रेलवे में सहकारी ऋण समितियां	4671
2834.	चमोली जिले का भूतत्वीय सर्वेक्षण	4672
2835.	ऊपर-नीचे दो बर्थ वाले डिब्बे	4672
2836.	सीमेन्ट में मिलावट	4672–73
2837.	प्रदर्शनियां	4673
2838.	रेलवे डिब्बों में शव	4674
2839.	गाड़ियों के लिए बिजली के उपकरण	4674–75
2840.	उत्तर प्रदेश में काग़ज मिल	4675
2841.	नागपुर-इटारसी पैसेन्जर गाड़ी	4675–76
2842.	हिमालय पर्वत	4676
2843.	चित्तरंजन लोकोमोटिव कारखाना	4676–77
2844.	मैंगनीज तथा लौह-अयस्क	4677–78
2845.	तीन पहिये वाली गाड़ियां	4678
2846.	काली मिर्च के निर्यात भाव	4678
2847.	हथकरघा बुनकर	4679
2848.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड	4680
2849.	उड़ीसा में औद्योगिक सहकारी समितियां	4680
2850.	मैंगनीज़ की खानों में उत्पादन	4680–81
2851.	यात्री सुविधायें	4681–82
2852.	दक्षिण-पूर्व रेलवे के स्टेशनों का विद्युतीकरण	4682
2853.	दुर्गापुर में प्रदर्शनी	4682
2854.	दुर्गापुर इस्पात कारखाना	4682–83
2855.	बोनाईगढ़ में कच्चे लोहे का कारखाना	4683
2856.	शिशिक्षु रेलगाड़ी परीक्षक	4683–84
2857.	सोने के तत्व वाले पत्थर	4684
2858.	चैकोस्लोवाकिया के साथ सहयोग	4684–85
2859.	बसोहली में चूने के पत्थर के निक्षेप	4685
2860.	गुजरात में रेल दुर्घटनायें	4685

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
2824	Small Scale Industries Boards	4667-68
2825	Industrial Exhibitions	4668
2826	Production-*cum*-Training Centres	4668-69
2827	Alaram Chain Pullings in Madhya Pradesh	4669
2828	Hindi knowing employees in Ministry of Railways	4669
2829	New Station on Allahabad-Faizabad Line	4669-70
2830	Remodelling of Station Yards	4670
2831	Railway Over-Bridges in Kerala	4670-71
2832	Coir Board	4671
2833	Cooperative Credit Societies on S. Rly.	4671
2834	Geological Survey of Chamoli District	4672
2835	Two Tier Coaches	4672
2836	Adulteration of Cement	4672-73
2837	Exhibitions	4673
2838	Dead Bodies in Railway Compartments	4674
2839	Electric Equipments for Trains	4674-75
2840	Paper Mill in U.P.	4675
2841	Nagpur-Itarsi Passenger Train	4675-76
2842	The Himalayas	4676
2843	Chittaranjan Locomotive Works	4676-77
2844	Manganese and Iron Ore	4677-78
2845	Three Wheeler vehicles	4678
2846	Export Prices of Black Pepper	4678
2847	Handloom Weavers	4679
2848	Hindustan Machine Tools Ltd.	4680
2849	Industrial Cooperative Societies in Orissa	4680
2850	Production in Manganese Mines	4680-81
2851	Passenger Amenities	4681-82
2852	Electrification of Stations of S.E. Railway	4682
2853	Exhibition at Durgapur	4682
2854	Durgapur Steel Plant	4682-83
2855	Pig Iron Plant at Bonaigarh	4683
2856	Apprentice Train Examiners	4683-84
2857	Stones with Gold Elements	4684
2858	Collaboration with Czechoslovakia	4684-85
2859	Limestone Deposits in Basohli	4685
2860	Rail Accidents in Gujarat	4685

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
2861.	रेलवे कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	4685–86
2862.	नेरोगेज हॉपुर टाइप वैगन	4686–87
2863.	रेलवे पारसल बुकिंग कार्यालय	4687–88
2864.	दोरनाकल और भद्राचलम रोड के बीच अतिरिक्त रेलगाड़ी	4688
2865.	भारी इंजीनियरी निगम, रांची	4688
2866.	किरीबुरु लौह अयस्क कारखाना	4689
2867.	समस्तीपुर से खगरिया तक बड़ी लाइन	4689
2868.	खंडवा-दोहद रेल लाइन	4689–90
2869.	बम्बई-हावड़ा जनता एक्सप्रेस गाड़ी	4690
2870.	आयात नीति	4690
2871.	मैसूर में औद्योगिक बस्तियां	4691
2872.	बॉयलरों का निर्माण	4691
2873.	ट्रैक्टरों का निर्माण	4691
2874.	विदेशी मुद्रा में भुगतान द्वारा कारों का आवंटन	4691–92
2875.	चुराये गये रेलवे सामान के तस्कर व्यापारी	4692
2876.	ट्रान्स-रिसीवरों का निर्माण	4692
2877.	पार्सल यातायात	4692–93
2878.	कोयम्बत्तूर में पड़ा हुआ धान	4693
2879.	बर्मा को चलचित्रों का निर्यात	4693
2880.	फिनलैंड से अखबारी कागज का आयात	4693
2881.	फिल्मों का निर्यात	4693
2882.	हिन्दी में आवेदन-पत्र	4693--95
2883.	रेलवे कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग	4695
2884.	हिन्दी में आवेदन-पत्र	4695–96
2885.	पूर्वोत्तर रेलवे पर गाड़ी में लूटने की घटना	4696
2886.	सीमेंट की चोरी	4696–97
2887.	विदेशी व्यापार संस्था	4697
2888.	कपड़े का निर्यात	4697
2889.	रामगढ़ कोयला खनन परियोजना	4697
2890.	नंगल डैम के रेलवे स्टेशन पर रेलवे की भूमि	4698
2891.	उपभोक्ता सहकारी समितियां	4698
2892.	समयोपरि भत्ता	4698–99
2893.	बोकारो इस्पात परियोजना	4699
2894.	सीमेंट निगमे	4699–4700
2895.	मद्रास तूतुक्कुडि छोटी लाइन	4700
2896.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	4700
2897.	कोयला बोर्ड का ईंधन मितव्ययिता एकक	4700–01

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
2861	Quarters for Railway Employees .	4685–86
2862	Narrow Gauge Hopper type wagons	4686–87
2863	Railway Parcel Booking Offices	4687–88
2864	Additional Train Between Dornakal and Bhadrachellam Road	4688
2865	Heavy Engineering Corporation, Ranchi.	4688
2866	Kiriburu Iron Ore Project	4689
2867	Broad Gauge line from Samastipur to Khagaria	4989
2868	Khandwa-Dohad Rail Line .	4689–90
2869	Bombay Howrah Janta Express Train .	4690
2870	Import Policy	4690
2871	Industrial Estates in Mysore .	4691
2872	Manufacture of Boilers . . .	4691
2873	Manufacture of Tractors	4691
2874	Allotment of Cars against Foreign Exchange .	4691–92
2875	Smugglers of stolen Railway Goods	4692
2876	Manufacture of Trans Receivers .	4692
2877	Parcel Traffic	4692–93
2878	Paddy lying at Coimbatore	4693
2879	Export of Films to Burma . .	4693
2880	Import of Newsprint from Finland	4693
2881	Export of Films . .	4693
2882	Applications in Hindi . .	4693–95
2883	Use of Hindi in Railway Offices .	4695
2884	Applications in Hindi . .	4695–96
2885	Train Robbery on N.E. Railway .	4696
2886	Cement Bags	4696–97
2887	Institute of Foreign Trade .	4697
2888	Export of Textiles . .	4697
2889	Ramgarh Coal Mining Project .	4697
2890	Railway Land at Nangal Dam Station .	4698
2891	Consumers Cooperative Societies .	4698
2892	Overtime Allowance . . .	4698–99
2893	Bokaro Steel Project . . .	4699
2894	Cement Corporation . . .	4699–4700
2895	Madras-Tuticorin M.G. Section . .	4700
2896	National Coal Development Corporation	4700
2897	Fuel Economy Unit of Coal Board	4700–01

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
2898.	कोयला सलाहकार परिषद् की बैठक	4701–02
2899.	कृषि वस्तुओं सम्बन्धी अध्ययन दल	4702–03
2900.	हिन्दी टाइपराइटर	4703
2901.	निर्यात के कनसार्टियम	4703–04
2902.	हकीमपुर के निकट एक मालगाड़ी का लूटा जाना	4704
2903.	आदिरूप (प्रोटोटाइप) निर्माण तथा प्रशिक्षण केन्द्र	4704–05
2904.	केरल में सूक्ष्म माप यन्त्रों का कारखाना	4705
2906.	वर्धा में इस्पात की ढली वस्तुयें बनाने का कारखाना	4705

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न) 4706

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

जंजीबार में भारतीयों तथा भारतीय उद्भव के लोगों की दशा—

श्री नाथपाई 4706

श्री दिनेश सिंह 4706

स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में—

कच्छ सीमा की स्थिति 4709

सभा पटल पर रखे गये पत्र 4717

प्राक्कलन समिति संबंधी विवरण—

सिफारिश पर की गई कार्यवाही 4717

याचिका समिति—

(एक) कार्यवाही सारांश 4717

(दो) तीसरा प्रतिवेदन 4718

लोक-लेखा समिति—

उन्तालीसवां प्रतिवेदन 4718

सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

तेरहवां प्रतिवेदन 4718

सभा का कार्य 4218

अनुदानों की मांगें 4724

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय 4724

श्री बृजराज सिंह—अकोटा 4724

श्री यशपाल सिंह 4725

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
2898	Coal Advisory Council Meeting . .	4701–02
2899	Study Group on Agricultural Commodities .	4702–03
2900	Hindi Typewriters . .	4703
2901	Consortia of Exports	4703–04
2902	Looting of a Goods Train near Hakimpur	4704
2903	Prototype Production-*cum*-Training Centre . .	4704–05
2904	Precision Instruments Plant in Kerala . . .	4705
2906	Steel Casting Plant at Wardha .	4705

Re : Calling Attention Notice (Query) . 4706

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance —

Plight of Indians and citizens of Indian origin in Zanzibar—

Shri Nath Pai . . . 4706
Shri Dinesh Singh . . . 5706

Re : Motions for Adjournment and Calling Attention Notices—

Situation on Kutch Border 4709

Papers laid on the Table . . . 4717

Statement re : Estimates Committee—

Action taken on recommendation . . 4717

Committee on Petitions—

(i) Minutes 4717
(ii) Third Report 4718

Public Accounts Committee—

Thirty-ninth Report 4718

Committee on Absence of Members—

Thirteenth Report 4718

Business of the House 4718

Demands for Grants 4724

Ministry of Food and Agriculture 4724
Shri Brij Raj Singh—Kotah 4724
Shri Yashpal Singh 4725

अनुदानों की मांगें—जारी	विषय	पृष्ठ
	श्री वि० सिंह चौधरी	4726–27
	श्री जसवंत मेहता	4727
	श्री बालकृष्ण सिंह	4727–28
	श्री शिव नारायण	4728
	श्री विश्वनाथ पाण्डेय	4729
	श्री राम सहाय पाण्डेय	4729–30
	श्री टि० सुब्रह्मण्यम	4730
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—		
	पैंसठवां प्रतिवेदन	47 35
विधेयक पुर:स्थापित—		
	(1) संविधान (संशोधन) विधेयक (आठवीं अनूसूची का संशोधन) [डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी का]	47 36
	(2) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 80 का हटाया जाना) [श्री नाथपाई का]	47 36
	(3) आयकर (संशोधन) विधेयक (धारा 36 का संशोधन) [डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी का]	4737
	(4) संसद् सदस्यों को पेंशन की अदायगी विधेयक [श्री हेम राज का]	47 37
	(5) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 356 का संशोधन) [श्री हरि विष्णु कामत का]	4737
	(6) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 309 का हटाया जाना) [श्री हरि विष्णु कामत का]	4738
विधान परिषद में (गठन) विधेयक, [श्री श्रीनारायण दास]		47 38
प्रवर समिति को सौंपने के लिए प्रस्ताव		
	श्री श्री नारायण दास	4740–41
	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	47 41
	श्री ओझा	47 41
	श्री यशपाल सिंह	4742
	श्री सिंहासन सिंह	4742–43
	श्री हेडा	47 43
	श्री कृ० ल० मोरे	47 44
	श्री गौरी शंकर कक्कड़	4744–45
	श्री दी० चं० शर्मा	47 45–46
	श्री रंगा	4746
	श्री श्यामलाल सर्राफ	47 46–47
	श्री ओंकार लाल बेरवा	47 47

DEMANDS FOR GRANTS—*contd.*

Subject	PAGES
Shri D.S. Chaudhuri	4726-27
Shri Jasvant Mehta	4727
Shri Balkrishna Singh	4727-28
Shri Sheo Narain	4728
Shri Vishwa Nath Pandey	4729
Shri R.S. Pandey	4729-30
Shri C. Subramaniam	4730

Committee on Private Members' Bills and Resolutions—

Sixty-fifth Report . 4735

Bills introduced—

(1) The Constitution (Amendment) Bill (*Amendment of the Eigth Schedule*) by Dr. L.M. Singhvi 4736

(2) The Code of Civil Procedure (Amendment) Bill, (*Omission of section* 80) by Shri Nath Pai 4736

(3) The Income-tax (Amendment) Bill (*Amendment of section* 36) by Dr. L.M. Singhvi 4737

(4) The Payment of Pensions to Members of Parliament Bill by Shri Hem Raj 4737

(5) The Constitution (Amendment) Bill (*Amendment of article* 356) by Shri Hari Vishnu Kamath 4737

(6) The Indian Penal Code (Amendment) Bill *Omission of section* 309) by Shri Hari Vishnu Kamath 4738

Legislative Councils (Composition) Bill by Shri Shree Narayan Das 4738

Motion to refer to Select Committee . . . . .

Shri Shree Narayan Das 4740-41

Dr. L.M. Singhvi 4741

Shri Oza 4741

Shri Yashpal Singh . . 4742

Shri Sinhasan Singh 4742-43

Shri Heda . 4743

Shri K.L. More 4744

Shri Gauri Shankar Kakkar . . 4744-45

Shri D.C. Sharma . 4745-46

Shri Ranga . . . 4746

Shri Sham Lal Saraf . . . 4746-47

Shri Onkar Lal Berwa . 4747

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 30 अप्रैल, 1965 / 10 वैशाख, 1887 (शक)
Friday, April 30, 1965/Vaisakha 10, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ऊन का रक्षित भंडार

+

*1037. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ऊन का रक्षित भण्डार बनाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

भारतीय ऊनी वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण की समस्या का अध्ययन करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय ऊन सचिवालय द्वारा नियुक्त किये गये एक विशेषज्ञ दल ने एक यह सिफारिश भी की थी कि आयातित कच्ची ऊन का एक आवर्तक भण्डार बनाया जाय जिसमें से निर्माता-गण अपने निर्यात आर्डरों के आधार पर न्यूनतम विलम्ब और औपचारिकता के साथ ऊन ले सकें। निर्यातकों की आवश्यकताएं आवर्तक भण्डार से पूरी कर दी जाया करेंगी और निर्यातक

निर्यात संवर्द्धन योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले अपने वस्त्रों के निर्यातों द्वारा होने वाले निर्यात उपार्जनों से आवर्तक भण्डार की निरन्तर पूर्ति करते रहेंगे। सरकार ने सिद्धांत रूप में सिफारिश स्वीकार कर ली है और विदेशी मुद्रा खर्च किये बिना आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड से आवर्तक भण्डार के लिए प्रारम्भिक माल का सम्भरण किये जाने की सम्भावनाओं की जांच-पड़ताल कर रहे हैं।

Shri Bibhuti Mishra : The statement does not give the complete picture. I want to know the quantity of wool produced within the country, the quantity proposed to be imported to meet the shortage and our total requirement of wool.

Shri Manubhai Shah : 60,000,000 lbs. of wool is produced in our country annually, but that wool cannot be used in the manufacture of woollen clothes and therefore we have to import about 19,000,000 lbs. of wool from abroad. Recently I had gone to Australia and had a talk with that Government. I hope Australia will give us 5-6 million lbs. of wool on rupee payment and we shall not have to give foreign exchange. Talks have also been held with the New Zealand Government and they will also give us 2 million lbs. of wool.

Shri Bibhuti Mishra : From the statement it appears that woollen manufacture equivalent to the value of wool imports will be exported. How much shall we gain by this deal and in what form ?

Shri Manubhai Shah ; We shall be importing raw wool and exporting hosiery goods and woollen clothes and we shall be gaining much.

Shri Bibhuti Mishra : Tell the amount.

Shri Manubhai Shah : It is difficult to tell the amount now. How much wool will be imported, how much cloth will be manufactured out of that and how much shall be exported and the profit all these details can be given only later on, but this much is certain that we shall be earning heavy profits.

Shri K. N. Tiwari : Who will run this revolving pool and how much money will be invested in it?

Shri Manubhai Shah : About 5 crores of rupees will be invested in the pool and both the countries will contribute towards that. This pool will be run by the Government and its use will be made in consultation with Indian Mills Association and Hosiery Manufacturers' Association.

Shri Sheo Narayan : The wool which we are importing from Australia, do we not have it in Kashmir ?

Shri Manubhai Shah : No, Sir.

श्री श्याम लाल सर्राफ : अब चूंकि हम ऊन का निर्यात कर रहे हैं और उसे देश में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह पता लगाने के लिए कोई प्रयत्न किया गया है कि क्या उस ऊन को गरम कपड़ा और अन्य वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है।

श्री मनुभाई शाह : अक्तूबर 1962 में आयात काल में बड़ी ही मजबूरी में, जबकि हमें सेना के लिए स्वदेशी ऊन को प्रयोग में लाने के सभी साधनों को जुटाना पड़ा था, 650 लाख पाऊंड में से लगभग 30 लाख पाउंड प्रयोग में ला सके थे जोकि अब तक के लिए सब से बड़ी मात्रा है। परन्तु 100 प्रतिशत स्वदेशी ऊन से कोई कपड़ा या वस्तु या हौज़री संतोषजनक ढंग से नहीं बनाया जा सकता है। अब हम 20 से 30 प्रतिशत तक स्वदेशी ऊन मिला कर ऊनी वस्तुएं बना रहे हैं। अर्थात्, 30 प्रतिशत देशी ऊन के साथ 70 प्रतिशत विदेशी ऊन मिला रहे हैं। उस सीमा तक हम 30 से 40 लाख पाउंड भारतीय ऊन मिलाने के योग्य हो सके हैं। अब भी हमें 190 से 200 लाख पाउंड तक विदेशी ऊन आयात करनी पड़ती है

Shri Jagdev Singh Siddhanti : What amount Government is spending in hilly areas and Rajasthan for the development of sheep-rearing and what is the quantity of wool produced ?

Shri Manubhai Shah : I have told that the total wool produced in the country is 65 million lbs. The Ministry of Food and Agriculture spends about 3·5 crores of rupees in five years on the development of sheep-rearing.

उद्योगों में विदेशी सहयोग

\+

*1098. **श्री कपूर सिंह :**
श्री प्र० के० देव :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जनवरी, 1965 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित राष्ट्रीय अनुसन्धान प्रयोगशालाओं के निदेशक के इस सुझाव की ओर दिलाया गया है कि विदेशी सहयोग से तब तक कोई नया उद्योग शुरू नहीं किया जाना चाहिये जब तक यह पूर्व निश्चय न कर लिया जाये कि जिस क्रियाविधि के लिए विदेशी सहायता की मांग की जा रही है उसका विकास देश में नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) सरकार देश में उपलब्ध ज्ञान और क्रियाविधि का जहां तक व्यवहारिक हो सके, अधिकाधिक उपयोग किये जाने की आवश्यकता के बारे में पूरी तरह जागरूक है। इसी

उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक लाइसेंस दिये जाने के बारे में आवेदन-पत्रों और विदेशी सहयोग की शर्तें स्वीकार करने के आवेदनपत्रों पर भी विचार करने के लिए जो अन्तः मंत्रालय समिति बनाई गई है उसमें वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् का एक प्रतिनिधि भी सदस्य के रूप में सम्बद्ध किया गया है ।

श्री कपूर सिंह : क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि भविष्य में हमारा विदेशी सहयोग केवल तकनीकी जानकारी पर ही आधारित हो न कि विनियोजन पर ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र: वास्तव में जहां पर स्वदेशी तकनीकी जानकारी वाणिज्यिक रूप से प्राप्त नहीं हो रही है वहां पर इसे प्रयोग में लाया जा रहा है । इसलिये किसी प्रस्ताव का प्रश्न नहीं है ।

श्री दाजी : माननीय मंत्री का उत्तर सही नहीं है । क्या हम यह समझें कि यह सरकार का निर्णय है कि यदि तकनीकी जानकारी पहले से मौजूद है तो किसी विदेशी सहयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : ऐसा नहीं है । बात ऐसी है कि कुछ मामलों में तकनीकी ज्ञान मौजूद है, परन्तु जहां तक उद्योगपतियों का सम्बन्ध है वे तब तक विदेशी तकनीकी ज्ञान को नहीं लेते जब तक यह वाणिज्यिक दृष्टि से मिलना बन्द न हो जाये । परिणामों का पता नहीं है और इसके लिये उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता। जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का सम्बन्ध है एक या दो मामलों में अन्तिम संयंत्र स्थापित कर के अधिक लागत पर भी हम इसके वाणिज्यिक पहलू को प्रयोग में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

चाय वित्त समिति

\+

*1100. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० च० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 19 फरवरी, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 40 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच चाय वित्त समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी सिफारिशें विशेष कर चाय वित्त निगम की नियुक्ति तथा निर्यात की गई चाय पर उत्पादन शुल्क के कुछ भाग की वापसी सम्बन्धी सिफारिशें, स्वीकार कर ली गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके बारे में अन्तिम निर्णय कब किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग). चाय वित्त समिति की सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच की जा चुकी है । एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें वे सिफारिशें जो पहिले ही स्वीकृत तथा क्रियान्वित की जा चुकी हैं, जो

स्वीकृत हो चुकी हैं तथा क्रियान्वित की जा रही है तथा वे जो विचाराधीन हैं, दिखाई गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4313/65]**

श्री सुबोध हंसदा : विवरण से पता चलता है कि सरकार ने चाय वित्त निगम स्थापित करना लगभग स्वीकार कर लिया है। यह निगम स्वतन्त्र रूप से काम कर रहा है अथवा चाय बोर्ड के अन्तर्गत ?

श्री सें० वें० रामस्वामी यह अभी भी विचाराधीन है। ढांचे का अभी हमें ज्ञान नहीं है।

श्री सुबोध हंसदा : सिफारिश का भाग दो (क) यह है कि फिर से लगाये जाने वाले बागानों के सम्बन्ध में 40 प्रतिशत और नये बागानों के सम्बन्ध में 50 प्रतिशत के हिसाब से कर देय राशि में विकास छूट दी जायेगी। वर्तमान परिस्थिति में आयकर की राशि में क्या कमी होगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : जैसा कि माननीय सदस्य को विवरण के पृष्ठ 2 से पता चलेगा कि हमने चाय वित्त समिति की सिफारिशों को न्यूनाधिक स्वीकार कर लिया है: 50 प्रतिशत विकास छूट की बजाय हम ने 40 प्रतिशत की सिफारिश की है और फिर से लगाये गये बागानों के मामले में 40 प्रतिशत की बजाय हमने 20 प्रतिशत की सिफारिश की है। हम स्थिति का जायजा ले रहे हैं। यह पर्याप्त राहत है। इसके विकास को तेज़ करने के लिए यदि भविष्य में अधिक सहायता की आवश्यकता होगी तो हम वह भी देंगे। जहां तक लक्ष्यों का सम्बन्ध है हमने उनसे भी अधिक कार्य पूरा कर लिया है। तृतीय योजना के चतुर्थ वर्ष में हमने 8350 लाख गज भूमि में उत्पादन किया; हमें आशा है कि अगले वर्ष उत्पादन और भी अधिक होगा।

श्री सुबोध हंसदा : मेरे प्रश्न का ठीक उत्तर नहीं दिया गया है। मैं जो जानना चाहता था वह यह है: नये बागानों को 40 प्रतिशत और पुनः बागानीं किये जाने वाले क्षेत्रों को 20 प्रतिशत छूट दी जायेगी। इस स्थिति में क्या सरकार ने अनुमान लगाया है कि आय कर में इससे क्या कमी होगी।

श्री मनुभाई शाह : किस में कमी ? **(अन्तर्बाधा)**

श्री सें० वें० रामस्वामी : हमने इसका अनुमान नहीं लगाया है ?

श्री मनुभाई शाह : यहां कोई अदायगी नहीं की गई है। ये रियायतें चाय बागानों में नई कार्यवाहियों पर 28 फरवरी, 1965 से लागू होंगी।

श्री सुबोध हंसदा : कर में क्या कमी होगी ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति।

श्री स० चं० सामन्त : सिफारिश तीन (क) कहती है कि 1 अप्रैल, 1966 से पैदा की जाने वाली सभी प्रकार की चाय पर 4 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से उपकर लगाया जाना

चाहिये और टिप्पण के अन्तर्गत यह कहा गया है कि इससे चाय अधिनियम 1953 में संशोधन करना पड़ेगा। क्या सरकार ने इस सिफारिश को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है और केवल संशोधन करने के लिए ही वे प्रतीक्षा कर रहे हैं ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : यह विचाराधीन है।

श्री प्र० चं० बरूआ : पिछले कई वर्षों से चाय कम्पनियां 12 प्रतिशत (आसाम में) से लेकर 40 प्रतिशत (दार्जीलिंग में) तक घाटा उठा रही हैं, और इसके बावजूद भी, जब कि निर्यात की जाने वाली सभी वस्तुएं उत्पादन शुल्क से मुक्त हैं चाय पर यह शुल्क लगाया गया है और यही कारण था कि चाय वित्त समिति ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश की है कि 18 पैसे प्रति किलोग्राम तक उत्पादन शुल्क वापस किया जाना चाहिये। क्या सरकार इस प्रश्न पर पुनः विचार करेगी ?

श्री मनुभाई शाह : इस सभा में और चाय उगाने वालों के सामने भी मैं कई बार यह स्पष्ट कर चुका हूं कि उत्पादन शुल्क में छूट के स्थान पर कर-ऋण की नई योजना को लागू करने पर विचार किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्यों और इस सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि चाय उत्पादकों को पुनः अदायगी करने के सम्बन्ध में चाय वित्त समिति की सिफारिशों को हम सभा के सामने जो भी उपाय लायेंगे उनके द्वारा लगभग पूरा कर लिया जायगा।

श्री श्याम लाल सर्राफ : चाय वित्त निगम को सौंपे गये अन्य कार्य के अतिरिक्त क्या यह निगम चाय तैयार करने के काम में मशीनों का प्रयोग करने के लिए, जिसके बारे में प्रत्येक बाग मालिक संबंधित है, पेशगियां देगा ताकि अच्छी किस्म की चाय पैदा की जा सके और उसे अच्छी कीमत पर बेचा जा सके।

श्री सें० वें० रामस्वामी : निगम पेशगियां देगा।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या चाय वित्त निगम ने चाय उत्पादकों को ऋण दिये जाने की सिफारिश की है और उसने ब्याज की किस दर की सिफारिश की है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : जैसा कि विवरण में दिया गया है एक चाय वित्त तथा गारन्टी निगम स्थापित करने का निर्णय किया गया है जिसका पहला काम वाणिज्यिक बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं द्वारा चाय बागानों को दिये गये ऋणों की गारण्टी देना होगा। उद्देश्य यही है।

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact that tea planters earn huge profits from these tea gardens only for themselves and they neither invest nor pay proper wages to the labour in proportion to the profits earned and still ask the Government to grant help to them for development ; if so, whether Government considers it necessary to give them financial assistance ?

Shri Manubhai Shah : This is absolutely wrong. The Tea wage Board has very recently submitted its second Report. We have got it accepted by the tea planters with great amount of labour and difficulty. During the last ten years the tea planters have revised the wages thrice. It is good that the more the wages the better it is, yet keeping in view the economic conditions of

the tea planters and the market competition our wages are higher than any tea planting country.

श्री श्रीनारायण दास : क्या चाय बागानों की वित्तीय आवश्यकताओं के संबंध में कोई अनुमान लगाया गया है और यदि हां, तो निगम द्वारा किस हद तक पेशगियां दी जायेंगी ?

श्री मनुभाई शाह : थोड़ी सी गलत फहमी है। जैसा कि मेरे साथी ने बताया आरम्भ में यह एक गारण्टी निगम होगा। इस समय अनुसूचित बैंकों द्वारा चाय बागानों को लगभग 47 करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं। लगभग 10 करोड़ रुपये विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दिये जा रहे हैं। इस सारे धन की गारण्टी इस निगम द्वारा दी जायेगी। क्योंकि इस समय यह सुनिश्चित करने के लिए यह धन सुरक्षित है कोई गारण्टी देने वाला नहीं है। आरम्भ में हमें धन नहीं देना है।

Shri J. P. Jyotshi : As Shri Bibhuti Mishra has pointed out that the tea planters exploit the labourers and misuse the financial assistance given to them. Have the Government investigted into this matter ?

Shri Manubhai Shah : We have investigated this thoroughly and this is absolutely wrong.

श्री शशि रंजन : अन्य सदस्यों द्वारा बताई गई अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त क्या इन चाय उत्पादकों को निर्यात प्रोत्साहन भी दिये जाते हैं ?

श्री मनुभाई शाह : चाय के लिये किसी ऐसे प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है। परन्तु हम उनको विदेशी मुद्रा की एक छोटी सी राशि देते हैं, जो कुल आयात का एक प्रतिशत होती है।

Shri Kishen Pattnayak : Millions of rupees are earned in tea industry. Do Government propose to nationalise this industry by spending 10-12 crores of rupees ?

Shri Manubhai Shah : There is no such proposal before us. We have given serious thought to this subject and arrived at the conclusion that there is no gain in nationalising this industry, nor there is any need for that.

फ्रेंको-जर्मन स्टील कनसार्टियम

\+

1101. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री कपूर सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक फ्रैंको-जर्मन कनसार्टियम भारत में एक इस्पात कारखाना स्थापित करना चाहता है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सरकार को किसी फ्रेंको-जर्मन कनसार्टियम के बारे में जानकारी नहीं है परन्तु जर्मनी की और फ्रांस की कुछ फर्मों ने इस देश में एक इस्पात कारखाना स्थापित करने के बारे में रुचि दिखाई है । उन्हें यह कहा गया है कि सरकार ऐसे सहयोग / सहायता का स्वागत करेगी बशर्ते कि वे उपयुक्त शर्तों पर धन की व्यवस्था कर सके । सरकार को इन फर्मों का कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

Shri Yashpal Singh : Has this consortium placed before the Government of India any table regarding Cost of Production ?

Shri P.C. Sethi : I have said in reply to the main question that there is no consortium. A few parties have only shown interest so far. No details have been finalised as yet.

Shri Yashpal Singh : Have Government made a comparative study of the cost of production in foreign Countries and in India ? Has any estimate been made of their profiteering ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : यह प्रश्न सार्थ संघ के सम्बन्ध में है । उत्पादन लागत आदि को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता । हम अपनी मांग को, इस्पात उत्पादन की लागत को और उस बहस के दौरान चर्चा की जा सकने वाली सभी बातों को ले रहे हैं ।

श्री कपूर सिंह : इस्पात संयंत्र सरकारी क्षेत्र में होंगे अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

श्री संजीव रेड्डी : हमारे इस्पात संयंत्र केवल सरकारी क्षेत्र में ही होंगे । इसके बारे में कोई दो रायें नहीं हैं ।

Shri Raghunath Singh : In which state the proposed steel plant will be set up in Andhra Pradesh or in Madras ?

One hon. Member : Not in U.P.

Shri Raghunath Singh : In U.P. it cannot be. U.P. is out of question.

श्री संजीव रेड्डी : यह प्रश्न नहीं उठता है । अभी तक इसने कोई रूप नहीं लिया है । अभी तो बातचीत भी आरम्भ नहीं हुई है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : गैर-सरकारी क्षेत्र के दो संयंत्रों का वित्त पोषण करने के लिये विश्व बैंक राजी हो गया है । क्या सरकारी क्षेत्र के इस संयंत्र का वित्त पोषण करने के लिये भी इसने अपनी इच्छा प्रकट की है ?

श्री संजीव रेड्डी : जी नहीं ।

श्री सुबोध हंसदा : जर्मनी के सहयोग से स्थापित किये गये रूरकेला इस्पात संयंत्र से प्राप्त अनुभव और हमारे देश के इस्पात संयंत्रों में सब से अधिक उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि सरकार जर्मनी की सार्थ संघ से पुनः क्यों करार करना चाहती है ।

श्री संजीव रेड्डी : रूरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित करने में जर्मनी की सरकार ने हमारी सहायता की है । यदि कुछ गैर-सरकारी उद्योगपति एक सार्थ संघ बना लेंते हैं, जैसा कि आंग्ल-अमरीकी अब करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो उसका इसपर बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि इसी सभा में इस्पात तथा खान मंत्री ने हमें बताया था कि भविष्य में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिये हम अपने पावों पर खड़े होंगे, यदि हां, तो अन्य पेशकशों पर जो सरकार के समक्ष रखी जा रही हैं क्यों विचार किया जा रहा है ?

श्री संजीव रेड्डी : हमें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है । तकनीकी दृष्टि से शायद हमारे इंजीनियर योजना आदि तैयार करने के योग्य हैं । इसपर बाद में विचार किया जायेगा । परन्तु इस समय यदि कोई हमें वित्तीय सहायता देने के लिये तैयार है तो हम उसे सहर्ष लेंगे ।

Shri Vishwanath Pandey : Do those German and French industrialists, who have expressed their willingness to establish a steel plant in India, propose to send any team of experts here, so that they may first study the conditions in India and then establish the plant ?

Shri P.C. Sethi : There is no question of team at this stage. On behalf of the German factory one representative came here in 1964 and likewise one representative of France Shri Levivor came here in 1963. On that very basis it has been thought out.

Shri Onkar Lal Berwa : May I know the assistance to be given by the Government towards the establishment of this factory as also its share of profit ?

Shri P.C. Sethi : There is no question of profit at this stage. At present we are concerned only with the establishing of the plant.

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या माननीय मंत्री का फ्रांस का प्रस्तावित दौरा खोज के लिये है ?

श्री संजीव रेड्डी : वर्तमान संयंत्रों में से कुछ को बन्द करने के लिये भी मैं अन्य देशों का दौरा करने की आशा करता हूं ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : जर्मनी और अन्य देशों के दौरे के दौरान क्या माननीय मंत्री इस मामले का अनुसरण करेंगे और एक निश्चित प्रस्ताव के साथ वापस लौटेंगे ताकि इस्पात संयंत्रों की संस्थापना के लिये आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके ?

श्री संजीव रेड्डी : अन्तिम निर्णय करने में तो बहुत समय लगेगा । आप उनसे बात कर सकते हैं, परन्तु यह इतना आसान नहीं है क्योंकि स्वयं पांचवें इस्पात संयंत्र में ही समय लगेगा । छठे इस्पात संयंत्र के बारे में मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं ; हो सकता है इसे पांचवी योजना में स्थापित किया जाये ।

सऊदी अरब को कपड़े का निर्यात

*1102. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 20 नवम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 94 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्माताओं / कपड़ा निर्यात-कर्ताओं के सहयोग से सूती कपड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद् द्वारा की गयी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप सऊदी अरब को सूती कपड़े के निर्यात में कोई सुधार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें०वें० रामस्वामी) : (क) तथा (ख). सऊदी अरब को सूती वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये सूती कपड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद् द्वारा उठाये गये कदमों के परिणामों का अभी अनुमान लगाना सम्भव नहीं है । फिर भी 1965 के प्रथम तीन महीनों में भारत से हुए निर्यात में 1963 और 1964 के इन्हीं महीनों में हुए निर्यात की अपेक्षा वृद्धि हो गई है ।

श्री श्रीनारायण दास : जिन कारणों से हमारे देश के निर्यात में कमी आ गई थी क्या उनको समाप्त कर दिया गया है या नहीं ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : इस के कई कारण थे । एक यह है कि उन्होंने प्रशुल्क प्रतिबन्ध लगा दिए हैं । आयात पर बहुत अधिक शुल्क लगा दिया गया है । दूसरे चीन से बहुत अधिक स्पर्द्धा है। उन्होंने जापान को भी नीचा दिखाया है । इन के अतिरिक्त और भी कारण हैं परन्तु ये दो मुख्य कारण हैं । हां कपड़े की किस्मों में भी परिवर्तन आ गया है । मुझे सभा को सूचित करते प्रसन्नता है कि निर्यात में वृद्धि हो रही है । जनवरी-मार्च 1964 में यह 14.99 लाख रुपया का था और जनवरी मार्च 1965 में यह बढ़कर 18·23 लाख रुपये का हो गया है ।

श्री रामेश्वर टांटिया: इस देश को और कौन-कौन से देश कपड़ा भेजते हैं और उसमें हमारे देश के माल का अनुपात क्या है ?

श्री सें० वें०रामस्वामी : अन्य देश हैं :—पाकिस्तान, सीरिया तथा जापान । मैं अपने देश के अनुपात के बारे में इस समय नहीं कह सकता ।

डा० सरोजिनी महिषी : पिछले साल सूती कपड़ा निर्यात संवर्द्ध परिषद् तथा कपड़ा निर्माताओं ने कपड़ा निर्यात के जो ठेके किये थे उन को कहां तक पूरा किया गया है ?

श्री सें० वें०रामस्वामी : यह एक व्यापक प्रश्न है जो इस समय यहां नहीं उठता ।

श्री राम सहाय पांडेय : सऊदी अरब के अतिरिक्त और कौन से ऐसे देश हैं जिन को हम सूती कपड़ा निर्यात करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न में हम सऊदी अरब की बात कर रहे हैं ।

श्री सें० वें० रामस्वामी : मैं एक बात कह सकता हूं । हमारे सूती कपड़ा निर्यात में काफी वृद्धि हुई है 1961 में यह 48 करोड़ रुपये का था । 1962 में यह बढ़कर 50 करोड़ रुपये का तथा 1963

में 60.49 करोड़ रुपये का हो गया। 1964 में यह 71 करोड़ रुपये का है। इस प्रकार हमारे निर्यात में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है ।

श्री विश्वनाथ राय : मैं इस बारे में जानना चाहता हूं कि क्या बनारस, गोरखपुर अथवा आंध्र के हथकरघा उद्योगों के हितों के किसी प्रतिनिधि से भी सलाह की गई है ? यदि हां, तो क्या हथकरघा वस्तुओं के निर्यात में कोई सुधार हुआ है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : क्या आप सऊदी अरब को किये गये निर्यात की बात कर रहे हैं या सभी देशों को किए गए निर्यात की ?

अध्यक्ष महोदय : यहां हम सऊदी अरब की बात कर रहे हैं।

श्री मनुभाई शाह : हथकरघा के हितों से सलाह की गई है और हमारा इस का निर्यात मिल के बने कपड़े के निर्यात से काफी अच्छा है। बनारस की किस्मों में पर्याप्त सुधार हुआ है।

श्री श्रीनारायण दास : क्या उस देश के लोगों की कपड़े सम्बन्धी रुचि तथा आवश्यकताओं को जानने के लिये वहां कोई प्रतिनिधि मंडल भेजा गया है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : सूती कपड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद् इस बात के प्रति जागरूक है। व्यक्तिगत रूप से व्यापारी भी वहां भेजे जा रहे हैं जो वहां के व्यापारियों को मिलेंगे और वहां के बाज़ार की स्थिति समझेंगे ।

श्री अन्सार हरवानी : सउदी अरब को सूती कपड़े के निर्यात में पाकिस्तान की तुलना में हमारे देश की स्थिति कैसे है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : मैं बिना पूर्व सूचना आंकड़े बता नहीं सकता।

श्री श्यामलाल सर्राफ : माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि चीन, जापान तथा अन्य देशों की ओर से बहुत स्पर्द्धा है। यह स्पर्द्धा तो अब चलेगी। ऐसी स्थिति में सरकार इन देशों में अब तथा भविष्य में निर्यात बढ़ाने के लिये क्या-क्या कदम उठा रही है ?

श्री मनूभाई शाह : हमने जो कदम उठाये हैं उन के फलस्वरूप बहुत अच्छे परिणाम निकले हैं। तीन वर्षों में हमारा निर्यात 40 करोड़ रुपये से बढ़कर 71 करोड़ रुपया हो गया है। सऊदी अरब में दस सालों से भारत तथा जापान आदि देशों के लिये बाजार लगभग बन्द हो रहा था। यह ठीक है स्थिति में अब और भी सुधार हो सकता है। अभी कल की बात है कि हम ने बम्बई की एक गोष्ठी में प्रस्ताव रखा है कि चौथी योजना में इसे 150 करोड़ रुपये तक बढ़ाना चाहिये।

हथकरघे और शक्तिचालित करघे

*1103. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों से प्रार्थनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें केन्द्र से अनुरोध किया गया है कि 60 काउन्ट से कम की धोतियाँ तथा सभी काउन्टों की रंगीन साड़ियों का उत्पादन हथकरघों के लिये आरक्षित किया जाये ;

(ख) क्या हथकरघा उद्योग को यह संरक्षण देने से वह शक्तिचालित करघों की प्रतियोगिता का सामना कर सकेगा ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के सुझाव के अनुसार हथकरघा के कपड़े पर छूट कम कर दी गयी है ; और

(घ) क्या हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को शक्तिचालित करघे आवंटित किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). 60 काउन्ट से कम की धोतियों तथा सभी काउन्टों की रंगीन साड़ियों का उत्पादन हथकरघों के लिये आरक्षित करने के बारे में कोई प्रार्थना राज्य सरकारों से प्राप्त नहीं हुई है । हथकरघा के दूसरे कार्यकारी दल ने अपने हाल ही के प्रतिवेदन में, जिस की जांच सरकार कर रही है, इस सम्बन्ध में सिफारिश की है ।

(ग) जी, नहीं । हथकरघा के दूसरे कार्यकारी दल ने अपने हाल के प्रतिवेदन में इस सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं । सरकार इस प्रतिवेदन की अभी जांच कर रही है ।

(घ) हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को शक्तिचालित करघों का आवंटन करना शक्तिचालित जांच समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों में से एक है जो कि अब सरकार के विचाराधीन है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : दोनों पक्षों अर्थात हथकरघों तथा शक्तिचालित करघों की जांच के पश्चात क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि शक्तिचालित करघों के अपेक्षा हथकरघों को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिये ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : हथकरघों को जितनी सहायता की आवश्यकता है वह उपलब्ध करायी जाती है । सरकार दोनों प्रतिवेदनों पर विचार कर रही है और मुझे विश्वास है कि सरकार हथकरघा उद्योग को आवश्यक सहायता देगी ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि खादी आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि आयोग केवल तभी स्वावलम्बी हो सकता है जब उद्योग में कुछ भाग आयोग के लिये सुरक्षित कर दिया जाये ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : जहां तक सुरक्षित करने का प्रश्न है और यदि खादी आयोग ऐसा चाहता है, हम इस पर विचार करने को तैयार हैं । पिछले सालों में खादी को हाथ से कातने तथा बुनने के काम को पृथक रूप से सौंपने की कोई संभवत नहीं थी ।

श्री रंगा : क्या यह सच नहीं कि एक बार मद्रास की विधान सभा ने सर्व सहमति से एक संकल्प पास किया था कि धोतियों तथा साड़ियों के व्यापार को हथकरघा वालों के लिये रक्षित कर दिया जाये ? माननीय मित्र ने इसे सरकार तक ही सीमित क्यों रखा है ? सरकार इस में विलम्ब क्यों कर रही है ? पहले उन्होंने एक अध्ययन दल नियुक्त किया, फिर एक आयोग नियुक्त किया, फिर एक और अध्ययन दल और उस के पश्चात एक गोष्ठी हुई । क्या निर्णय करने में विलम्ब के लिये यह सब कुछ हुआ है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : यह ठीक है कि मद्रास विधान सभा ने एक संकल्प पास किया था परन्तु फिर इस प्रश्न को व्यापक रूप से लिया गया । सूती कपड़ा उद्योग के चार क्षेत्र हैं--मिल क्षेत्र, हथकरघा क्षेत्र, शक्तिचालित करघा क्षेत्र तथा खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र । इन सभी क्षेत्रों के प्रति सन्तुलित ध्यान देना होता है और देखना होता है कि किसी पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । मैं बता दूं कि अभी भी मिल-क्षेत्र पर प्रतिबन्ध लगे हुए हैं और धोतियों तथा साड़ियों के उत्पादन में कमी होती जा रही है ।

श्री रंगा : शक्तिचालित करघों को प्रोत्साहित किया जाता है ।

श्री सें० वें० रामस्वामी : विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है । चौथी योजना में भी काफी व्यवस्था की गई है ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या सरकार के ध्यान में आया है कि कपड़ा उद्योग विशेष रूप से हथकरघा उद्योग के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है और यह केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा हो रहा है । इस से हथकरवा उद्योग नीचे जा रहा है । इस उद्योग में 28 लाख व्यक्ति काम करते थे और अब 15 लाख भी नहीं है । इस का कारण यह है कि कच्चा माल उपलब्ध नहीं कराया जाता तथा इस के लिये बिक्री की सुविधायें नहीं होतीं । क्या सरकार हथकरघा उद्योग के कपड़े की किस्म को सुरक्षित करेगी ?

श्री मनुभाई शाह : मैं चाहता हूं कि सभा इस का अनुमान लगाये कि वृद्धि हुई है या नहीं । यह तथ्य है कि विकेन्द्रीकृत क्षेत्र (इस में हथकरघा भी है) में 1950 में उत्पादन 80 करोड़ गज था और यह बढ़ कर 310 करोड़ गज हो गया है ।

श्री रंगा : इसमें शक्तिचालित करघे भी हैं ।

श्री मनुभाई शाह : जी हां ।

श्री रंगा : आप सदैव शक्तिचालित करघों को प्रोत्साहित करते हैं ।

श्री मनुभाई शाह : जब तक प्रतिवेदन सभा में नहीं आता हथकरघों पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध है। मैं निवेदन कर रहा था कि विकेन्द्रीकृत क्षेत्र जो मुख्य रूप से हथकरघा क्षेत्र है में उत्पादन 80 करोड़ गज से बढ़ कर 310 करोड़ गज हो गया है । मिलों के क्षेत्र में सूती कपड़े का उत्पादन 500 करोड़ गज से 510 करोड़ गज हो गया है ।

श्री कन्डप्पन : माननीय मंत्री के उत्तर से यह बात स्पष्ट हो गई है कि हथकरघा उद्योग के लिये रंगीन साड़ियों तथा किनारीदार धोतियों को सुरक्षित नहीं किया जा रहा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार महसूस करती है कि हथकरघा उद्योग को अधिक समय तक सहायता पर आश्रित नहीं रखा जा सकता ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : मैं पहली बात से सहमत नहीं हूं क्योंकि सरकार दोनों प्रतिवेदनों पर अभी विचार कर रही है । शक्तिचालित करघा जांच समिति तथा हथकरघा समिति ने सिफारिश की है कि रंगीन साड़ियों को अवश्य ही हथकरघों के लिये सुरक्षित कर देना चाहिये । धोतियों के बारे में दोनों समितियों के प्रतिवेदनों में थोड़ा सा अन्तर है हथकरघा समिति ने सिफारिश की है कि 60 काउन्ट्स से कम का कपड़ा केवल हथकरघों

के लिये सुरक्षित कर दिया जाये जबकि शक्तिचालित करघा जांच समिति ने सुझाव दिया है कि कम काउन्ट्स का हथकरघों के लिये तथा अधिक काउन्ट्स का कपड़ा शक्तिचालित करघों के लिये सुरक्षित कर देना चाहिये। इस विषय पर अभी विचार हो रहा है । मैं और आंकड़े देता हूं । 1959 में मिलों के क्षेत्र में धोतियों का उत्पादन 42 करोड़ मीटर था। यह 1962 में कम होकर 25 करोड़ 20 लाख मीटर हो गया । और 1963 में यह 33 करोड़ 30 लाख मीटर था । मिलों के क्षेत्र में साड़ियों क उत्पादन 1959 में 43 करोड़ 20 लाख मीटर, 1962 में 38 करोड़ 50 लाख मीटर तथा 1963 में 31 करोड़ 80 लख मीटर था । इस कमी को विकेन्द्रीकृत क्षेत्र द्वारा पूरा किया गया है ।

श्री रंगा : हथकरघों का उत्पादन में बहुत थोड़ा भाग है ।

श्री राम सहाय पांडेय : हथकरघा क्षेत्र तथा शक्तिचालित करघा क्षेत्र का उत्पादन कम है । क्या इन दोनों क्षेत्रों को बढ़िया काउन्ट्स के सूत के अभाव के कारण हानि उठानी पड़ रही है ?

श्री मनुभाई शाह : सूत का कोई अभाव नहीं है । हम ने तो घोषणा की है कि यदि किसी मिल के पास फालतू सूत हो तो सरकार 3 करोड़ रुपये का सूत खरीदने को तैयार है ।

श्री शशि रंजन : हथकरघों तथा शक्तिचालित करघों के उत्पादन एक जैसे होते हैं और दोनों में पहचान करना मुश्किल है । इस का परिणाम यह होता है कि शक्तिचालित करघों वाले अपने उत्पादन को हथकरघों के उत्पादन के रूप में बेचते हैं इस से हथकरघा वालों को बहुत हानि होती है । क्या सरकार कोई व्यवस्था करेगी कि जिस प्से हथकरघा वालों को हानि न हो और क्या सरकार कपड़े की कुछ किस्मों को हथकरघों तथा शक्ति-चालित करघों के लिये सुरक्षित करेगी ?

श्री मनुभाई शाह : अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट में इस प्रश्न पर पूरा विचार किया गया है । वह रिपोर्ट सभा पटल पर रख दी गई है और सरकार . . .

श्री शशि रंजन : हथकरघा वालों के भाग्य में कोई सुधार नहीं हो रहा ।

श्री मनभाई शाह : जहां तक उन के भाग्य का सम्बन्ध है उन की मजूरी 1947 में 6 आने होती थी और आजकल मद्रास तथा आन्ध्र प्रदेश में उन को 4 या 5 रुपये मिलते हैं । ब्लीडिंग मद्रास किस्म पर विशेष रूप से 7 से 8 रुपये तक मिलते हैं । मैं यह बात आम जानकारी के लिये कह रहा हूं । सरकार की नीति अन्य बाधाओं के होते हुए भी सफल रही है । आर्थिक क्षेत्र में यह बहुत सफल रही है । आज खादी तथा हथकरघा के क्षेत्र 1947 की अपेक्षा बहुत अच्छी स्थिति में हैं ।

Shri Rameshwaranand : Government gives assistance to powerlooms and handlooms. I want to know whether Government gives assistance to those weavers who work in their houses in individual capacity, if so, how much assistance is given ?

Shri Manubhai Shah: Cooperative Sector gets assistance. Those handlooms which are run by Cooperative Societies get Government assistance, and those weavers who work for merchants in individual capacity do not get any assistance.

Shri Rameshwaranand: What assistance is given to individual weavers?

Mr. Speaker: He says that they are not given.

श्री सेझियान : मद्रास विधान सभा ने 1952–53 में धोतियों तथा रंगीन साड़ियों के हथकरघा के लिये सुरक्षित करने के बारे में एक संकल्प पास किया और 12 साल हुए मद्रास सरकार ने निर्णय किया था। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार निर्णय करने में कितना समय लगायेगी ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : मेरा निवेदन है कि मिलों के क्षेत्र पर साड़ियों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। इस बारे में बहुत सी अधिसूचनायें हैं। 1956 की एक अधिसूचना के अनुसार मिलों पर प्रतिबन्ध है कि वे अमुक किस्म की साड़ियों तथा अमुक किस्म की धोतियों का उत्पादन नहीं कर सकती है। इन्हीं प्रतिबन्धों के कारण उत्पादन में कमी हो गई है। अब यह सिफारिश विचाराधीन है कि क्या मिलों द्वारा रंगीन साड़ियां बनाये जाने पर पूर्णत: रोक लगा दी जाये।

श्री तिरुमल राव : क्या सरकार का ध्यान आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा हाल में जारी किये गये वक्तव्य की ओर गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट और सरकार की इसको सहायता के कारण हथकरघा उद्योग को हानि हो रही है ? और क्या इससे बेकारी भी बढ़ रही है यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है ?

श्री मनुभाई शाह : रिपोर्ट पर सभा में अभी विचार होना है और उसके पश्चात् निर्णय होंगे और उनको कार्यान्वित किया जायेगा। ऐसी स्थिति में रिपोर्ट से हानि कैसे हो सकती है ? यह सच है कि अशोक मेहता समिति रिपोर्ट ने सभी हितों पर विचार किया है और अभी भी हथकरघा बुनकरों में कुछ ऐसे लोग हैं जो उत्पादन बढ़ाने की कार्यवाही नहीं करते। राष्ट्र को इस बात का ध्यान रखना है कि हथकरघा बुनकरों की मजूरी में वृद्धि हो और कमी न हो। परन्तु फिर भी कुछ मशीनों का होना आवश्यक है।

श्री तिरुमल राव : क्या सरकार को मालूम है कि इसकी नीति के फलस्वरूप हथकरघा बुनकरों में बेकारी है ?

श्री मनुभाई शाह : किसी भी प्रकार की बेकारी नहीं है...

श्री रंगा : यह क्या उत्तर है ? माननीय मन्त्री एक आम वक्तव्य दे रहे हैं कि कोई बेकारी नहीं है।

श्री मनुभाई शाह : प्रश्न यह था कि क्या अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट के फलस्वरूप क्या बेकारी हो गई है। मैंने कहा कि उस कारण कोई बेकारी नहीं हुई।

श्री रंगा : अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट शक्तिचालित करघों के समर्थन में थी। अत: इससे गलत जानकारी मिलती है।

श्री कपूर सिंह : क्या हथकरघों को राजसहायता देना हमारे औद्योगिक विकास कार्यक्रम अर्थात् सामान तैयार करने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाये के विपरीत नहीं है, यदि हां, तो हम यथार्थवादी बनना कब सीखेंगे ?

श्री मनुभाई शाह : हमारी औद्योगिक नीति यह नहीं कहती कि हम अठारहवीं शताब्दी की बातें करें। हम रोज़गार को हानि न पहुंचाते हुए धीरे धीरे औद्योगीकरण करना चाहते हैं। हम भारत की उद्योगी अर्थव्यवस्था में मशीनों के प्रयोग को लाना चाहते हैं और आधुनिक प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं परन्तु हथकरघा क्षेत्र में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसमें मनुष्य बहुत अधिक संख्या में लगे हुए हैं अत: इसमें मशीनें प्रचलित करने में बहुत धीरे-धीरे कार्य करना होगा।

श्री कपूर सिंह : क्या इन दोनों कार्यों तथा पारस्परिक सिद्धान्तों में विरोध नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

हाल्ट स्टेशन

*1104. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेलवे खण्डों पर हाल्ट स्टेशन स्थापित करने के कोई पक्के नियम हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा करते समय क्या स्थान के महत्व जैसे कारणों पर भी समुचित विचार किया जाता है ; और

(ग) स्थान का महत्व निर्धारित करेने की क्या कसौटी है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) हाल्ट स्टेशन सामान्यत: निम्नलिखित परिस्थितियों में खोला जाता है :—

(1) जब हाल्ट स्टेशन खोलने के लिए वित्तीय औचित्य हो और अनुपनगरीय क्षेत्रों में जिस जगह हाल्ट स्टेशन बनाने का प्रस्ताव हो उसकी दूरी दोनों ओर के स्टेशनों या हाल्ट स्टेशनों से कम से कम 5 किलोमीटर हो;

(2) उपर्युक्त शर्तें पूरी न होने पर भी आपवादिक मामलों में हाल्ट स्टेशन खोला जा सकता है, बशर्ते रेल प्रशासन इस बात से सन्तुष्ट हो कि यात्री सुविधा के रूप में हाल्ट स्टेशन खोलने का औचित्य है और क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति ने हाल्ट स्टेशन खोलने के प्रस्ताव का समर्थन किया हो।

(ख) और (ग). हाल्ट स्टेशन खोलने के लिए इन विभिन्न बातों का ध्यान रखा जाता है जैसे: हाल्ट स्टेशन खोलने से जिस क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा उसकी जनसंख्या, हाल्ट स्टेशन से प्रत्याशित यात्री यातायात की मात्रा, सम्बन्धित क्षेत्र में परिवहन के साधन की पर्याप्तता और परिवहन में आने वाली प्राकृतिक बाधाएं, यदि कोई हों, परिचालन-सम्बन्धी बातें जैसे खण्ड की क्षमता, निकटवर्ती स्टेशनों से दूरी, स्टेशन खोलने के प्रस्ताव का आर्थिक पहलू आदि।

श्री विश्वनाथ राय : मैं जानना चाहता हूं कि प्राय: प्रतिवर्ष बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए क्या नये हाल्ट स्टेशन खोलने की रेलवे मन्त्रालय की कोई योजना है ?

श्री शाम नाथ : जैसा कि विवरण में उल्लेख है कि कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है तथा फिर यह निश्चय किया जाता है कि एक विशेष स्थान पर हाल्ट होना चाहिये।

Shri K. N. Tiwari : May I know whether for starting the halt stations Government will give priority to the important places connected with the activities of Father of the Nation (*Rashtrapita*) so that these may develop as tourist centres ?

Shri Sham Nath : Place is not the only consideration, other factors are also to be taken into account. Firstly, whether there is any other station within five kilometers of the proposed site for halt or not, secondly the passenger traffic, thirdly whether other means of transport are there or not and fourthly the capacity of the Railways.

Shri Raghunath Singh : May I know the number of pending applications for halt stations and those decided during the last ten years ? I know of one application from my city, which is pending for twelve years.

Shri Sham Nath : The applications for halt stations are decided as and when received. I am not in a position to say how many applications are under consideration.

Shri Raghunath Singh : If hon. members write to you, please look into them.

डा० रानेन सेन : हाल्ट स्टेशनों के लिये ये विचार तेजी से पुनर्गठन होने से बहुत पहले निश्चित की गई थीं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार स्थिति पर पुनर्विचार करने के बारे में सोच रही है ताकि अधिक हाल्ट स्टेशन बनाये जा सकें ?

श्री शाम नाथ : ये मार्गदर्शी सिद्धान्त बहुत सोच-विचार के बाद बनाये गये हैं तथा इनमें परिवर्तन करने की कोई सम्भावना नहीं है।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बता सकती है कि पिछले दो वर्ष 1963 और 1964 में कितने हाल्ट स्टेशन खोले गये ?

श्री शाम नाथ : 1963 तथा 1964 के आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि सारे भारत में कुल मिला कर 6854 पूर्ण स्टेशन हैं और 735 हाल्ट स्टेशन हैं।

डा० सरोजिनी महिषी : रेलवे अधिकारी कहते हैं कि देरी तथा लम्बी-दूरी वाली गाड़ियों के अधिक समय लेने का कारण हाल्ट्स हैं। क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि इन हाल्ट्स के बिना भी लम्बी-दूरी वाली गाड़ियां उतना ही समय लेतीं हैं अथवा हाल्ट स्टेशन होने पर जितना समय लेती थी शायद उससे भी अधिक समय में यह दूरी तय करती हैं ?

श्री शाम नाथ : अधिक हाल्ट होने पर निश्चय ही गाड़ियां अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचने में अधिक समय लेंगी।

सूती कपड़ा मिलें

+

*1105. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि दिसम्बर, 1964 के अन्त तक सूती कपड़े की 15 मिलें, जिनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता 3.22 लाख तकुए तथा 5605 करघे थी, बन्द हो गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं, और क्या उसके बाद कोई सुधार हुआ है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) इस समय केवल 11 मिलें बन्द हैं; अतएव आज बन्द मिलों की समस्या मामूली किस्म की है। इनमें से 3 या 4 मिलों के इस वर्ष में चालू हो जाने की आशा है। इन बन्द मिलों में से चार बहुत छोटी, पुरानी तथा अलाभकर हैं।

(ख) फिर भी सरकार कुप्रबन्ध वाली तथा अलाभकर मिलों सहित देश में कपड़ा मिलों पर निगरानी रख रही है तथा जहां आवश्यक हो उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम की धारा 18क के अन्तर्गत कार्यवाही कर रही है। प्रभावित मिलों, तकुओं तथा करघों की सूची का एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या—4314/65]**

Shri Madhu Limaye : At page 14 of the report presented on behalf of the Labour Ministry the number of closed mills and unemployed workers has been given in the beginning of the last year. Their number has doubled at the end of the year. This qustion of closed cotton textile mills comes up every now and then. I want to know from the hon. Minister whether Government are contemplating to take over these mills and form a Corporation for looking after them with a view to modernise them and provide bread and butter to the workers ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : In 1962 there were 27 closed mills but now the number is 11 and 16 have been reopened. Leaving it aside now there are as many as 534 mills in India as compared to the earlier figure of 280 mills and the total number of spindles is 1·60 crores, out of which 2-3 lakhs are not working. The hon. member can see that efforts have been made to run each and every mill except those which can not be run at all. I do not know the source of his unemployment figures according to which it has doubled. In fact there has been no increase in the unemployment due to closure rather it has been reduced by 40% ?

डा० मा० श्री० अणे: बन्द मिलों में से महाराष्ट्र में कितनी हैं तथा क्या सरकार का विचार इनमें से कुछ को पुनः चालू करने का है ?

श्री मनुभाई शाह: "बन्द मिलों में से 3 महाराष्ट्र में हैं जिनके नाम हैं शोलापुर मिल्स, औरंगाबाद मिल्स तथा सावतराम किल्स, अकोला।

डा० मा० म० श्री० अणे: दूसरे भाग का क्या उत्तर है ?

Shri Madhu Limaye : In the report of the Labour Ministry the number of unemployed workers has been given as 5763 in the beginning and 17,198 at the end of the last year. This figure is more than double. This is nearly three times and the hon. Minister says wherefrom I have got these figure.

श्री मनुभाई शाह: मिलों को पुनः चालू करना इस मन्त्रालय का काम है। मैं नवीनतम आंकड़े दे रहा हूं। सदस्य के प्रश्न की सूचना देने के बाद भी पिछले महीने में ही दो मिलें पुनः चालू हुई हैं। कानूनी कार्यवाही आदि करनी होती है। बन्द मिल को पुनः चलाने के लिये धन की व्यवस्था करनी पड़ती है। इस मामले की देखभाल उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम की धारा 18क के अन्तर्गत की जाती है। वास्तव में बन्द मिलों का ब्यौरा सभा पटल पर प्रस्तुत विवरण में दिया हुआ है।

Shri Madhu Limaye: The second part of my question has not been replied.

Shri Manubhai Shah : The old mills, which are of no utility to the country, cannot be started. Instead, in the same province and town we are licensing much more capacity so that people may remain in employment and the country may also be benefited.

Shri Kishen Pattnayak : I cannot say whether the closure of mills had any effect on textiles or not. But I want to know from the hon. Minister whether he is aware that in spite of certain concessions in excise duty the prices of some coarse and rough cloth have gone up ?

श्री मनुभाई शाह : यह अलग प्रश्न है । यह दूसरे प्रश्न का विषय है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the names of the 11 closed mills and the names of the States in which they are located ? Whether the owners of these mills had approached the Government for help in starting the mills ? The question of lock-out in the mills is left to the State Governments. Whether Government propose to take over these matters ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : वतक्तव्य के टिप्पणी वाले कालम में इन प्रश्नों का उत्तर दिया हुआ है ।

श्री दाजी: पुरानी अथवा पुराने ढंग की मिलों को छोड़कर ऐसी भी मिलें हैं जो तकनीकी दृष्टि से वास्तव में चलाई जा सकती हैं । सरकार का विचार क्या उचित कार्यवाही करने का है कि यदि ऐसी मिलें बन्द हों तो उनके 3 अथवा 6 महीने बन्द रहने के बजाय सरकार उनको तुरन्त अपने हाथ में लेकर चलायें, राजनन्दगांव मिल की तरह 40 प्रतिशत कटौती के आधार पर नहीं बल्कि इस आधार पर कि उत्पादन की हानि की अवधि तथा बेरोज़गारी कम से कम हो ?

श्री मनुभाई शाह : अधिनियम के अन्तर्गत सरकार ने व्यापक शक्तियां ले रखी हैं । माननीय सदस्य की प्रस्तावना यह थी कि मिलों के अच्छी स्थिति में होने पर भी उनको बन्द कर दिया जाता है । मुझे तो ऐसी किसी मिल के बारे में जानकारी नहीं है जो कुप्रबन्ध तथा मशीनों के असावधानीपूर्णप्रयोग न करने पर बन्द हो गई हों । अतएव, जब हम पुनः चालू करना चाहते हैं तो हमें बुरे अंगों को काट फैंकना तथा मशीनों का आधुनिकीकरण करना चाहिये, जिसमें समय लगता है । मैं विश्वास दिला सकता हूं कि कोई भी मिल जो हाथ में लेने लायक होगी भारत सरकार तुरन्त अपने हाथ में ले लेगी ।

Shri Sheo Narayan: Are Government considering to nationalise this industry ?

Notings on Files in Hindi

\+

*1106. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Naval Prabhakar :
Shri S.N. Chaturvedi :
Shri Vishram Prasad :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees in various offices under rhe Railways have been forbidden to write notes on files and to correspon in Hindi ;

(b) if so, the reasons therefor, when Hindi has been declared as official language for transacting the work of the Union ; and

(c) whether some clear orders to remove this restriction are proposed to be issued ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) No Sir. In accordance with the existing instructions, the use of Hindi in noting on files is permitted in such sections of Railway offices located in Hindi speaking areas where 60% staff or more have a working knowledge of Hindi. Instructions also exist that communications received in Hindi should be replied to in Hindi and that Hindi in addition to English should be used in correspondence with State Governments which have adopted Hindi as their official language.

(b) and (c). Do not arise.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: May I know the names of the Departments who have been asked by this Ministry to transact their work in Hindi ?

Shri Sham Nath: As I said just now, some work can be done in Hindi in such sections of offices located in Hindi speaking areas where 60% staff or more know Hindi.

Shri Hukam Chand Kuchhavaiya: Whether it is a fact that some officers have withdrawn the orders regarding use of Hindi in some offices ? If so, whether Government have investigated such cases and what action was taken against the concerned officers ?

Shri Sham Nath: There is nothing like it.

श्री श० ना० चतुर्वेदी : मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में विभिन्न रेलों के मुख्य कार्यालयों में क्या स्थिति है ? इन कार्यालयों में हिन्दी में टिप्पण लिखने की अनुमति है या नहीं ?

श्री शाम नाथ : वहां इसकी अनुमति है यदि निर्धारित शर्तें पूरी हों ।

Shri Kishen Pattnayak: Whether the Railway Ministry have independent rules for the use of Hindi or these are uniform in all the Ministries ?

Shri Sham Nath: We are acting on the instructions received from the Ministry of Home Affairs.

श्रीमती यशोदा रेड्डी : क्या ऐसे स्थानों में जहां हिन्दी का ज्ञान नहीं है तथा विशेषत: नीचे की श्रेणी के अधिकारी हिन्दी नहीं जानते हैं, वहां रेलवे मंत्रालय ने हिन्दी तथा अंग्रेज़ी में अनुदेश देने के अतिरिक्त प्रादेशिक भाषा का प्रयोग करने अथवा कम से कम ऐसी भाषा, जो वहां के लोगों को आती हो, का प्रयोग करने के लिये विशेष हिदायतें जारी की हैं ?

श्री शाम नाथ : मैंने अभी कहा कि ये हिदायतें हिन्दी-भाषी क्षेत्रों के अधिकारियों द्वारा हिन्दी के प्रयोग के ?

श्रीमती यशोदा रेड्डी : मैं नीचे की श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में पूछ रही हूं, अन्य के बारे में नहीं । उच्च श्रेणी के कर्मचारियों को हिन्दी आती हो लेकिन नीचे की श्रेणी के कर्मचारियों को अंग्रेज़ी अथवा हिन्दी न आती हो।

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : मैं नहीं समझता कि हम हिन्दी और अंग्रेज़ी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।

Shri Sinhasan Singh : It was stated the use of Hindi is permitted in such offices where 60% staff knows Hindi. So I want to know whether instructions will be issued for transacting the entire work in Hindi in the Gorakhpur, Headquarter of North Eastern Railway where 99% staff knows Hindi ?

Shri Sham Nath : The position at Gorakhpur is just the same as at other places. Gorakhpur is in Hindi area and there are such sections in which 60% people know Hindi and can do the work in Hindi.

Shri Prakash Vir Shastri : The hon. Deputy Minister stated in his reply that instructions exist that Hindi in addition to English should be used in correspondence with State Governments which have adopted Hindi as their official language. I want to know whether he has read out the information correctly because what does the use of Hindi in addition to English means ? When their official language is Hindi correspondence should be in Hindi though an English translation may be sent with it.

Shri Sham Nath : Reply is sent in Hindi with English translation thereof.

Shri Prakash Vir Shastri : Mr. Speaker, I meant the original text.

श्री कन्डप्पन : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि हिन्दी पत्रों के उत्तर हिन्दी में देने के लिये पर्याप्त व्यवस्था है । मैं जानना चाहूंगा कि तामिल अथवा किसी अन्य भारतीय राष्ट्रीय भाषा में प्राप्त हुए पत्रों के उत्तर देने के बारे में भी ऐसी व्यवस्था है ।

श्री शाम नाथ : जी, नहीं ।

Shri Ram Sewak Yadav : The hon. Minister has said that where the people can carry on their work in Hindi, they have the right to do so, but in view of the constitutional provision regarding the language, are the Ministry of Railways encouraging it that work should be done in Hindi at various places specially in Hindi-speaking areas ?

Shri Sham Nath : It is very clear from what I have stated just now that where there are such persons who know Hindi, they have been told that they can carry on the work in Hindi.

Shri Ram Sewak Yadav : Mr. Speaker, Sir, I.....

Mr. Speaker : Whatever he has stated is this much and if it does not serve his purpose, you please try some other means.

श्री दाजी : एक संसद सदस्य द्वारा सरकार का ध्यान मद्रास तथा अन्य स्थानों पर केवल हिन्दी में छपी हुई जारी की गई टिकटों की ओर दिलाया था । क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में पूछताछ की है और इस बारे में अपनी गलती को ठीक किया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह यहां बता दिया गया था कि यह गलत है ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार का विचार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को हमेशा के लिये यह स्पष्ट कर देने का है कि राज भाषा का प्रश्न एक प्रशासकीय प्रश्न है और कि यह धार्मिक पुनरुज्जीवन का प्रश्न नहीं है ?

श्री स० का० पाटिल : यह तो इस संसद ने निर्णय करना है ।

Shri Yashpal Singh : Has this come to the notice of the Government that high officials have issued orders to this effect that those employees who have started doing work in Hindi after 26th Jan., 1965, should do work in English instead of doing it in Hindi ? I have myself seen that order.

Shri Sham Nath : I have just said that there are two or three conditions according to which work is being carried on.

रेलवे औद्योगिक यूनिट

\+

*1107. **श्री तुला राम :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इलाहाबाद में दो बड़े रेलवे औद्योगिक यूनिट स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब और किस प्रयोजन के लिये ; और

(ग) इन दोनों परियोजनाओं पर कुल कितना व्यय होगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास नैनी में इस्पात की ढलाई के लिए एक कारखाना बनाने का विचार है । इस कारखाने में रेलवे चल-स्टाक के लिए प्रति वर्ष 10,000 टन इस्पात की ढलाई करने की क्षमता होगी ।

प्रायोजना से सम्बन्धित विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है और इसके लिए आवश्यक आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं । प्रायोजना की रिपोर्ट

तैयार होने और उसे अन्तिम रूप दिये जाने के बाद, आशा है, कारखाने से सम्बन्धित निर्माण-कार्य चौथी योजना के शुरू में प्रारम्भ हो जायेगा।

इस प्रायोजना पर कितनी लागत आयेगी, इस बात का पता प्रायोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद चलेगा। फिर भी परीक्षण और मोटे तौर पर किये गये अनुमान के अनुसार इस प्रायोजना पर लगभग 7 करोड़ की लागत की संभावना है।

भविष्य में रेलवे की होने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस कारखाने में गुंजाइश रखने का विचार भी है।

Shri Tula Ram: I want to know when the production will start and what will be the production capacity ?

Shri Sham Nath: As has been stated in the statement, the work on the proposed Steel Foundry at Naini is likely to be taken up in the beginning of 1967.

Shri Vishwa Nath Pandey: As the hon. Minister has stated in his statement that a detailed scheme is being formulated and that the industrial unit is likely to be taken up early in the Fourth Five Year Plan, may I know when the project report will be ready and whether any interim report has been received by the Ministry ; and if so, what are its details ?

Shri Sham Nath: As far as detailed project report is concerned, it is hoped that it will be submitted in the beginning of the next year and the Railway Board will, thereafter, take 5 to 6 months to examine it. In this way the decision will, perhaps, be taken on the report by the end of 1966 and the work will be started by 1967.

Shri Raghunath Singh: May I know the products which will be manufactured in the proposed Steel Foundry at Naini ?

Shri Sham Nath: Arrangements are being made for an initial production of 10,000 machined steel castings.

Shri Sheo Narain: How much expenditure is involved in it ?

Shri Sham Nath: The total expenditure will be Rs. 7 crores approximately.

इस्पात की उत्पादन लागत

\+

*1108. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रिय गुप्ता :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के कारखानों में इस्पात की उत्पादन-लागत मूल अनुमानों की तुलना में बहुत अधिक आती है ;

(ख) यदि हां तो विभिन्न किस्म के इस्पात की लागत कितनी अधिक है; और

(ग) यह लागत भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों की लागत की तुलना में तथा ब्रिटेन, रूस तथा अमरीका की औसत लागत की तुलना में कैसी है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). भिलाई और राउरकेला के एक मिलियन टन के प्रायोजना प्रतिवेदनों में दी गई एक टन इस्पात पिण्ड की अनुमानित विनिर्माण लागत और 1963–64 की वास्तविक विनिर्माण लागत नीचे दी गई है। दुर्गापुर इस्पात कारखाने के बारे में इस प्रकार की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि एक मिलियन टन की अवस्था के लिए विस्तृत लागत प्राक्कलन तैयार नहीं किए गए थे।

कारखाना	प्रायोजना प्रतिवेदन में दी गई विनिर्माण लागत	1963–64 की वास्तविक विनिर्माण लागत
राउरकेला	रुपये	रुपये
(क) ओ० एच० इन्गाट . .	184.43	257.95
(ख) एल० डी० इन्गाट . .	137.81	233.81
भिलाई	113.32	214.20

(ग) उत्पादक इस्पात के विभिन्न वर्गों की उत्पादन लागत से सम्बन्धित जानकारी को गोपनीय रखते हैं और साधारणत: इसे नहीं बताते हैं। इसलिए सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की वर्तमान उत्पादन लागत की भारत के निजी क्षेत्र के इस्पात कारखानों अथवा यू० के० सोवियत संघ तथा अमरीका की इस्पात कारखानों की उत्पादन लागत से तुलना नहीं की जा सकती। फिर भी सरकार के पास जो जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि 1963-64 में सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानो के पिण्ड-इस्पात और विक्रय इस्पाती उत्पादन लागत साधारणत: उतनी ही है जितनी कि भारत में निजी क्षेत्र में लगाए गए इस्पात कारखानों की।

श्री प्र० चं० बरुआ : इस्पात की उत्पादन-लागत मूल अनुमानों से इतनी अधिक होने के क्या मुख्य कारण हैं और इस लागत को कम करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं।

श्री प्र० चं० सठी : उत्पादन-लागत कच्चे माल की लागत में वृद्धि हो जाने के कारण अधिक है। हम ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे मूल्य कम होता जाये।

श्री प्र० चं० बरुआ : सरकारी क्षेत्र में इस्पात कारखानों से अब तक कुल कितनी हानि हुई है?

श्री प्र० चं० सेठी : यह प्रश्न इसमें से नहीं उठता है। मेरे पास यह जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

Strike by Workers of the Rajhara Iron Ore Mines

+

S.N.Q. 12. { **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Bade :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the workers of the Rajhara Iron Ore Mines of the Bhilai Steel Plant have been on strike for the last few days ;

(b) whether it is also a fact that the strike has been observed in support of the demand for an interim relief in wages as recommended by the Workers' Wage Commission ;

(c) whether it is also a fact that the increased rate of wages has not been given effect to in accordance with the recommendations of the aforesaid Wage Commission ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri P.C. Sethi) : (a) It is a fact that about 800 workers employed by a raising contractor at the Delhi-Rajhara Mines of the Bhilai Steel Plant struck work on 14th April, 1965. The strike, however, was called off on 25th April, 1965.

(b) to (d). It is alleged that the contractor has not paid wages according to the interim recommendations of the Wage Board for Iron Ore Mines. This was the main cause of the strike. The industrial dispute has been referred to arbitration under the Industrial Disputes Act in terms of an agreement entered into between the contractor and one of the unions.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : When this dispute was going on for the last 1½ or 2 years, what is the reason that Government have now taken a strong step and referred the dispute to arbitration—why no attention was paid to it 1 1/2 or 2 years back ?

Shri P.C. Sethi : No Sir, this dispute came to the notice of Bhilai Plant authorities only in March, 1965.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Last time, a contractor suffered some loss and ran away as a result of which about 1,000 labourers were put to loss. Is Government considering to keep some money of the contractors with it so that it could render reasonable help to the labourers with that money under such circumstances ?

Shri P. C. Sethi : Yes, Sir, we have withheld payment to the contractor..

Shri Prakash Vir Shastri : May I know the name of the President of the Bhilai Plant Labourers' Union and the loss incurred by the Government as a result of this strike ?

Shri P.C. Sethi : This strike was organised by labourers of a private contractor. There are two unions namely A.I.T.U.C. and I.N.T.U.C. This agreement to get this disputable question decided by arbitration has recently been entered into with the I.N.T.U.C.

श्री दाजी :श्रीमन्, मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री ने यह जानकारी कहां से प्राप्त की है। यह खानें सरकारी क्षेत्र में हैं। इतने दिन हड़ताल करने का कारण यह था कि मजूरी बोर्ड द्वारा दिये गये पंचाट को क्रियान्वित नहीं किया गया। एक अन्य कारण यह था कि एक ठेकेदार श्रमिकों की मजूरी लेकर भाग गया जिससे श्रमिकों को मजूरी नहीं मिली। अब एक मध्यस्थ को नियुक्त किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाना चाहती है कि इन खान क्षेत्रों में कार्य करने वाले सभी ठेकेदार सरकार द्वारा मजूरी बोर्ड की स्वीकृत सिफारिशों को तुरन्त क्रियान्वित करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो सरकार को ठेकेदारों को देय राशि में से इस राशि की कटौती करके श्रमिकों को देनी चाहिये।

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : मुझे पूर्ण आशा है कि भिलाई इस्पात कारखाने के अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिये कदम उठायेंगे। ठेके में यह भी एक खंड है कि ठेकेदार को न्यूनतम मजूरी देनी चाहिये। अतः वे इसे क्रियान्वित करेंगे। हम तो केवल इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ऐसा मध्यस्थ द्वारा कहा जाये।

श्री दाजी : इस मध्यस्थ निर्णय का प्रयोजन क्या है ? मजूरी बोर्ड ने पहले ही एक पंचाट दे दिया है। सरकार ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। ठेकेदार इसके अनुसार मजूरी नहीं देता है। आपने इस मामले को पुनः मध्यस्थ निर्णय के लिये भेज दिया है ? किस बात पर मध्यस्थ निर्णय लेना है ? पिछले $1\frac{1}{2}$ वर्षों से अधिक समय से ठेकेदार ने इसके अनुसार मजूरी नहीं दी है। आपने केवल राशि लेनी है और श्रमिकों को देनी है।

श्री संजीव रेड्डी : कुछ भी हो, कारखाने के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि श्रमिकों को वह सब भुगतान किया जायेगा जिस के लिये वे हकदार हैं। इससे अधिक और कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं केवल सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि ठेकेदार को मनाया जायेगा। राशि इस्पात कारखाने के अधिकारियों के पास है और हम श्रमिकों को मजूरी का भुगतान कर सकेंगे। किसी को भी हानि नहीं उठाने दी जायेगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग

*1099. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि लाइसेंसधारी व्यक्ति मोटर गाड़ियों के पुर्जों के आयात के लिए दिये गये लाइसेंसों का दुरुपयोग कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो 1964 में ऐसे कितने मामले पकड़े गये ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). 1964 में दो शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें दुरुपयोग किये जाने की बात कही गई थी । ये कम मूल्य वाले लाइसेंसों के बारे में थीं जिनका योग 19,200 रु० था ।

(ग) दो में से एक शिकायत निराधार पाई गई । दूसरी के बारे में अब भी जांच हो रही है ।

बेल्लारी-होस्पेट और बेलाडिला लौह अयस्क

*1109. **श्रीमती मैमूना सुल्तान:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेल्लारी हास्पेट क्षेत्र में लौह अयस्क के निक्षेपों का विकास करने तथा बेलाडिला में उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इन निक्षेपों से 1964 में लौह अयस्क का कितना उत्पादन हुआ और कितना निर्यात हुआ ; और

(घ) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इन निक्षेपों से लौह अयस्क का उत्पादन तथा निर्यात कितना बढ़ाया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी):(क) और (ख). बिल्लारी-होस्पेट में कच्चे लोहे के निक्षेपों का विस्तृत अन्वेषण प्रगति पर है । कच्चे लोहे की खनीकृत खान लगाकर इन संचयों के विकास का निश्चय कच्चे लोहे की मात्रा तथा श्रेणी का विस्तृत अध्ययन किए जाने के बाद ही लिया जायेगा ।

बेलाडिला के विषय में, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि० निक्षेप संख्या 14 पर आधारित कच्चे लोहे की खान का विकास कार्य कर रहा है जो जापान को निर्यात के लिये चार मिलियन टन बड़े परिमाण का कच्चा लोहा तैयार करेगी । निगम ने एक अन्य उपयुक्त निक्षेप के विकास के लिए भी एक योजना तैयार की है, जो कि अभी विचाराधीन है ।

(ग) जहां तक बेलाडिला का सम्बन्ध है, कच्चे लोहे के उत्पादन तथा 1964 में निर्यात का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि अभी खान व्यवस्थित नहीं हुई है । बिल्लारी-होस्पेट क्षेत्र में निजी खानों से कच्चे लोहे का उत्पादन 18.65 लाख मीटरी टन था जिसमें से 15.47 लाख मीटरी टन रेल द्वारा निर्यात किया गया ।

(घ) उपयुक्त (क) और (ख) के उत्तरों में दी गई स्थिति के कारण प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Prices of Cloth

*1110. **Dr. Ram Manohar Lohia:**
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Bagri:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of textile mills which have neutralised the reduction in excise duty by increasing the prices of cloth after the Budget speech of the Minister of Finance on the 27th February, as a result of which retail prices of cloth have gone up ;

(b) the action taken or proposed to be taken against such mills ;

(c) whether any measures have been taken to enable the consumers to have the benefit of reduction in excise duty ;

(d) if so, the details thereof ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S.V. Ramaswamy): (a) to (e). The ex-mill price and the retail price of controlled varieties of cloth are fixed statutorily, and no mill or dealer is at liberty to vary these prices upwards. Similarly, excise duty is also a statutory levy and cannot be varied. There is, therefore, no question of any mills being able to neutralise the reduction in excise duty by increasing the prices of controlled cloth. Due to reliefs announced in the budget, the prices of most of the controlled varieties of coarse and medium cloth have come down between 2% and 10% from 1st March, 1965, as compared to the pre-budget controlled prices of these varieties even after taking into account the marginal rise in the cotton multipliers.

आसाम में रेलवे भूमि से शरणार्थियों का हटाया जाना

*1111. **श्री प्रिय गुप्त :**
श्री अल्वारेस :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हेम बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने आसाम में पांडु, गोहाटी, नारंगी तथा अमीनगांव क्षेत्रों में गत 15 वर्षों से रेलवे भूमि पर बसे हुए लगभग 1500 शरणार्थी परिवारों को हटाने के लिए आदेश दिये हैं ;

(ख) क्या रेलवे प्रशासन ने इस शर्त पर बसने की अनुमति दी थी कि उससे रेलवे लाइनों के निर्माण कार्यक्रम में बाधा उपस्थित नहीं होगी ;

(ग) क्या नमें से कुछ परिवार रेलवे में नौकरी करते हैं जब कि अन्य पास में ही छोटा मोटा धंधा करके विभिन्न बाजारों में रेलवे कालोनी के निवासियों की आवश्यकतायें पूरी करते है ;

(घ) क्या "निवासियों की एसोसिएशन" पांडू ने सरकार के समक्ष अपना मामला रखा है, यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ङ) वैकल्पिक आवास की व्यवस्था किये बिना इन शरणार्थियों को वहां से हटाने का निर्णय करने का क्या कारण है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) जी नहीं । पांडु में रेलवे की जमीन का अतिक्रमण करने वाले केवल 546 परिवारों को हटने के लिये नोटिस दिए गए हैं । इनमें से 466 परिवारों ने रेलवे जमीन का अतिक्रमण 1961 के बाद किया था जब कि बाकी 80 परिवार और पहले से वहां अनधिवास कर रहे हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) हटाये जाने वाले परिवारों के रहने के लिए और भूमि पर पहले से बसे हुए कुछ परिवारों को परेशानी से बचाने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा अभिग्रहीत किये जाने वाले क्षेत्र में से कुछ प्लाट अलग कर दिये गये थे ।

(ङ) अतिक्रमण की गई भूमि रेलवे के विकास सम्बन्धी आवश्यक कार्यों के लिये चाहिये : 466 परिवारों ने 1961 के बाद अतिक्रमण किया है और बाकी 80 परिवारों को अभिग्रहण के समय कुछ मुआवजा दिया गया था और उन्हें उस जगह के लिए कहा गया था जो रेलवे क्षेत्र से अलग कर दी गयी थी और जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है ।

Export of Coal

*1112. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K.N. Tiwary :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Rameshwar Tantia :
Shri Yamuna Prasad Mandal :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have appointed a Committee to look into the work of promoting export of coal and to make suggestions to Government in this regard ;

(b) if so, the suggestions made by that Committee so far for stepping up the export of coal, and

(c) the extent to which the export of coal is likely to increase as a result thereof ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The Committee which is called the Study Group for coal has since had two meetings on the 22nd February, 1965, and 12th April, 1965; it will submit its Report within three months, if possible.

निर्यात-ऋण गारंटी योजना

*1113. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात-ऋण तथा गारण्टी निगम द्वारा चलाई जा रही योजना के अन्तर्गत निर्माताओं/निर्यातकर्ताओं को वित्तीय सहायता देने तथा देश का निर्यात बढ़ाने के लिए उपलब्ध 15 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का उपयोग नहीं किया गया है ;

(ख) क्या भारतीय निर्यातकर्ता इस आवर्तक विदेशी मुद्रा का उपयोग करने में शर्तें अनुकूल न होने के कारण हिचकिचाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उपयुक्त समायोजन करने के लिये निर्यातकर्ताओं तथा सरकारी निगमों को क्या सलाह दी गई है ताकि वे विश्व बाजार में प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकें ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग). निर्यातकों के लिये आवर्तक विदेशी विनियम उधार योजना को चलते हुए अब लगभग 6 महीने हो चुके हैं। योजना में शामिल होने वाले विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों ने 15 करोड़ रु० तक के विदेशी मुद्रा के उधार की व्यवस्था करने के लिए अपनी सम्मति दे दी है। अभी उनका अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है और इनकी वार्ता विभिन्न चरणों में चल रही है। वर्तमान प्रणाली के अनुसार उधार के प्रत्येक प्रकार के लिये भारत के रिजर्व बैंक की स्वीकृति होनी चाहिये। रिजर्व बैंक अब तक 2.4 करोड़ रु० के उधार के लिये स्वीकृति दे चुकी है ।

अब तक केवल दो आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और उन पर कार्रवाई की जा चुकी है।

यद्यपि योजना का भली प्रकार प्रचार किया गया है तथापि निम्न कारणों से इसकी सन्तोषजनक प्रगति नहीं हुई है :—

(1) योजना को चलते हुए अभी केवल कुछ महीने हुए हैं। सभी सम्बद्ध लोगों की समझ में आ जाने के लिए नई योजना को काफी समय लग जाता है।

(2) विदेशी साधनों से उधार व्यवस्था की वार्ता करने में बैंकों को कुछ समय लग जाता है।

(3) आवेदन-पत्रों की जांच-पड़ताल करने में भी बैंकों को कुछ समय लगता है ।

(4) ऋणों की ब्याज दरें ऊंची होती हैं क्योंकि विदेशों में बैंकों को ऊंची ब्याज दरों पर ऋण मिलते हैं ।

(5) प्रणालियों में देर लगती है और सरकार तथा रिजर्व बैंक की स्वीकृति कई स्तरों पर लेनी पड़ती है ।

काम में जल्दी करने की दृष्टि से योजना पर पुनर्विचार किया जा रहा है। आशा है छः महीनों में लोग जब योजना से अधिक मिल हो जायेंगे तथा प्रणाली अधिक संक्षिप्त हो जायगी तो इससे अधिक

लाभ उठाया जायेगा । यह भी समझ लेना चाहिये कि योजना का एक सीमित महत्व है जो दीर्घ-कलीन आधार पर होने वाले निश्चित निर्यात पर और बैंकों को ऐसे पार्टियों चुन लेने की इच्छा पर निर्भर करता है जिसके लिये वे विशेष विनियम ऋण देने को तैयार हों।

घटिया किस्म का कोयला

*1114. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री 4 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 358 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घटिया किस्म के कोयले को धातु-कर्मक कोक में बदलने की संभावना के सम्बन्ध में अमरीकी फर्म द्वारा किये गये अध्ययन तथा उससे प्राप्त स्पष्टीकरण का क्या परिणाम निकला; और

(ख) क्या इस परिवर्तन क्रिया को वाणिज्यिक आधार पर चलाने के लिए कोई प्रयास किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) अमरीका की फर्म से और सूचना प्राप्त की गई है और भारतीय पारंगतों के परामर्श से मामले की परीक्षा हुई है। यह पता चला है कि जिस विधि का विकास अमरीका में हुआ है, उसका परीक्षण अभी तक व्यावसायिक स्तर पर नहीं हुआ है । प्राप्त विवरण के आधार पर ऐसे संकेत हैं कि इस प्रकार जो कोक उत्पन्न किया जायेगा वह धातु-कार्मिक प्रयोग के लिये बहुत तेज पड़ेगा। हमारी एक अन्वेषणा प्रयोगशाला भी पिग-लोहे के उत्पादन के लिये नान-कोकिंग कोयले के निम्न तापमान कारबनीकरण द्वारा उत्पादित लो साफ्ट फरनेस कोक के प्रयोग की सम्भावनाओं को निश्चित करने के लिये परीक्षण कर रही है ।

Manufacture of Paper from Bagasse

1115. { **Shri Madhu Limaye :**
Shri Rameshwar Tantia :

Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to state :

(a) whether Government have sanctioned a scheme to manufacture paper from bagasse in Maharashtra ; and

(b) If so, the broad outline thereof and the type of paper that will be manufactured ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) and (b) : Yes, Sir. These schemes have been licensed/approved. A statement giving the details is placed on the Table of the House. **[Placed in the Library.** *See* **No. LT 4315/65]**

आसाम के लिये सामान की बुकिंग

*1116. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक रेलों ने आसाम को खाद्य पदार्थ तथा अन्य सामान की से बुकिंग बन्द कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) आसाम को फिर से सीधी बुकिंग कब तक आरम्भ किये जाने की आशा है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) आसाम के लिए सीधी बुकिंग का नियमन कोटा के आधार पर किया जाता है जो विभिन्न रेलों और प्रायोजक प्राधिकारियों, जिनमें आसाम सरकार के प्रायोजक प्राधिकारी शामिल हैं, के लिए नियत है ।

वेंलिगटन में एशिया तथा सुदरपूर्व के लिये आर्थिक आयोग सम्मेलन

*1117. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिए आर्थिक आयोग के सम्मेलन में, जो वेंलिगटन में हुआ था, राष्ट्रीय विकास योजनाओं के प्रादेशिक समन्वय सम्बन्धी संकल्प पर, जो भारत ने जापान, फिलीपीन और अन्य देशों के साथ मिल कर पेश किया था, विचार किया गया ;

(ख) क्या पूर्वी प्रदेश में हाल में हुए आर्थिक विकास की दर 1950 से 1965 तक हुए विकास की दर की अपेक्षा अस्थिर रही है ; और

(ग) उक्त प्रदेश में आर्थिक विकास को बढ़ाने तथा व्यापार को उदार बनाने के लिए एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिए आर्थिक आयोग ने किन उपायों की पुष्टि की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) एशिया तथा सुदूरपूर्व आर्थिक आयोग के सचिवालय द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार सुदूरपूर्व आर्थिक आयोग के क्षेत्र के अधिकांश विकासोन्मुख देशों में हाल ही के कुछ वर्षों में आर्थिक विकास की गति 1950 से 1959 की अपेक्षा धीमी रही है ।

(ग) इस क्षेत्र में आर्थिक विका स को बढावा देने तथा व्यापार को उदार बनाने के लिये एशिया तथा सूदूरपुर्व आर्थिक आयोग के अन्य विषयों के साथ निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की हैं

(1) सम्बद्ध देशों के योजना विशेषज्ञों का एक कार्यकारी वर्ग संयोजित किया जाना चाहिये जो प्रत्येक देश के विकास योजकों को दूसरे देशों की योजनाओं का लेखा जोखा लेने के लिये ठोस मार्ग बनाए ताकि वे परस्पर सहयोग से लाभ उठा सके ।

(2) बैंकाक में आर्थिक प्रायोजनाओं तथा कार्यक्रम के क्षेत्रीय केन्द्र को सुदृढ़ बनाने के लिये कार्यकारी सचिव को क्षेत्रीय सदस्य देशों का सहयोग प्राप्त करना चाहिये ताकि यह उन खण्डों और क्षेत्रों का, जिनमें विकास योजनाओं के और अधिक समन्वय से परस्पर लाभ तथा द्रुत आर्थिक विकास हो सकेगा, पुनरावलोकन करने में समर्थ हो सके ।

(3) क्षेत्र के बाहर के विकसित देशों था उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय वित्त तथा अन्य संस्थाओं के सहयोग से एशियाई विकास बैंक की स्थापना के प्रस्ताव पर कार्यकारी सचिव तथा सदस्य सरकारों को प्राथमिकता के आधार पर विचार करना चाहिये ।

(4) संयुक्त राष्ट्र के विस्तारित तथा नियमित कार्यक्रमों के अन्तर्गत इस क्षेत्र को उपलब्ध सहायता और संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट निधि के अन्तर्गत होने वाले आवंटन का परिमाण इतना बढ़ाया जाय कि वह प्रत्येक देश की आवश्यकताओं तथा क्षेत्रीय प्रायोजनाओं के तात्कालिक और दीर्घ अवधि के लक्ष्यों के अनुसार हो ।

(5) संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन तथा व्यापार तथा बिकास बोर्ड को संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन की उन सिफारिशों को जिनमें विकासोन्मुख देशों के व्यापार के विस्तार और द्रुत आर्थिक विकास का लक्ष्य है, प्रभावकारी तथा शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये तत्काल कदम उठाने चाहिये ।

(6) क्षेत्र के सभी देशों को अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार के विस्तार के लिये तथा इस व्यापार के विस्तार के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिये तत्काल उपाय सोचने चाहिये ।

कोयला के प्रयोग

*1118. **श्री मधु लिमये** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला के राष्ट्रीय वार्षिक उत्पादन में से कितना कोयला इस्पात के उत्पादन के लिये उपयुक्त है ;

(ख) इस में से कितना कितना धातुकर्मक) कोयला सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में निकाला जाता है ;

(ग) क्या रेलवे जैसे उद्योग इस (धातुकर्मक) कोयले का आवश्यकता से अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो किस अनुपात में ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) 1964-65 में कोयले के लगभग 62·40 मिलियन मीटरी टन के समस्त उत्पादन में से, 16·38 मिलियन मीटरी टन कोकिंग कोयला था जिसे धातुयुक्त उद्योगों में प्रयोग किया जा सकता है ।

(ख) 2·73 मिलियन मीटरी टन धातुयुक्त कोयला सरकारी क्षेत्र में उत्पादित हुआ और 13·65 मिलियन मीटरी टन गैर-सरकारी क्षेत्र में ।

(ग) और (घ) 1964-65 साल के दौरान में उपभोक्ताओं ने जैसे रेलवे, साफ्ट कोक निर्माता तथा कुछ अन्य उद्योगों ने लगभग 3·0 मिलियन मीटरी टन धातुयुक्त कोयला लिया । यह कोयला धातुयुक्त उद्योगों के लिए अतिरेक था ।

लघु उद्योग बोर्ड

2824 **श्री रामचन्द मलिक** : क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रत्येक राज्य में लघु उद्योग बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौर क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) केरल के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लघु उद्योग बोर्ड है। कुछ राज्यों में ये बोर्ड इस अर्थ में मिले-जुले हैं उद्योगों कि दस्तकारियों, ग्रामीण उद्योगों इत्यादि के बारे में सलाह देने के लिये एक बोर्ड लघु समिति बनाई गई है । इन बोडों / समितियों की रचना प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न होती है किन्तु सामान्य नमूना निम्न प्रकार है :—

उद्योग प्रभारी मंत्री अथवा उप मंत्री . .	अध्यक्ष
कुछ अधिकारी, जिनमें सचिव, उद्योग विभाग, सचिव, वित्त विभाग, उद्योग निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान इत्यादि शामिल है	सरकारी सदस्य
पांच या छः गैर-सरकारी सदस्य जो लघु उद्योगों/दस्तकारियों इत्यादि का प्रतिनिधित्व करेंगे .	गैर-सरकारी सदस्य
उद्योग निदेशक के कार्यालय का कम से कम संयुक्त निर्देशक के पद का एक अधिकारी	सचिव

औद्योगिक प्रदर्शनियां

2825. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सारे देश में छोटे तथा बड़े नगरों में अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिये 1963-64 और 1964-65 में कितनी राशि मंजूर की गई और

(ख) उपरोक्त अवधि में किन-किन स्थानों पर ऐसी प्रदर्शनियां आयोजित की गईं ।

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) 1963-65 की अवधि में भारत सरकार ने देश में किसी भी अखिल भारतीय उद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन नहीं किया है। आन्तरिक प्रदर्शनियों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि वे बहुत से स्थानों पर की गई है उनकी संख्या बहुत अधिक है।

उत्पादन व प्रशिक्षण केन्द्र

2826. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा राज्य में पिछले तीन वर्षों में कितने उत्पादन-व-प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये ; और

(ख) इस संबंध में उस राज्य को कुल कितनी राशि मंजूर की गई ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जायेगी। राज्य सरकारों को लिघ उद्योगों के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता प्रति वर्ष उन्हें इकट्ठी दी जाती है; भारत सरकार द्वारा निधियों का आवंटन योजना के अनुसार नहीं किया जाता है।

मध्य प्रदेश में खतरे की जंजीर खींचने की घटनायें

2827. **श्री लखमू भवानी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश से गुजरने वाली गाड़ियों में व्यवस्थिति रूप से खतरे की जंजीर खींचने की घटनाओं का कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

रलव मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी नहीं। ऐसी घटना के बारे में फिलहाल यह नहीं कहा जा सकता कि "संगठित रुप से खतरे की जंजीर खींची जाती है।"

(ख) सवाल नहीं उठता।

Hindi Examination

2828. **Shri Rananjai Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of officers and other employees in the Ministry of Railways who have passed 'Pragya' Hindi examination till now; and

(b) the number of officers and other employees among them who are required to work in Hindi?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath):

(a) 278.

(b) The number of officers and other employees among them who are using Hindi for noting on cases is about 140.

New Station on Allahabad-Faizabad Line.

2829. **Shri Rananjai Singh**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) when the construction of a new station between Khundaur and Piparpur on Allahabad-Faizabad line on Northern Railway will be completed;

(b) when the trains would begin to halt there; and

(c) the expenditure to be incurred thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath)

(a) The new station between Khundaur and Piparpur is expected to be completed early in 1966.

(b) From 1st April, 1966.

(c) Approximately Rs. 77,000/-

स्टेशन यार्डों का पुनर्निर्माण

2830. **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर रेलवे के रिवाड़ी क्षेत्र में स्टेशन यार्डों के पुनर्निर्माण तथा आधुनिकीकरण के बारे में क्या प्रस्ताव किये गये हैं;

(ख) प्रस्तावों की कार्यान्विति में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) अनकी अनुमनित लागत क्या है?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) से(ग) रेवाड़ी यार्ड के ढ़ांचे में परिवर्तन करने के बारे में फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि इस समय वहां जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वे निकट भविष्य में प्रत्याशित यातायत की सम्भालने के लिये पर्याप्त हैं।

केरल में ऊपरी रेलवे पुल

2831. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुनित्तुरा सड़क, एनार्कुलम, दक्षिण केरल में ऊपरी रेलवे पुल के निर्माण का कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ख) इस कार्य के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है और कार्य कब पूरा हो जायेगा;

(ग) क्या सरकार को पता है कि उक्त ऊपरी पुल के दक्षिण की ओर रहने वाले लोग ऊपरी पुल पर चार फुट चौड़े पैदल पथ के स्थान पर आठ फुट चौड़ी सड़क बनवाना चाहते हैं जैसा कि इस समय निर्माण किया गया है ;

(घ) क्या सरकार को इस बारे में कोई याचिका मिली है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) एर्नाकुलम साउथ (त्रिप्पूणित्तुरा रोड) के पास मील एस 66-16-17 पर वर्तमान समपार के बदले ऊपरी सड़क-पुल बनाने का काम पहले ही शुरू किया जा चुका है और इस सम्बन्ध में निर्माण-कार्य जारी है।

(ख) इस काम के लिए इस वर्ष 1,47,704 रुपये की रकम निर्धारित की गयी है और आशा है, यह काम 1966 के शुरू में पूरा हो जायेगा।

(ग) जी नहीं। स्वीकृत अनुमान के अनुसार 22 फुट चौड़ी सड़क और पैदल चलने वालों के लिए उसके दोनों ओर पांच फुट चौड़े रास्ते की व्यवस्था की जा रही है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) सवाल नहीं उठता।

नारियल जटा बोर्ड

2832. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एरणाकुलम में नारियल जटा बोर्ड की इमारत के निर्माण पर कुल कितनी राशि खर्च हुई है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : एरणाकुलम में नारियल जटा बोर्ड की इमारत बनाने के लिये केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास 4,31,172 रु० जमा कर दिये गये हैं। इनमें से 3,82,673 रु० सिविल निर्माण के लिये और 48,499 रु० बिजली लगाने के लिये हैं। इमारत बनाने पर अन्तिम रूप से जो वास्तविक खर्च आयेगा उसकी सूचना अभी केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग ने नहीं दी है।

दक्षिण रेलवे में सहकारी ऋण समितियां

2833. **श्री धर्मलिंगम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिण रेलवे में इस समय कितनी सहकारी ऋण समितियां और कितने सहकारी उपभोक्ता भण्डार कार्य कर रहे हैं; और

(ख) तीसरी योजना की शेष अवधि में और चौथी योजना अवधि में ऐसे कितने भण्डार खोलने का विचार है?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) :

(क)	सहकारी ऋण समितियां	3
	सहकारी उपभोक्ता भण्डार	70
(ख)	**तीसरी योजना की बाकी अविधि में**	
	सहकारी ऋण समितियां	कोई नहीं।
	सहकारी उपभोक्ता भण्डार	13
	चौथी योजना की अविधि में	
	सहकारी ऋण समितियां	कोई नहीं।
	सहकारी उपभोक्ता भण्डार	यदि तीसरी योजना की अवधि में कोई सहकारी उपभोक्ता भण्डार नहीं खोला गया तो इस काम को चौथी योजना में शामिल किया जायेगा

चमोली जिले को भूतत्वीय सर्वेक्षण

2834. **श्री राम हरख यादव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के चमोली जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रारम्भिक भूतत्वीय सर्वेक्षण कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला; और

(ग) प्रतिवेदन के कब तक प्रकाशित होने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) सर्वेक्षण से एनटीमनी, तांबा, सिक्का, जस्ता, संखिया धातु, कच्चा लोहा, एसबेस्टस चूना पत्थर और पाइराइट का पता चला है ।

(ग) अन्वेषण अभी जारी है। अन्वेषण समाप्त होने पर किये गये कार्य की रिपोर्ट तैयार की जायगी ।

ऊपर-नीचे दो बर्थ वाले डिब्बे

2835. **श्री राम हरख यादव** : क्या **रलव** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे पर लखनऊ, कानपुर, गोहाटी और बरौनी के बीच हाल में ऊपर-नीचे दो बर्थ वाले कुछ नये डिब्बे चलाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो पहले से प्रयोग किये जा रहे नीचे-ऊपर तीन बर्थ वाले डिब्बों की अपेक्षा इनके क्या लाभ हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां ।

(ख) दो टायर वाले शयन यानों की ऊपरी शायिकाओं पर प्लीओ-फोम के गद्दे लगा कर सोने की जगह की व्यवस्था की गयी है। तीन टायर वाले शयन यान की तुलना में दो टायर वाले शयन यान में आराम भी अधिक मिलता है, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही शायिकाएं होती हैं और ये शायिकाएं पास-पास नहीं होतीं, जैसी कि तीन टायर वाले डिब्बे में होती हैं।

सीमेंट में मिलावट

2835. **श्रीमती सावित्री निगम** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजधानी में और उत्तर प्रदेश में नवम्बर और दिसम्बर, 1964 में सीमेंट में मिलावट करने के कारण कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विमुधेन्द्र मिश्र) : सीमेंट में मिलावट करने के सन्देह में राजधानी में कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया था। उत्तर प्रदेश में सात व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे, जो अब जमानत पर है।

Exhibitions

2837. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri S. C. Samanta :
Shri R. S. Tiwary :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(*a*) the names of countries where the exibitions of Indian products were held during 1964-65 with the dates of exhibitions;

(*b*) the method by which the selection of products, which were displayed at those exibitions, was done;

(*c*) the articles which became popular in those exibi tions and the value of goods which were exported as a result there of; and

(*d*) whether there is a scheme for holding similar exhibitions during the next financial year, if so, the quantum of funds provided for the purpose ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): (*a*) A list of Trade Exhibitions/Fairs organized by or in which India participated during 1964-65 is placed on the Table of the House. (*Placed in Industry*. See *No. LT. 4316/65*.

(*b*) The products for display in Trade Fairs and Exhibitions abroad are selected on the basis of the recommendations of our Missions abroad and the Export Promotion Councils and Commodity Boards in India and in the light of a study of the pattern and possibilities of trade between India and the various countries in which the Exhibition are held.

(*c*) Amongst the articles which have become specially popular through our participation in Exhibitions abroad are: Engineering goods such as sewing machines, cycles, fans, batteries, electric motors, steel furniture, knitting machines machines and handtools etc., Textiles (Cotton, Rayon, Silk and Handloom), Handicrafts, Tea & Coffee, Food products, Minerals, Chemicals & Pharmaceuticals, Coir and Jute goods, Plastic goods etc.

As growth in exports is the result of an integrated scheme of several export promotion measures of which Exhibitions and Fairs are, no doubt, an essential part, it is not possible to state separately the vlue of goods exported as a result of Exhibitions.

(*d*) Yes, sir. The Funds provided in the Budget grants of the Commerce Ministry for Exhibitions/Fairs to be organised abroad by the Exhibition Directorate during 1965-66 is Rs. 131·14 lakhs and the Government have approve da grant-in-aid of Rs. 15·78 lakhs during 1965-66 to the Indian Council of Trade Fairs and Exhibitions in part assistance to meet the expenditure on Exhibitions/ Fairs abroad which are to be organised by this Council.

रेलवे डिब्बों में शव

2838. **श्री यशपाल सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1962 से 1965 तक की अवधि में अब तक उत्तर रेलवे पर रेलवे डिब्बों में कितने शव पाये गये ;

(ख) उनमें से कितने शव पहचाने गये और कितने नहीं पहचाने जा सके ;

(ग) कितने मामलों में अपराधी पकड़ लिये गये हैं ;

(घ) क्या रेलों पर ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं ; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) :

		1962	1963	1964	1965 (फरवरी तक)
(क)		59	78	92	15
(ख)	पहचाने गये शव	24	35	37	5
	न पहचाने गये शव	35	43	55	10
(ग)		—	—	1	1

(घ) मामली बढ़ती हुई है, लेकिन सभी रेलों पर नहीं।

(ङ) अधिकांश लोगों की मृत्यु स्वाभाविक कारणों से हुई, इसलिए किसी के अपराधी होने और उसका पता लगा कर गिरफ्तार करने का सवाल नहीं उठा। जहां तक अपराध की घटनाओं की वजह से होने वाली मौतों का सवाल है, रेल गाड़ियों और रेल परिसरों में ऐसी घटनाओं से लोगों की सुरक्षा करने और इस तरह की घटनाओं का पता लगाने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों के अधीन सरकारी रेलवे पुलिस का है। अपराध की घटनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए रेलवे सुरक्षा दल द्वारा सभी स्तरों पर सरकारी रेलवे पुलिस और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम किया जाता है। जब कभी अपराध की कोई गम्भीर घटना होती है और किसी क्षेत्र या गाड़ी में अपराध बढ़ जाते हैं, तो आवश्यक उपाय करने के लिए सरकारी रेलवे पुलिस और राज्य सरकारों का ध्यान तुरन्त इन घटनाओं की ओर दिलाया जाता है। इसके अलावा, सवारी डिब्बों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलों ने भी अपनी ओर से रोकथाम के कुछ उपाय किये हैं।

गाड़ियों के लिये बिजली के उपकरण

2839. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की रेलगाड़ियों के लिए भोपाल में हैवी इलैक्ट्रिकल्स् लि० में बने बिजली के उपकरण जांच करने पर ठीक पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रकार के उपकरण बनाये गये और बिजली की रेलगाड़ियों में लगा दिये गये; और

(ग) इससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक केवल एक प्रकार के यह 1500 वोल्टेज के डी० सी० बिजली से चलने वाली विभिन्न गाड़ियों के लिये एक उपकरण है।

(ग) अभी तक तीन सेट बनाकर लगाये जा चुके हैं जिससे लगभग 3 लाख रु० की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। चूंकि देशी हिस्से धीरे-धीरे बढ़ते जायेंगे, इसलिए अनुमान है कि 70 सेट बनाने में जिनके लिए आर्डर प्राप्त हो चुके हैं, कुल लगभग 122 लाख रु० की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकेगी।

उत्तर प्रदेश में कागज मिल

2840. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश में एक बड़ी मिल स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह मिल कहां खोली जायेगी; और

(ग) इसके कब चालू होने की संभावना है?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) तीन प्राइवेट पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में कागज की बड़ी मिलें स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

(ख) ये मिलें मेरठ, जनसठ (जिला मुजफ्फरनगर) और मुरादाबाद में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) चूंकि लाइसेंसधारियों ने अभी तक कागज मिलें स्थापित करने के बारे में कोई निश्चित प्रगति नहीं की है, इसलिये ये योजनाएं कब तक कार्यान्वित कीं जा सकेंगी, इसकी कोई ठीक ठीक अवधि बता सकना कठिन है।

नागपुर-इटारसी पेसन्जर गाड़ी

2841. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नागपुर–इटारसी सवारी गाड़ी का एक ड्राइवर ड्यूटी के समय गाड़ी को छोड़कर अपने ससुर से मिलने चला गया था;

(ख) क्या इस घटना की कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

रेल उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठता ।

हिमालय पर्वत

2842. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारतीय भूतत्ववेत्ताओं का क्या विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) प्राप्त सामग्री के आधार पर भौमिकीविज्ञों का विश्वास है कि हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। भारतीय भौमिकीविज्ञ भी इस विचार के पक्ष में हैं।

चित्तरंजन लोकोमोटिव कारखाना

2843. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चित्तरंजन लोकोमोटव कारखाने में सूरी किस्म के डीजल हाइड्रालिक लोकोमोटिव बनाने का है ।

(ख) यदि हां, तो इस समय कितने लोकोमोटिव बनाये जायेंगे; और

(ग) क्या इनके लिए कोई आर्डर प्राप्त हुआ है और किस प्रकार के लोकोमोटिव इंजनों का आर्डर प्राप्त हुआ है?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (ग) चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में बड़ी लाइन के 650 अश्व शक्ति वाले 30 (तीस) डीजल हाइड्रालिक शंटिंग इंजन बनाने का विचार है। इन्हें बनाने के लिए कारखाने को आर्डर दिया जा चुका है।

चित्तरंजन इंजन कारखाने में इंजन का हिस्सा यानी खांचा, निचला गियर और ऊपरी ढांचा आदि बनाये जाते हैं। पावर पैक, जिसमें डीजल इंजन, ट्रांसमिशन और सम्बन्धित सहायक उपस्कर शामिल हैं, विदेश से मंगाये जायेंगे और उनका संयोजन चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में किया जायेगा ।

पावर पैक के लिए पश्चिम जर्मनी के उद्योगों से टेण्डर मांगे गये हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) 15 रेल इंजनों के लिए 15 पावर पैक, जिनमें एम० डी० 435 टाइप के मेबैच डीजल इंजन और सहायक उपस्कर तथा सूरी हाइड्रो-यांत्रिक ट्रान्समिशन शामिल हैं; और

(2) 15 इंजनों के लिए 15 पावर पैक, जिनमें एम० डी० 435 टाइप के मेबैच डीजल इंजन और सहायक उपस्कर तथा सूरी हाइड्रो-यांत्रिक ट्रांसमिशन या कोई अन्य हाइड्रालिक/हाइड्रो-यांत्रिक ट्रांसमिशन शामिल हैं। चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में पश्चिम जर्मनी की दो फर्मों से टेंडर मिले हैं जिन पर अनुसन्धान खाका और मानक संगठन की सलाह से विचार किया जा रहा है। आशा है टेण्डरों के सम्बन्ध में जल्द ही अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा।

वर्तमान प्रत्याशा के आधार पर चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में इन इंजनों के निर्माण का जो कार्यक्रम तैयार किया गया है, वह इस प्रकार है :—

(1) 1966-67	11 रेल इंजन
(2) 1967-68	19 रेल इंजन

मैंगनीज तथा लौह अयस्क

2844. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा तथा बिहार में मैंगनीज तथा लौह-अयस्क खानों में 1964-65 में उत्पादन कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) बिहार और उड़ीसा दोनों राज्यों में कच्चे लोहे का उत्पादन पिछले वर्ष 1963-64 के मुकाबिले में 1964-65 वर्ष के दौरान में अधिक रहा।

मैंगनीज अयस्क के बारे में उड़ीसा राज्य में 1963-64 के मुकाबिले में 1964-65 में उत्पादन अधिक रहा जबकि बिहार राज्य में 1963-64 के मुकाबिले में 1964-65 के दौरान 161 मीटरी टन उत्पादन की सीमान्त कमी हुई।

उत्पादन के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

मीटरी टन में

धातु	राज्य	उत्पादन	
		1963-64	1964-65
मैंगनीज़ अयस्क	बिहार	23,776	23,615
	उड़ीसा . .	3,75,112	3,82,718
		(000 मीटरी टन में)	
कच्चा लोहा .	बिहार	3,499	3,515
	उड़ीसा . .	5,724	5,844

बिहार राज्य में 1963-64 के मुकाबिले में 1964-65 में 161 मीटरी टन उत्पादन की सीमान्त कमी का कारण था एक खान (गैर-सरकारी क्षेत्र) में उत्पादन कम कर देना ताकि वह अपने इस्पात प्लांट (गैर-सरकारी क्षेत्र में) की आवश्यकता के समरूप रहे।

(ग) उपर्लिखित (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

तीन पहिये वाली गाड़ियां

2845. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीन पहिये वाली गाड़ियां बनाने वाले उद्योग में उत्पादन कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

काली मिर्च के निर्यात भाव

2846. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964 के आखिरी महीनों में काली मिर्च के निर्यात मूल्य गिर गये थे; और

(ख) यदि हां, तो अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) भावों के उतार-चढ़ाव सीमान्त रहे हैं।

(ख) काली मिर्च निर्यातक निगम बनाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

हथकरघा बुनकर

2847. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में हथकरघा बुनकरों को आजकल सूत पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्यात को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) काउण्ट एन०-एफ० 36 और उससे कम (40 स० और उससे कम) के सूत की संभरण स्थिति सन्तोषजनक है। एन-एफ० 52/68/84 (60, 80 और 100 स०) के सूत का संभरण होने में कुछ कठिनाइयां हुई हैं।

(ख) बहुत बढ़िया सूत की बढ़ी हुई मांग।

(ग) नीचे लिखी कार्यवाही की गई है :—

(1) प्रत्येक मिल को प्रति मास गुण्डी के रूप में इतनी मात्रा में सूत पैक करना पड़ता है जो उसके द्वारा जून-जुलाई 62 के महीनों में गुण्डी के रूप में पैक किये गये सूत के औसत से कम नहीं होता।

(2) समस्त कताई मिलों को निदेश दिये गये हैं कि वे पैक किये जाने वाले काउण्ट एन-एफ० 50 और उस से बारीक सूत के 50 प्रतिशत भाग को गुण्डी के रूप में पैक करें, अर्थात् उस रूप में जिसमें कि हथ-करघा उद्योग उन्हें अपने यहां काम में लाने के लिये खरीदता है।

(3) कताई-बुनाई मिलों से कहा गया है कि वे अप्रैल-सितम्बर, 1963 में उनके द्वारा पैक किये गये प्रत्येक मिल के बहुत बारीक काउण्टों (एन-एफ० 50 से बढ़िया) के सूत के मासिक औसत के 25 प्रतिशत भाग को गुण्डी के रूप में पैक करें।

(4) बारीक काउण्टी के गुंडी में बंधे सूत का 65 प्रतिशत भाग अखिल भारतीय सूत वितरक योजनाओं के अन्तर्गत हथ-करघा उद्योग को देने के लिये ले लिया जाता है।

(5) सूत के बारीक काउण्टों का गुण्डी के रूप में उत्पादन बढ़ाने के लिये व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इसके लिये उद्योग को लम्बे रेशे की रुई उपयुक्त ढंग से अधिक मात्रा में काम में लाने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है और इन मिलों को रुई का आयात करने के लिये आवश्यक कोटे दिये जा रहे हैं।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड

2848. **श्री विद्या चरण शुक्ल :**
श्री चाण्डक :
श्री हुक्म चन्द कछवाच :
श्री प० ह० भील :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की एक इकाई खोलने के बारे में राज्य सरकार की प्रार्थना पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). यह निश्चय किया गया है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड को मशीनी औजार बनाने के लिये अपने नये कारखानों में से एक कारखाना मध्य प्रदेश में स्थापित करना चाहिये ।

उड़ीसा में औद्योगिक सहकारी समितियां

2849. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 जनवरी, 1965 को उड़ीसा में कितनी औद्योगिक सहकारी समितियां काम कर रही थीं और उनकी उत्पादन क्षमता क्या थी ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): उड़ीसा राज्य में 31 जनवरी, 1965 को 1,625 औद्योगिक सहकारी समितियां काम कर रही थीं जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 12 करोड़ रु० प्रति वर्ष के आस-पास है ।

मैंगनीज की खानों में उत्पादन

2850. **श्री प्र० चं० देव :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1962 और 1963 में मैंगनीज का निर्यात कम होने का कारण यह था कि उड़ीसा राज्य सरकार ने कानून का उल्लंघन करके रायल्टी वसूल करने के लिए उपरोक्त अवधि में उड़ीसा की कुछ मैंगनीज खानों के विरुद्ध आसेध कार्यवाही की थी और उस समय विवशतावश खानों से अयस्क के परिवहन सहित सभी खनन कार्य बन्द करना पड़ा था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) राज्य-वार मैंगनीज अयस्क के निर्यात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । तथापि रेल द्वारा उड़ीसा से मैंगनीज अयस्क का प्रेषण 1961 से 1964 तक निम्न प्रकार था ।

वर्ष	उत्पादन
1961	1,70,776 मीटरी टन
1962	1,02,494 मीटरी टन
1963	97,826 मीटरी टन
1964	2,02,520 मीटरी टन

उड़ीसा से 1961 और 1964 के मुकाबिले में 1962 और 1963 में प्रेषण कम था। तथापि 1962 में उड़ीसा में मैंगनीज़ अयस्क का उत्पादन 1961 से 1964 की चार साल की अवधि में सबसे अधिक था जैसा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	उत्पादन
1961	3,90,383 मीटरी टन
1962	4,60,510 मीटरी टन
1963	3,69,585 मीटरी टन
1964 . . .	3,92,523 मीटरी टन

यह सूचित किया गया है कि 1963 में थोड़ी कमी बाज़ार में मंदता, रेलवे पथिका का अभाव तथा खान मालिकों को वैगनों की अपर्याप्त प्रदाय के कारण थी न कि पट्टा-धारियों के विरुद्ध की गई किसी विनिग्रहण (डिस्ट्रेन्ट) कार्यवाही के कारण।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

यात्री सुविधायें

2851. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965–66 में दक्षिण-पूर्व रेलवे पर भद्रक से खुरद रोड के बीच रेलवे स्टेशन पर क्या यात्री सुविधायें प्रदान करने का विचार है; और

(ख) इस सम्बन्ध में कुल कितनी राशि मंजूर की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख). कार्यक्रम के अनुसार रेतंग स्टेशन पर बिजली लगाने का काम 1965–66 में शुरू किया जायेगा। इस काम की लागत 6,000 रुपये है।

इसके अलावा, भुवनेश्वर स्टेशन पर हाल ही में 7·56 लाख रुपये की लागत से जो इमारत बनायी गयी है उसमें निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है :—

(1) यात्री प्लेटफार्म।

(2) पहुंच-मार्ग।

(3) पुरुषों और महिलाओं के लिए तीसरे दर्जे का प्रतीक्षालय जिसमें शौचालयों की व्यवस्था भी की गयी है।

(4) पुरुषों और महिलाओं के लिए ऊंचे दर्जे का प्रतीक्षाकक्ष, जिसमें शौचालयों की व्यवस्था भी की गयी है।

(5) जलपान-गृह, जिनमें रसोई घर, पैंट्री, भण्डार घर और कैन्टीन की व्यवस्था शामिल है।

दक्षिण पूर्व रेलवे के स्टेशनों का विद्युतीकरण

2852. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1965–66 में खुर्दा रोड से भद्रक तक के बीच दक्षिण पूर्व रेलवे के किन-किन स्टेशनों पर बिजली की व्यवस्था की जायेगी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : मंचेश्वर और रेतंग।

दुर्गापुर में प्रदर्शनी

2853. **डा० सारादीश राय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों ने गत जनवरी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में दुर्गापुर में हुई प्रदर्शनी में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो प्रदर्शनी पर कुल कितनी लागत आई और उससे कितना लाभ हुआ; और

(ग) क्या रेलवे ने किसी अन्य राजनैतिक दल द्वारा अपने वार्षिक सम्मेलन में की गई प्रदर्शनी में कभी भाग लिया था। यदि हां, तो उसका नाम क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग 1,39,240 रुपये। इस प्रदर्शनी से भारी संख्या में आये हुए दर्शकों को यह बताने का सुअवसर मिला है कि रेलों ने देश के सामाजिक और आर्थिक जीवन में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद से उन्होंने किस तरह शानदार प्रगति की है।

(ग) जी नहीं।

दुर्गापुर इस्पात कारखाना

2854. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने में फरवरी, 1965 के अन्तिम सप्ताह में काम रोको हड़ताल हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस हड़ताल के क्या कारण थे और अन्त में किन शर्तों पर समझौता हुआ; और

(ग) क्या इससे इस्पात कारखाने के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) दुर्गापुर इस्पात कारखाने के एक अधिकारी पर कार्यालय के कुछ सहायकों ने प्रहार किया था और अधिकारी ने पुलिस में आपराधिक मामला दर्ज करा दिया। पुलिस सम्बन्धित सहायकों को पूछ-ताछ के लिए ले गई। इसके परिणामस्वरूप अनुसचिवीय कर्मचारियों ने काम-रोको हड़ताल कर दी। बाद में जब कार्यालय सहायकों ने उक्त अधिकारी से बिना शर्त माफी मांग ली और उसने यह बात मान ली कि वह मामले को आगे नहीं बढ़ायेगा तो हड़ताल खत्म कर दी गई।

(ग) जी, नहीं।

बोनाईगढ़ में कच्चे लोहे का कारखाना

2855. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनाईगढ़ उड़ीसा में कच्चे लोहे का एक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये कितने स्थानों का सर्वेक्षण किया गया था ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में स्थान का अन्तिम चुनाव कर लिया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग). सरकार चौथी योजना अवधि में कच्चे लोहे के उत्पादन हेतु धमन भट्टियाँ लगाने के लिए सम्भव स्थानों का सवयता-अध्ययन करवा रही है। इन अध्ययनों के लिए सुझाये गये क्षेत्रों में एक क्षेत्र बराजमदा-वाराकोट-बौनेगढ़-हीराकुड-तलचर है, जो उड़ीसा में स्थित है। शक्यता अध्ययनों के जून, 1965 क अन्त तक प्राप्त होने की सम्भावना है तदोपरांत कच्के लोहे का संयंत्र स्थापित करने के लिए स्थान के बार में अन्तिम निर्णय किया जायेगा।

शिशिक्षु रेलगाड़ी परीक्षक

2856. **श्री बाल्मीकी :**
श्री साधूराम :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे भ शिशिक्षु रेलगाड़ो परीक्षकों और शिशिक्षु मैकेनिकों तथा सहायक स्थायी रेलपथ निरीक्षकों और खण्ड निरीक्षकों के प्रशिक्षण अवधि तथा उसके पश्चात् के वजीफे और वेतनक्रमों में परस्पर असमानता है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख). जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4317/65।]**

Stones with Gold Elements

2857. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some stones with small grains of gold have been noticed in the course of excavations at Kotah Rawat Bahra dam site;

(b) whether it is also a fact that a company named 'Santab' has sent those stones abroad for testing; and

(c) if so, the action being taken by Government in this regard?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy) (a) and (b). No, Sir.

(c) Does not arise.

चेकोस्लोवाकिया के साथ सहयोग

2858. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :
श्री ल० ना० भंजदेव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से भारत में कुछ उद्योग स्थापित करने की संभावनाओं पर खोज करने के लिए भारत और चेकोस्लोवाकिया की सरकारों के अधिकारियों का एक संयुक्त आयोग स्थापित किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख). भारत सरकार तथा चेकोस्लोवाकिया की समाजवादी गणतन्त्र सरकार के कर्मचारियों का एक संयुक्त आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव है जो न केवल चेक सहयोग से भारत में उद्योग स्थापित करने की सम्भावनाओं की जांच-पड़ताल करेगा वरन् दोनों देशों के मध्य व्यापार बढ़ाने की, दोनों देशों के मध्य इंजीनियरी माल और रसायनों का आयात निर्यात करने, और दोनों देशों में उन वस्तुओं की उत्पादन क्षमतायें स्थापित करने की सम्भावनाएं सुझायेगा जिनकी दूसरे देश को आवश्यकता होगी। मूलभूत विचार दोनों देशों में कच्चे माल तथा प्रविधिक जानकारी को ध्यान में रखते हुए व्यापार और उत्पादन का आयोजन करना है। इस प्रकार यदि हम देश में उत्पादन क्षमता स्थापित कर सकें तो हम कमाया हुआ चमड़ा, चमड़े का तैयार माल, जूट से बना माल, जटा से बना माल, बहुत से बागान उत्पाद फलों के रस, कुछ रसायन, ट्रांज़िस्टर, तथा डायोड और ढली हुई वस्तुएं भेज सकेंगे। इसी प्रकार हम चेकोस्लोवाकिया से कच्चा

लोहा, औजारों का तथा मिश्रित इस्पात, मशीनी औजार अमोनियम सल्फेट और अलौह धातुएं ले सकेंगे। इस आयोग को स्थापित करने का कोई विस्तृत विवरण अभी तैयार नहीं हुआ है क्योंकि इससे पहले कई मंत्रालयों से परामर्श करना होगा।

बसोहली में चूने के पत्थर के निक्षेप

2859. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू की बसोहली तहसील में बानी क्षेत्र में अच्छी किस्म के चूने के पत्थर के भारी निक्षेप पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो निक्षेपों का अनुमान और उन्हें निकालने का कार्य-क्रम क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) :(क) 1962–63 में कथुआ जिले के बानी क्षेत्र में भारतीय भौमिकी विभाग ने एक सारेखिक सर्वेक्षण किया था। चूना पत्थर की केवल कुछ पतली पर्तें पाई गई थीं।

(ख) भारतीय भौमिकी विभाग ने कोई आंकलन नहीं बनाया।

Rail Accidents in Gujarat

2860. **Shri Madhu Limaye :**
Shri Kishan Pattnayak :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the statement of the Home Minister of Gujarat that during the last three years the rail accidents in Gujarat have taken the lives of 985 persons (182 women and 803 men);

(b) whether there is any variation between the figures of the State Government and of the Railway Administration in this connection ; and

(c) if so, the reason therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) (a) Yes.

(b) Yes.

(c) The discrepancy between the two sets of figures is chiefly on account of two reasons *viz.*, (i) cases of natural deaths and suicides unconnected with railway operation being included in the police records as having been caused by railway accidents, and (ii) persons injured in railway accidents and recorded as hurt grievously, expiring subsequently, being included in the police records as persons killed.

रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

2861. **श्री र० ना० रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1961 से 31 दिसम्बर, 1964 तक की अवधि में रेलवे कर्मचारियों के लिए खण्डवार कितने क्वार्टर बनाये गये :;

(ख) उन पर कितनी राशि व्यय की गई ;

(ग) उसी अवधि में राजपत्रित अधिकारियों के लिए कितने बंगले बनाये गये ;

(घ) उन पर कुल कितना खर्च किया गया ; और

(ङ) कितने प्रतिशत आवश्यक कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों की व्यवस्था कर दी गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (ड). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०--4318/65 ।**]

नैरो गेज हापर टाइप वैगन

2862. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री विद्या चरण शुक्ल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लदान व्यय को कम करने की दृष्टि से दक्षिण-पूर्व रेलवे में रांची में बने कुल कितने नैरो गेज हापर टाइप वैगनों को 1964 में "हाई लाइन" पर भेजा गया ;

(ख) बौक्साइट अयस्क के परिवहन के लिए रांची क्षेत्र में कुल कितने नैरो गेज हापर टाइप वैगन स्टाक में थे ;

(ग) क्या बौक्साइट अयस्क के लदान के लिए इण्डियन एल्यूमिनियम कम्पनी को छोड़ कर किसी अन्य कम्पनी को कुछ अतिरिक्त नैरो गेज हापर टाइप वैगन देने के बारे में कोई प्रस्ताव है ;

(घ) क्या व्यय को कम करने के लिए आगरा ईस्ट बैंक, मनडुआडीह धरारा, भागलपुर और गोन्डिया लदान केन्द्रों में खनिज, अयस्क और कोयले के लदान के लिए "हाई लाइन" लदान सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) मध्य रेलवे में धोरपुरी में यंत्रों द्वारा लदान की व्यवस्था करने से यदि कोई बचत हुई है तो वह कितनी है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) 12,226 माल डिब्बे ।

(ख) 135 माल डिब्बे ।

(ग) जी नहीं । इंडियन एल्यूमीनियम कम्पनी कोछोड़कर अन्य कम्पनियां छोटी लाइन के हापर किस्म के माल डिब्बे इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास मशीनों द्वारा माल-लदान की सुविधाएं नहीं हैं ।इस के अलावा ये कम्पनियां जिस बौक्साइट खनिज का उत्पादन करती हैं, उसका साइज 4 इंच से अधिक होता है जिसकी वजह से 'हाई लाइन' पर उसका यानान्तरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से बड़ी लाइन के माल डिब्बों को नुक्सान पहुंचेगा ।

(घ) मंडुआडीह स्टेशन पर कोयले के यानान्तरण के लिए गुरुत्व यानान्तरण (gravity transhipment) सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है । अन्य लदान स्थलों पर ऐसी व्यवस्था करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ङ) घोरपुरी स्टेशन पर मशीन द्वारा माल लादने-उतारने की व्यवस्था करने से खर्च में कोई बचत नहीं हुई है। इस स्टेशन पर यह व्यवस्था केवल प्रयोग के तौर पर शुरु की गयी थी।

Railway Parcel Booking Offices

2863. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri P. L. Barupal:
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Utiya :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railway Parcel Offices at Cannaught Place and Kutab Road in Delhi are not accepting parcels addressed in Hindi and whether he and other authorities concerned have received any complaints in this regard;

(b) whether it is also a fact that before the 26th January, 1965 these offices were accepting parcels addressed in Hindi.

(c) whether his Ministry issued any orders before 26th January, 1965 to the effect that in Railway offices in Hindi-Speaking areas work can be done in Hindi;

(d) whether his Ministry and any of its attached offices have issued order after 26th January, 1965 to the effect that traffic and coaching work at stations should not be done in Hindi; and

(e) if so, whether it does not contravene the constitutional provisions?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath)

(a) A complaint was received that the Railway Parcel Offices at Connaught Place and Kutab Road were not accepting parcels addressed in Hindi. Enquiries show that the complaint related to acceptance of forwarding notes written in Hindi. The City Booking Agency at Kutab Road had been accepting forwarding notes in Hindi, both before and after 26th January. In the case of the City Booking Agency at Connaught Place, a few forwarding notes written in Hindi only were not accepted when they were presented on 27th February, 1965, as there was none in the staff who knew HINDI, the sender being requested to translate the entries into English also.

(b) Even prior to 26th January, 1965 forwarding notes wirtten in Hindi only were being accepted at the City Booking Agency at Kutab Road, and this position continued even after 26th January. At the City Booking Agency at Connaught Place, forwarding notes in HINDI were not being accepted even prior to 26th January..

(c) No such orders wre issued in regard to work in Parcel Booking Offices.

(d) Certain documents, like Railway Receipts may go all over India from a particular station. It is necessary that such documents are intelligible to the destination station. On receipt of references from certain Railways pointing out the difficulties in delivering the goods on receipts written in Hindi only, instructions were issued to the Raiilway administrations on 9th February, 1965 that all railways receipts, parcel way bills, etc. (both for coachirg and

which have to go all over India should be written in English. These instructions have been clarified again, on 1st April, 1965, that in cases where Hindi is used in railway receipts, parcel way bills, etc. (both for coaching and goods), all entires must *also* be made in English, so that no difficulty arises at destination station.

(e) No.

दोरनाकल और भद्राचलम रोड के बीच अतिरिक्त रेलगाड़ी

2864. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड को दोरनाकल और भद्राचलम रोड के बीच एक अतिरिक्त रेलगाड़ी के चलने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस पर विचार कर लिया गया है ; और

(ग) इस पर किस प्रकार का निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (ग). ऐसा मालूम नहीं पड़ता कि अभी हाल में दोरनाकल और भद्राचलम रोड के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला हो ।

इस खण्ड के यातायात को देखते हुए वहां एक अतिरिक्त गाड़ी चलाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इस खण्ड पर चलने वाली मौजूदा गाड़ियों में जगहें खाली रहती हैं ।

भारी इंजीनियरी निगम, रांची

2865. **श्री ह० च० सोय:** क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी इंजीनियरी निगम, रांची में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कितने प्रतिशत पद रक्षित हैं और उनमें से कितने पद भरे गये हैं ; और

(ख) इन कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुविधायें देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र):(क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए न तो संख्या सम्बन्धी कोई निश्चित कोटा रखा गया है और न प्रतिशत ही निर्धारित किया गया है। फिर भी इन समुदायों के व्यक्तियों को रोजगार देने के मामले में तरजीह दी जाती है बशर्ते कि वे पदों के लिए अपेक्षित कम से कम मूलभूत अर्हताएं रखते हों ।

(ख) केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को प्रशिक्षण की सुविधाएं देने की कोई विशेष योजना नहीं है किन्तु कारपोरेशन के सेन्ट्रल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट में प्रशिक्षण देने के लिये मूलभूत अर्हताएं रखने वाले अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के उम्मीदवारों को तरजीह दी जाती है ।

किरीबुरु लौह अयस्क कारखाना

2866. **श्री ह० च० सोय** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किरीबुरु लौह अयस्क कारखाने तथा रूरकेला, दुर्गापुर तथा भिलाई इस्पात कारखानों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कितने पद सुरक्षित किये गये हैं और वे पद कितने प्रतिशत हैं और उन्हें कहां तक भरा गया है ; और

(ख) उन्हें प्रशिक्षण देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) :(क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

समस्तीपुर से खगरिया तक बड़ी लाइन

2867. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर में बरौनी तक वर्तमान बड़ी लाइन को बढ़ा कर खगरिया तक ले जाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का वर्तमान स्वरूप क्या है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम बनाया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

Khandwa-Dohad Railway Line

2868. **Shri Mahesh Dutta Misra:**
Shri J. P. Jyotishi:
Shri R. S. Pandey:
Shri Shiva Dutt Upadhayaya:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the residents of East Nimad and West Nimad area in Madhya Pradesh have repeatedly demanded for the construction of railway line between Khandwa and Dohad;

(b) whether Government are aware that this railway line will pass through the Advasis' territory and the forest region of Madhya Pradesh and will establish a direct link with Gujarat; and

(c) the steps being taken by Government in connection with such an important scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) to (b). Representations have been received from the people of the area for construction of a direct rail link between Khandwa and Dohad. Both Khandwa and Dohad are already connected by rail, and there are good roads in the area. Though the Madhya Pradesh Government had recommended construction of this rail link in both the Second and Third Five Year Plans, they had assigned

it only a very low priority. Within the limited funds available for construction of new lines, this project could not be included in the Plans. No surveys for such a direct rail link between Khandwa and Dohad have been carried out in the past. On a rough basis, such a link is likely to be about 200 miles long and may cost about Rs. 25 crores, involving, as it does, a crossing over Narmada river. It is doubtful if this costly scheme can find a place in the Fourth Plan either, in view of the funds likely to be available and the relative priorities amongst the new line projects.

Bombay-Howrah Janta Express Train

2869. **Shri Mahesh Dutta Misra:**
Shri R. S. Pandey:
Shri J. P. Jyotishi:
Shri Shiva Dutt Upadhayaya:
Shri A. S. Saigal:
Shri Hari Vishnu Kamath:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Bombay-Howrah Janta Express train runs *via* Bhusaval, Itarsi and Jabalpur and passes right through Madhya Pradesh only twice a week whereas the number of trains on this route is less and the number of passengers is more;

(b) whether the people of that area have repeatedly put forth the demand that the said train be run daily and that it should cover more stations on its way; and

(c) if so, the action proposed to be taken in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) It is a fact that the Bombay-Howrah Janta Expresses (via Allahabad) run twice a week. However, in addition to this biweekly Janta Express, a number of other Mail, Express and Passenger trains are also available on the various sections on the route of this train. While some trains are overcrowded others are not fully occupied.

(b) Representations have been received *inter alia* for increasing the frequency of the biweekly Janta Expresses to a daily service.

(c) There is no traffic justification for increasing the frequency of these trains at present nor requisite line capacity is available on this route for increasing the frequency to daily service. Provision of additional halts to these trains will decelerate them which is not desirable having regard to the larger interests of the long distance, through passengers using these trains.

आयात नीति

2870. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1965–66 को आयात नीति की घोषणा करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं जबकि प्रतिवर्ष साधारणत: इसकी घोषणा मार्च में की जाती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : आयात के लिए उपलब्ध मुक्त विदेशी मुद्रा की प्रमात्रा का अन्तिम निश्चय देर से होने के कारण 1965–66 की आयात नीति की घोषणा करने में देरी हुई है ।

Industrial Estates in Mysore

2871. **Shri Veerappa:** Will the Miniter of **Industry and Supply** be pleased to state:

(a) the number of industrial estates sanctioned for Mysore State during 1964-65; and

(b) the number of such estates proposed to be sanctioned during 1965-66?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra): (a) and (b). The information is being collected from the State Government and will be placed on the Table of the House.

बायलरों का निर्माण

2872. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :** क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस अमरीकी फर्म ने, जिसे भारत में 200 मेगावाट के बायलर बनाने के बारे में व्यावहारिकता प्रतिवेदन देने के लिए कहा गया था, अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) और (ख). जी, नहीं। इस प्रयोजन के लिए एक सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के बारे में करार को अंतिमरूप देने के लिये अमरीकी फर्म से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है ।

Manufacture of Tractors

2873. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Yudhvir Singh :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Sarjoo Pandey :

Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that a new tractor manufacturing factory will be set up in India during the next year with Soviet assistance;

(b) if so, the estimated cost thereof; and

(c) the location thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra): (a) to (c). Government of India have under consideration a proposal to establish a public sector project for the manufacture of medium sized agricultural tractors during the Fourth Plan. The details of this project are still to be worked out.

विदेशी मुद्रा में भुगतान द्वारा कारों का आवंटन

2874. **श्री अब्दुल रानी गौनी :** क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार विदेशी मुद्रा के बदले फिएट कारों का आवंटन न करके केवल एम्बेसेडर कारों का ही आवंटन करती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के कारण क्या हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). एम्बेसेडर और स्टैन्डर्ड हेराल्ड कारों का आवंटन विदेशी राष्ट्रजनों को उनके द्वारा देश में विदेशी मुद्रा जमा कराने पर प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। मांग और उपलब्ध संख्या के बीच अत्यधिक अन्तर को देखते हुए फियेट कारों का आवंटन इस क्रियाविधि के अनुसार नहीं किया जाता है ।

चुराये गये रेलवे सामान के तस्कर व्यापारी

2875. श्री राम हरख यादव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड का खुफिया पुलिस विभाग चुराये गये रेलवे सामान के चोरों तथा तस्कर व्यापारियों के एक गिरोह का पता लगाने में सफल हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे कर्मचारियों के भी इस गिरोह से सम्बद्ध होने के बारे में सूचना मिली है ; और

(ग) इस गिरोह को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां, लेकिन इसका पता रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय अपराध विभाग ने लगाया था ।

(ख) जी, हां ।

(ग) पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अधीन दो मामले छानबीन के लिए दर्ज कर लिये हैं। रेल प्रशासनों से कहा गया है कि वे इस तरह छापे मारने का आयोजन करें।

ट्रान्स रिसीवरों का निर्माण

2876. श्री राम हरख यादव : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिरक्षा मंत्रालय की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर ट्रान्स रिसीवरों का निर्माण करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): एक पार्टी को रक्षा मंत्रालय की आवश्यकता पूरी करने के लिये 1800 ट्रान्स रिसीवरों का प्रति वर्ष निर्माण करने के लिये लाइसेंस दे दिया गया है ।

पार्सल यातायात

2877. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प० ह० भील :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान कार्य-प्रणाली के अनुसार दिल्ली स्टेशन से पश्चिम रेलवे (बड़ी लाइन) के विभिन्न स्टेशनों को भेजे जाने वाले पार्सल निश्चित समय के अन्दर अपने गन्तव्य स्थानों पर नहीं पहुंचते हैं जिसके परिणामस्वरूप यातायात निजी सड़क परिवहन द्वारा होता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे प्रशासन इस लाइन पर कोई पार्सल गाड़ी चलाने का विचार कर रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो पार्सलों को गन्तव्य स्थानों पर शीघ्र भेजने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) अधिकांश पार्सल अपने गन्तव्य स्टेशनों पर निश्चित समय के अन्दर पहुंच रहे हैं ।

(ख) मथुरा और बड़ौदा तथा अहमदाबाद और ग्रान्ट रोड के बीच पहले से ही पार्सल गाड़ियां चल रही हैं । फिलहाल बड़ौदा-मथुरा पार्सल गाड़ी को दिल्ली तक बढ़ाना सम्भव नहीं है, क्योंकि इसके लिए इस खण्ड पर लाइन क्षमता नहीं है ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

Paddy lying at Coimbatore

2878. **Shri Yudhvir Singh :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 3300 bags of paddy are lying at Coimbatore Station and nobody is taking their delivery; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) and (b). A number of bags of rice booked from stations on Tiruchirappalli and Madurai divisions of Southern Railway to Coimbatore (M.G.) have been seized by the Police after payment of Railway dues, for alleged violation of Madras Government Food Movement Control Order, which came into force from 6th February, 1965. The total number of bags seized upto 15th April was 3,517. About 500 bags were still on hand.

बर्मा को चलचित्रों का निर्यात

2879. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बर्मा को भारतीय चलचित्रों का निर्यात करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए वहां एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य कौन-कौन होंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों तथा तिथि का अन्तिम रूप से अभी तक कोई निश्चय नहीं हुआ है ।

फिनलैंड से अखबारी कागज का आयात

2880. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
मश्रीती रेणुका बड़कटकी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत फिनलैंड के साथ द्विपक्षीय समझौता करने की संभावना का पता लगा रहा है जिसके अन्तर्गत अखबारी कागज का आयात करके उस के मूल्य का भुगतान काफी जैसी वस्तुओं का निर्यात करके किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) फिनलैण्ड से भारत में मुख्यत: अखबारी कागज, पैक करने तथा लपेटने का सादा कागज और बिजली की मशीनें आयात की जाती हैं। भारत से फिनलैण्ड को मुख्यत: इलायची, टाट, नारियल की सुतली और काफी का निर्यात किया जाता है । इसका सन्तुलन हमारे प्रतिकूल है। इसलिये हम फिनलैण्ड के साथ और अच्छी व्यापार व्यवस्था करने की सम्भावनाएं खोज रहे हैं ।

(ख) 13 से 17 मई 1965 तक भारत का दौरा करने के लिये फिनलैण्ड से एक व्यापार प्रतिनिधिमण्डल आ रहा है और आशा है कि इस अवसर पर व्यवस्था का विस्तृत विवरण अन्तिम-रूप से तय हो जायगा ।

फिल्मों का निर्यात

2881. **श्रीमती रेणका बड़कटकी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भारतीय फिल्मों का निर्यात करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) भारतीय फिल्में पहले से ही दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों को निर्यात की जा रही हैं और इस क्षेत्र में फिल्मों के निर्यात को प्रोत्साहन देने का कोई विशेष प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Applications in Hindi

2882. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri S. M. Banerjee:
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Naval Prabhakar:
Shri S. N. Chaturvedi:
Shri Vishram Prasad:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the staff working in various Railway offices have been forbidden to submit their applications or to sign in Hindi; and

(b) if so, the total number of such incidents that have occurred so far in different Railway Offices and the action taken or proposed to be taken in regard thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) No. Railway employees posted in Hindi speaking areas are permitted to submit their applications for leave etc. in Hindi, if they so desire.

(b) Does not arise.

Use of Hindi in Railway Offices

2883. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Kishen Pattnayak:
Shri S. M. Banerjee:
Shri Naval Prabhakar:
Shri S. N. Chaturvedi:
Shri Vishram Prasad:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of such divisions under different Railway Administrations as have forbidden in one way or the other the use of Hindi in official work in various offices under them;

(b) the number of orders forbidding the use of Hindi which have been issued during the past three months; and

(c) whether any action is being taken to cancel those orders ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) The use of Hindi in official work has not been forbidden on any Divisions of the Railways. In accordance with the existing instructions, the use of Hindi in noting on files is permitted in such sections of Railway offices, located in Hindi-speaking areas where 60% or more staff have a working knowledge of Hindi. Instructions also exist that communications received in Hindi should be replied to in Hindi and that Hindi, in addition to English, should be used in correspondence with the State Governments which have adopted Hindi as their official language.

(*b*) *and* (*c*). Do not arise.

Applications in Hindi

2884. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri S. M. Banerjee:
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Naval Prabhakar:
Shri S. N. Chaturvedi:
Shri Vishram Prasad:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(e) whether Railway employees are permitted to submit their applications and to sign on official documents in Hindi, if they so desire; and

(b) if not, whether any orders in this behalf are being issued ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) Railway employees posted in Hindi-speaking areas are permitted to submit if they so desire, applications for leave etc. in Hindi.

There is no objection to staff posted in Hindi-speaking areas signing in Hindi. No specific instructions, however, have so far been issued in this regard.

(b) Does not arise.

पूर्वोत्तर रेलवे पर गाड़ी में लूट की घटना

2885. **श्री विश्व नाथ पाण्डेय :**
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री विश्व नाथराय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे पर 277 अप भटनी–बरहज सवारी गाड़ी के तीसरी श्रेणी के एक डिब्बे में 8 अप्रैल, 1965 को कुछ लुटेरों ने पिस्तौल दिखा कर सहकारी समिति के एक लेखाकार (अकाउंटेंट) से 7000 रुपये लूट लिये तथा लेखाकार को चोट आई ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां ।

(ख) भटनी की सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395/397 के अधीन एक मामला दर्ज किया है और इसके बारे में जांच पड़ताल कर रही है । यात्रियों में विश्वास की भावना पैदा करने के उद्देश्य से इस खण्ड पर रात में चलने वाली सवारी गाड़ियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर दिये हैं । रेलवे सुरक्षा दल सरकारी रेलवे पुलिस की सक्रिय सहायता कर रहा है ।

रेल गाड़ियों और रेल परिसरों में अपराध की घटनाओं से लोगों की सुरक्षा करने और इस तरह की घटनाओं का पता लगाने का उत्तरदायित्व सरकारी रेलवे पुलिस और राज्य सरकार का है । लेकिन अपराध की घटनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए सभी स्तरों पर सरकारी रेलवे पुलिस के साथ मिल कर काम किया जाता है । जब कभी अपराध की कोई गंभीर घटना होती है और किसी क्षेत्र या गाड़ी में अपराध बढ़ जाते हैं, तो आवश्यक उपाय करने के लिए इन घटनाओं की ओर तुरन्त सरकारी रेलवे पुलिस का ध्यान दिलाया जाता है । इसके अलावा सवारी डिब्बों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलों ने भी अपनी ओर से रोक-थाम के उपाय किये हैं ।

Cement Bags

2886. **Shri Madhu Limaye:** Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 607 on the 26th March, 1965 and state:

(*a*) whether the Cement Companies are using the gunny bags (jute) for packing of cement more than once : ;

(*b*) if so, whether they are doing so at the instance of Government:

(c) the ratio of the loss of cement in using the bag for the second and third time; and

(d) the steps being taken by Government to stop this wastage ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra): (a) *and* (b) : Yes, Sir.

(c) The cement producers are expected to use only serviceable bags and therefore the loss of cement by using secondhand bags is insignificant.

(d) Does not arise.

विदेशी व्यापार संस्था

2887. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योग्यता प्राप्त कर्मचारी मिलने में कठिनाई होने के कारण भारतीय विदेशी व्यापार संस्था ने अपने कई महत्वपूर्ण कार्यों को कम कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो संस्था को मूल योजनाओं के अनुसार अपने कार्यों को बढ़ाने के योग्य बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कपड़े का निर्यात

2888. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम यूरोपीय देशों को कपड़े का निर्यात तेजी से कम हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें वें रामस्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठते ।

रामगढ़ कोयला खनन परियोजना

2889. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात कारखाने को धुला कोयला नहीं मिल सकेगा क्योंकि रामगढ़ कोयला खनन परियोजना को अमरीकी सहायता न मिलने के कारण परियोजना में विलम्ब हो सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नंगल डेम के रेलवे स्टेशन पर रेलवे की भूमि

2890. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री चुनी लाल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नंगल डैम के रेलवे स्टेशन पर रेलवे की सारी भूमि बेकार पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके विकास के लिए कोई सर्वेक्षण करने का विचार है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि नंगल डैम के रेलवे स्टेशन से जवाहर मार्केट की ओर जाने वाली सड़क अभी नहीं बनाई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी नहीं। केवल थोड़ी सी जमीन खाली है।

(ख) खाली जमीन में यातायात सम्बन्धी कुछ सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में पहले ही विचार किया जा रहा है।

(ग) रेलवे स्टेशन से शहर तक एक पहुंच-मार्ग पहले ही बना हुआ है। रेल प्रशासन शहरों के विभिन्न भागों या बाजारों के लिए सामान्यतः अलग-अलग पहुंच-मार्ग नहीं बनाते।

(घ) सवाल नहीं उठता।

उपभोक्ता सहकारी समितियां

2891. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री चुनीलाल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के कर्मचारियों द्वारा चलायी जा रही बहुत सी उपभोक्ता सहकारी समितियां उपभोक्ता वस्तुओं के न मिलने के कारण काम नहीं कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

समयोपरि भत्ता

2892. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री स० चं० सामान्त
श्री सुबोध हंसदा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे मुख्य कार्यालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों में काम

करने वाले कार्यालय क्लर्कों को कोई समयोपरि भत्ता नहीं दिया जाता है जबकि रेलवे मंत्रालय में काम करने वाले उनके प्रतिरूपी कर्मचारी इसके अधिकारी हैं ।

(ख) यदि हां, तो एक ही विभाग के कर्मचारियों के साथ इस भेदभाव के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस भेदभाव को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) उत्तर रेलवे के आफिस-क्लर्क भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अध्याय Vi--ए द्वारा शासित होते हैं । वे समयोपरि के लिए केवल तभी हकदार होते हैं जब उनके काम के घंटे अधिनियम में नियत घंटे से बढ़ जाते हैं ।

रेल मंत्रालय के सचिवालय में नियुक्त कर्मचारी एक भिन्न प्रकार के नियमों से शासित होते हैं । ये नियम अन्य सचिवालयों के कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं ।

(ख) और (ग) चूंकि ये दो तरह के कर्मचारी अलग अलग नियमों द्वारा शासित होते हैं, इसलिए भेद भाव बरतने का सवाल ही नहीं उठता ।

बोकारो इस्पात परियोजना

2893. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात परियोजना के निर्माण में हिन्दुस्तान स्टील वर्कस कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड से काफी सहयोग लिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो यह उपक्रम किस प्रकार का कार्य करेगा ; और

(ग) इसे और क्या निर्माण कार्य सौंपे जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क)से(ग) सरकार का उद्देश्य यह है कि आरम्भ में हिन्तुस्टान स्टीलवर्कस कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बोकारो इस्पात प्रायोजना का निर्माण कार्य करे और इस प्रायोजना का उतना अधिक से अधिक कार्य करें जितना ये सुविधापूर्वक कर सकते हैं। जब इस संगठन का विकास हो जाएगा और जब इसके पास फालतू क्षमता होगी तो सरकारी और निजी क्षेत्रों के दूसरे भारी निर्माण कार्यों को भी करेगी। जब इस नये संगठन का पूर्ण विकास हो जायेगा तब ये नया इस्पात कारखाना स्थापित करने अथवा वर्तमान इस्पात कारखानों का विस्तार सम्बन्धी प्रमुख निर्माण कार्य का पर्याप्त कार्य कर सकेगी।

सीमेंट निगम

2894. श्री धर्मलिंगन : क्या **उद्योग तथा संभरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित सीमेंट निगम कहां स्थापित किया जाना है ;

(ख) उसके स्थापित करने के लिये अन्य किन-किन स्थानों पर विचार किया गया है ; और

(ग) निगम को जिस स्थान पर स्थापित करने का निश्चय किया गया है वहीं स्थापित करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) दिल्ली।

(ख) गाजियाबाद।

(ग) चूंकि विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों से परामर्श करना आवश्यक होगा और प्रारम्भ में केन्द्रीय सरकार को बार-बार हवाला देना पड़ेगा, इसलिए यह महसूस किया गया था कि यदि फिलहाल अर्थात् दो या तीन वर्षों के लिए निगम की स्थापना दिल्ली में ही की जाती है तो उसके काम में बड़ी सहायता मिलेगी।

मद्रास तूतुक्कुडि छोटी लाइन

2895. **श्री धर्मलिंगम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे ने मद्रास-तूतुक्कुडि छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने पर यातायात बढ़ने की संभावना के बारे में जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां।

(ख) इस सम्बन्ध में आगे समुचित जांच होने तक रेलवे ने जो अनुमान लगाया हैं उसके अनुसार मद्रास–तिरुचिरापल्ली खण्ड (247 मील) और तिरुचिरापल्ली तूतुक्कुडि खण्ड (213 मील) को बड़ी लाइन में बदलने के काम पर क्रमश: लगभग 26 करोड़ और 16 करोड़ रुपये की लागत की संभावना है। यातायात के सम्बन्ध में रेलवे के प्रारम्भिक अनुमान और उसके द्वारा तैयार की गयी योजनाओं की आर्थिक क्षमता की जांच के साथ साथ रेलव बोर्ड विशेष रूप से रेल तथा सड़क परिवहन के बीच प्रतियोगिता के दीर्घकालीन प्रभावों को ध्यान में रख कर यातायात में वृद्धि के पूर्वानुमानों की जांच कर रहा है।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

2896. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की प्रबन्ध प्रणाली में कोई परिवर्तन करने का विचार है तो वे क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : राष्ट्रीय कोयला विकास निगम विभागीय ढांचे में कुछ परिवर्तनों पर विचार कर रहा हैं। अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है।

कोयला बोर्ड का ईंधन मितव्ययिता एकक

2896. **श्री रामेश्वर टांटिया**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला बोर्ड के इंधन मितव्ययिता एकक के कार्य प्रणाली तथा संगठन की रूप-रेखा क्या है ; और

(ख) आग जलाने के लिये तेल तथा कोयले के प्रयोग से होने वाली तुलनात्मक बचत के बारे में एकक द्वारा किये गये अध्ययनों के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) कोयला बोर्ड के अधीन ईंधन मितव्ययी एकक का मुख्य कार्य है मुख्य औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा लगाये गये, जलाने के उपकरणों के सन्दर्भ में, ईंधन की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना। इस अनुमान को आवश्यक कोयले की श्रेणी तथा परिमाप को ध्यान में रखकर लगाया जाना जरूरी है। यह एकक उपभोगी प्लांट के सुधरे चालन और संधारण तथा अन्य रीति जैसे उष्म विसंवाहन (इनसूलेशन), जल उपचार नष्ट ऊष्मा की पुनःप्राप्ति और माप के उचित प्रयोग द्वारा कोयले के दक्ष प्रयोग की तकनीकी सलाह देती है।

एकक का वर्तमान संगठन (जिसमें उसका कानपुर में स्थित निरीक्षालय शामिल है) निम्न प्रकार है :—

मुख्य दहन इंजीनियर	1
सहायक इंजीनियर	4
तकनीकी सहायक	4
वैयक्तिक सहायक (तकनीकी)	1
प्रयोगशाला सहायक	1
मानचित्रकार	1

आवश्यक मंत्रायक कर्मचारी भी दिये गये हैं।

(ख) बंबई और अहमदाबाद क्षेत्रों (कोयला क्षेत्रों से दूरस्थ) तथा कलकत्ते की औद्योगिक पट्टी में कोयला दहन की तुलना में ईंधन तेल की मितव्ययता का अध्ययन किया गया है। उसका निष्कर्ष है कि माप उत्पादन के लिये, कोयला का प्रयोग यदि सक्षम किया जाय तो ईंधन तेल की अपेक्षा अधिक मितव्ययी है।

कोयला सलाहकार परिषद की बैठक

2898. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले के उत्पादकों, व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों ने कोयला सलाहकार परिषद की हाल में हुई बैठक में मालडिब्बों के नियमित रूप से न मिलने, चार पहियों वाले डिब्बों की कमी तथा लदान के घंटों की अपर्याप्तता के बारे में शिकायत की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या मुख्य-मुख्य बातें कहीं गईं ; और

(ग) इस विषय में इस्पात और खान तथा रेलवे मंत्रालयों की प्रतिक्रिया क्या है?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम नाथ) : (क) से (ग). 23-3-1965 को कोयला सलाहकार परिषद् की पहली बैठक में कोयला उपादिकों के प्रतिनिधियों ने यह शिकायत की थी कि कोयला लादने के लिए पर्याप्त संख्या में और समय पर मालडिब्बे उन्हें नहीं दिये जाते और कोयले के लदान के लिए अनुमत समय-छूट अपर्याप्त होने के कारण कोयले का लदान सुचारू रूप से नहीं हो पाता।

2. रेल मंत्रालय की ओर से यह बतलाया गया था कि कोयला उद्योग को परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों के होने का एक प्रमुख कारण यह था कि कोयला उपभोक्ताओं ने

रेलों की मंदी के समय में अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कोयला मंगाकर अपने यहां इक्ठा कर लेने की कोशिश नहीं की। यदि वे इस मंदी का फायदा उठाते तो उन्हें परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयां न झेलनी पड़तीं। बाद के व्यस्त मौसम में मालडिब्बों की मांग बढ़ गयी खासतौर पर मुगलसराय से आगे की दिशा में उन मार्गों पर जिन पर कोयले का परिवहन कोटा के आधार पर होता है। कोयले की लदान के लिए वर्तमान अनुमत समय-छूट पर्याप्त है या नहीं, इसके सम्बन्ध में यह बतलाया गया कि निम्नलिखित मामलों में लदान के लिए अनुमत समय बजट में अतिरिक्त छूट दी गयी है।

(क) 20 बाक्स मालडिब्ब या अधिक के समूह के लदान के लिए	10 कार्य घंटे
(ख) 11 से 19 बाक्स मालडिब्बे के समूह के लदान के लिए	7 कार्य घंटे
(ग) जिन कोयला खानों में बंकर लगे हैं (1000 मीटरिक टन और इससे अधिक क्षमता वाले), उन्हें 42 और इससे अधिक डिब्बों वाले बाक्स रेकों में लदान के लिए	10 कार्य घंटे (दिन और रात)

इसके अलावा जहां पर लदान के लिए सरकारी अनुमत समय छूट 5 घंटे रखा गया है वहां वास्तव में यह होता है कि वहां अधिकांश कोयला खानें कोयले की लदान में 8 से 20 घंटे तक का अनुमत समय छूट ले लेती हैं फिर भी रेलवे के प्रतिनिधि वर्तमान अनुमत समय छूट नियमों पर पुनर्विचार करने के लिए सहमत हो गये और रेल मंत्रालय इस मामले पर विचार कर रहा है।

3. इस्पात, खान और रेल मंत्रालयों द्वारा कोयला उत्पादकों और व्यापारियों के प्रतिनिधियों के साथ 24-3-1965 को बुलायी गयी दूसरी बैठक में यह तय किया गया था कि पूर्व रेलवे के कोयला उपनियंत्रक (वितरण) और उपमुख्य परिचालन अधीक्षक, इन दो व्यक्तियों की कमेटी को बिना कन्ट्रोल वालें कोयल के लदान के कार्यक्रम के बारे में यह इत्मीनान करने के लिए छानबीन करनी चाहिए कि सभी प्रदेशों को कोयले की पर्याप्त सप्लाई संतुलित ढंग से की जाती है और लदान करने वाली रेलों द्वारा मुगलसराय से आगे पड़ने वाले विभिन्न प्रदेशों के जिलाधीषों द्वारा मनोनीत मध्यस्था द्वारा बनाये गये परिवहन कार्यक्रम को तरजीह दी जाती है। यह कमेटी वर्तमान पायलेट और जंकशन क्षमता का इस दृष्टि से पुनरीक्षण भी करेगी ताकि भविष्य की सम्भावित मांग के अनुसार इनके विस्तार का अलग-अलग चरणों में कार्यक्रम तैयार किया जा सके। इस कमेटी ने अप्रैल, 1965 से कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

कृषि वस्तुओं सम्बन्धी अध्ययन दल

2899. श्रीमती रेणुका बड़कटकी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यापार बोर्ड की निर्यात क्षेत्र समिति द्वारा नियुक्त किए गए कृषि वस्तुओं संबंधी अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिवेदन की एक प्रति संसद् पुस्तकालय में रख दी गई है । **देखिये संख्या एल० टी० 4319/65**]प्रतिवेदन के अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रकट करने वाला एक विवरण संलग्न है। 12 4-65 को कलकत्ते में हुई व्यापार बोर्ड की बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया गया था। बोर्ड का मत था कि विभिन्न सिफारिशों पर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिये। बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने एक कार्यकारी समिति नियुक्त करने का निश्चय किया है। इस से सम्बद्ध मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे । यह समिति सिफारिशों की जांच करेगी, चतुर्थ पंच वर्षीय योजना की रूपरेखा में उपयुक्त ढंग से रखे जा सकने वाले विविध प्रकार के वित्तीय और संगठन सम्बन्धी ढंगों का निर्धारण करेगी और अगली आवश्यक कार्रवाई करेगी ।

Hindi Typewriters

2900. **Shri Yashpal Singh :**
Shri Bhagwat Jha Azad:

Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that Hindi typewriters are not available i n the market even to meet Government's demands ; and

(b) if so, the action being taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra): (a) and (b). The introduction of the new Hindi keyboard led to some retardation in the supply of manufactured typewriters recently, but the position has since improved. One firm has already commenced production of typewriters with the new keyboard with effect from January, 1965 and has so far produced 2270 typewriters. Two other manufacturers are likely to commence production this year.

निर्यात के कनसार्टियम

2901. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक निर्यात के कितने सहयोग (कनसार्टियम) बनाए गये हैं ; और

(ख) उस का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). नीचे दिये गये सहयोग (कनसार्टियम) बनाये गये हैं :—

(1) एक कनसार्टियम योरपीय आर्थिक समुदाय के समस्त देशों को सूती वस्त्र निर्यात करने के लिये तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि फ्रांस, जर्मनी और आस्ट्रिया द्वारा स्वीकृत किये गये कोटों की पूर्त्ति विशेषत: की जाये ;

(2) एक कालीन कनसार्टियम जो कि हैम्बर्ग में एक कालीन भण्डार-गृह की स्थापना करेगा ;

(3) इस्पात निर्यातक संघ जिसके द्वारा मूल इस्पात का निर्यात किया जायेगा ;

(4) रोलिंग स्टाक उपकरण संघ जिसके द्वारा रेलवे उपकरणों का निर्यात किया जायेगा (पंजीकरण अभी नहीं हुआ) ;

(5) एक कनसार्टियम पारेषण पुर्जों के निर्यात के लिये ।

इसके अतिरिक्त फारस की खाड़ी स्थित स्थानों को केलों का निर्यात, महाराष्ट्र राज्य कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि० बम्बई और गुजरात राज्य कोआपरेटिव फ्रूट एण्ड वैजिटेबल मार्केटिंग फैडरेशन लि०, बारदौली, द्वारा किया जाता है ।

हकीमपुर के निकट एक मालगाड़ी का लूटा जाना

2902. **श्री किन्दर लाल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक सशस्त्र गिरोह ने 14 अप्रैल, 1965 को मुरादाबाद के पास हकीमपुर स्टेशन के निकट एक मालगाड़ी को लूटने का यत्न किया ;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). 14/15-4-1965 की रात में लगभग 10.30 बजे चलती गाड़ी में चोरी करने वाले अपराधियों के एक बदनाम गिरोह ने सिगनल के तारों से छेड़-छाड़ करके माल गाड़ी सं० एम 37 अप को हकीमपुर स्टेशन के बाहरी सिगनल पर रोक दिया । चोरी के सम्बन्ध में विभिन्न सूत्रों से जो गुप्त सूचनाएं इकट्ठी की गयी थीं उनके आधार पर रेलवे सुरक्षा दल के चार हथियारबन्द और दो बिना हथियार वाले रक्षकों का दल एक प्रधान रक्षक के नेतृत्व में तुरन्त गाड़ी की ओर दौड़ पड़ा । वह दल इस गाड़ी से पहले जाने वाली गाड़ी से हकीमपुर स्टेशन पर पहुंच गया था । उन्होंने देखा कि कुछ अपराधी एक माल-डिब्बे से पैकेज बाहर फेंक रहे हैं और कुछ बाहर खड़े हैं । जब सुरक्षादल के आदमियों ने अपराधियों को ललकारा तो वे ज्ञानपुर नामक एक गांव की ओर भाग गये । रेलवे सुरक्षा दल के आदमियों ने उनका पीछा किया । जिन अपराधियों के पास हथियार थे, उन्होंने रेलवे सुरक्षा दल पर गोलियां चलायीं । गोली की आवाज सुनकर के गाव वाले सुरक्षा दल की सहायत के लिए तुरन्त बाहर निकल पड़े । तीन अपराधियों को पकड़ लिया गया लेकिन बाकी तीन अपराधी बचकर निकल गये । बाद में, इन तीन अपराधियों में से दो को मुरादाबाद जिला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया । मुरादाबाद की सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379/307 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया है ।

आदि रूप (प्रोटोटाइप) निर्माण तथा प्रशिक्षण केन्द्र

2903. **श्री मणियंगाडन** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी की सरकार का विचार भारत में आदिरूप (प्रोटोटाइप)

निर्माण तथा प्रशिक्षण का एक नया केन्द्र स्थापित करने का है ;

(ख) भारत में इस समय ऐसे कितने केन्द्र हैं और वे कहां-कहां हैं ; और

(ग) क्या नये केन्द्र के स्थान के बारे में कोई निश्चय कर लिया गया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) इस समय तीन आदिरूप (प्रोटोटाइप) निर्माण तथा प्रशिक्षण केन्द्र क्रमशः राजकोट, ओखला, (नई दिल्ली) और हावड़ा में चल रहे हैं । ये केन्द्र क्रमशः अमरीका, पश्चिमी जर्मनी और जापान की सरकारों के सहयोग से स्थापित किये गये हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में सूक्ष्म माप यन्त्रों का कारखाना

2904. **श्री मणियंगाडन** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री 20 नवम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 214 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में प्रस्तावित सूक्ष्म माप यंत्र के कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): मेसर्स प्रोमाश एक्सपोर्ट, मास्को के पास से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई हैं और उसकी जांच की जा रही है ।

वर्धा में इस्पात की ढली वस्तुयें बनाने का कारखाना

2906. **श्रीमती मेमूना सुल्तान** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्धा (महाराष्ट्र) में इस्पात की ढली वस्तुएं बनाने का एक कारखाना खोलने के लिए हाल ही में भारत तथा चैकोस्लोवाकिया के बीच एक करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग). वर्धा में एक ढलाई-गढ़ाई संयंत्र की स्थापना करने के लिये एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के बारे में भारत सरकार तथा चैकोस्लोवाकिया के समाजवादी गणतन्त्र के बीच 25 मार्च, 1965 को एक करार किया गया था । इस संयंत्र की इस्पात और मिश्रित इस्पात की ढली हुई वस्तुएं बनाने की कुल वार्षिक क्षमता 12000 टन, इस्पात की गढ़ी हुई वस्तुएं बनाने की वार्षिक क्षमता 8,300 टन होगी, जिसमें मुड़े हुए नल और सांचे में ढाल कर बनी हुई वस्तुएं भी शामिल हैं । इस पर लगभग 15 करोड़ रु० की पूंजी लगने का अनुमान है । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिये 28.50 लाख रु० की रकम देनी होगी ।

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में प्रश्न

RE : CALLING ATTENTION NOTICE QUERY)

जंजीबार में भारतीयों तथा भारतीय उद्भव के लोगों की दशा

श्री नाथ पाई (राजापुर) : जंजीबार में भारतीयों तथा भारतीय उद्भव के लोगों की दशा की ओर ध्यान दिलाने वाली सूचना को पढ़ने से पूर्व मैं इससे भी अधिक महत्व-पूर्ण ध्यान दिलाने वाली अपनी सूचना के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो बियारबेट में कब्जा किये जाने के समाचार के सम्बन्ध में है . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को उस बारे में सूचित किया गया है ।

श्री नाथ पाई : मूझे इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना नहीं मिली है।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु यह विषय पहले लेना आवश्यक है क्योंकि यह सभा के कार्य-सूची में रखा गया है ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGFNT PUBLIC IMPORTANCE

जंजीबार में भारतीयों तथा भारतीय उद्भन के लोगों की दशा

श्री नाथ-पाई (राजापुर) : मैं वैदेशिक कार्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"जंजीबार में भारतीयों तथा भारतीय उद्भव के लोगों की दशा"

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : जनवरी 1964 से जब से ज़ंज़ीबार में क्रांति हुई है, सरकार ने उस द्वीप में उत्पादन के साधनों को अधिकार में लेने के लिए क़दम उठाए हैं । इस तरह सारी भूमि का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है, और लौंग तथा नारियल के बाग़ान अधिकार में ले लिए गए हैं। हाल ही में 19 फैक्ट्रियों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया है । इन उपायों का असर प्रवासियों पर पड़ा है जिनमें भारतीय मूलक लोग शामिल हैं, क्योंकि वे भी ज़मीन तथा उत्पादन के अन्य साधनों के मालिक थे ।

राष्ट्रीयकरण के उपाय समान रूप से लागू किए गए हैं, चाहे उनके मालिक किसी भी जाति या राष्ट्रीयता के हों ।

हम मानते हैं कि स्वाधीन राज्य का यह प्रभुसत्तात्मक अधिकार है कि वह अपनी सीमाओं के अन्दर संपत्ति की मिल्कियत से संबद्ध कानून बनाए । इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीयकरण के उपायों का जिन लोगों पर असर पड़ा है, वे या तो ज़ंज़ीबार के राष्ट्रिक हैं अथवा वे लोग हैं जिनके पास यूनाइटेड किंग्डम और उपनिवेशों के पासपोर्ट हैं। ज़ंज़ीबार में भारतीयों की संख्या 350 के लगभग है, जिनमें से अधिकांश लोग नौकरी करते हैं।

टेन्ज़ानिया में हमारा प्रतिनिधि ज़ंज़ीबार और दार-अस-सलाम के नेताओं से मिलता रहा है और भारतमूलक लोगों की कठिनाइयों को मानवता के आधार पर उनके सम्मुख रखता रहा है ताकि वह दूर की जा सकें ।

श्री नाथ पाई : सरकार का ध्यान हम इस बात की ओर दिला रहे हैं कि जिस दिन तंजानियां के उच्च आयुक्त ने भारत के राष्ट्रपति को अपने बारे में परिचय-पत्र प्रस्तुत किये थे। दिल्ली के दो प्रमुख समाचार पत्रों ने नैरोबी में प्रकाशित समाचारों के आधार पर तंज़ानियां, विशेषकर जंजीबार में भारतीय-मूलक नागरिकों की वेदनाओं की मर्म-भेदी कहानियां प्रकाशित की । क्या उनके घरों में रात के समय छापे मारना और उन्हें शारीरक कष्ट देना और अपनी प्रजा का तिरस्कार तथा अपमान करना ही एक स्वाधीन राज्य का प्रभुसत्तात्मक अधिकार है? क्या सरकार का ध्यान इन घटनाओं की ओर दिलाया गया है? यदि हां, तो वह स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही कर रह है?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी है कि वे हमारे नहीं अपितु तंजानियां के नागरिक हैं।

श्री नाथ पाई : तब आप दक्षिण अफ्रीका में स्थित भारतीयों के लिए क्यों लड़ते हैं ?

श्री दिनेश सिंह : इस विशिष्ट मामले में, जैसा कि मैंने कहा है कि हम मानते हैं कि स्वाधीन राज्य का यह प्रभुसत्तात्मक अधिकार है कि वह अपनी सीमाओं के अन्दर सम्पत्ति के सम्बन्ध में कानून विनियमित करे ।

श्री नाथ पाई : श्रीमान्, हमें सरकार से सहानुभूति है कि इस समस्या को कानूनी तौर पर हल करना कठिन है । किन्तु दक्षिण अफ्रीका में स्थित भारत मूलक नागरिकों के लिए सरकार किस आधार पर आन्दोलन करती है?

श्री दिनेश सिंह : हमने अपनी स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से बता दिया है । माननीय सदस्य को भली-भांति विदित है कि हमने दक्षिण अफ्रीका में स्थित भारतीयों का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में पेश किया हुआ है । इस विशिष्ट मामले के सम्बन्ध में, जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में बताया है, मानवता के आधार पर इस मामले के सम्बन्ध में तंजानियां की सरकार से बातचीत कर रहे हैं।

श्री दाजी (इन्दौर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्री नाथपाई ने भारतीय मूलक नागरिकों की मर्मभेदी कहानियों के बारे में जो प्रश्न किया था, मंत्री महोदय ने उसका उत्तर नहीं दिया । क्या सरकार को इन बातों की जानकारी है, क्या ये बातें सच हैं, यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई विरोध पत्र भेजा है?

श्री दिनेश सिंह : किसी अन्य देश की विधि और व्यवस्था के प्रश्न पर विचार करना हमारे लिए बहुत कठिन है, माननीय सदस्य ने रात के समय छापे मारे जाने की घटनाओं का उल्लेख किया है । यह केवल विधि तथा व्यवस्था का प्रश्न है, और हम उस पर किसी प्रकार भी विचार नहीं कर सकते। जहां तक विदेशों में स्थित नागरिकों को संरक्षण देने की कुछ सीमा तक जिम्मेदारी का प्रश्न है, जंजीबार में स्थित 350 व्यक्तियों से हमें इस प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं मिली है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : May I know whether Hindus were particularly the victims of atrocities and sufferings in Zanzibar and what is the total amount of loss of life and property ?

Shri Dinesh Singh : I do not know whether the hon. Member is aware of the fact that the majority of citizens of Indian origin in Zanzibar is Mohamadans. So far as the second part of the question is concerned, we are today dealing with the nationalisation of the property. We have an estimate of the property that has been nationalized, but I do not know if it would be desirable for me to give it here because this estimate has been made by the people concerned and it may prejudice their case in asking for compensation.

श्री कृष्णपाल सिंह (जलेसर) : क्या जंजीबार में गत क्रान्ति में भारतीय-मूलक लोग मारे गये हैं; यदि हां, तो क्या हमारी सरकार ने उस सरकार को कोई विरोध-पत्र भेजा है अथवा उस से मृत व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए कहा है ?

श्री दिनेश सिंह : मैंने सम्पत्ति की क्षति तथा क्रान्ति के बाद की तकलीफ़ के बारे में कुछ ब्यौरा दिया है । चूंकि यह एक भिन्न प्रश्न है, इसलिए मैं इस समय इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता । किसी भारतीय नागरिक की जान गई हो, ऐसी कोई घटना मुझे याद नहीं है ।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : May I know whether Government of India have lodged any protest with the Government of Zanzibar asking them to compensate those people whose factories were nationalised, and if so, whether they have received any communication from that Government in reply thereto ?

Shri Dinesh Singh : This is a matter which concerns the Government and citizens of that country.

Shri Gulshan (Bhatinda): May I know whether all the property of Indians in Zanzibar, other than the factories already natinalised, has been confiscated ?

Shri Dinesh Singh : The nationalisation of Indian's property has not been effected at all. Some property of the people of Indian origin has been nationalised. So far as we know, they are in possession of their houses and some property as well.

Shri Prakash Vir Shashtri (Bijnor) : The hon. Minister has stated that it was a matter of law and order there as such they cannot take up this issue. The situation today is that the people of Indian origin in Zanzibar have to suffer loss in men and money and sufferings have come to them after the nationalisation or confiscation of thier property I want to know whether the people of Indian origin acquired the nationality of that country in consultation with the Government of India and if so, on what jusfitification the Government of India can escape their responsibility when they have become the victims of atrocities and sufferings today ?

Shri Dinesh Singh : This question has been discussed several times in this House. We do not have political relationship with the people of Indian

origin who have settled in foreign countries, hence the question of seeking or giving advice does not arise t all. We desire to go there and we want them to come here with a view to maintain our cultural relations. We have not advised any one to acquire or not to acquire the nationality of that country, and they have done it of their own accords.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrulkhabad) : I had drawn the attention to this matter several months back, by way of giving notices of Adjournment motions, Call Attention Notices etc. But to my utter surprise, I do not find my name in the list before you. What I want to say is that the people of Indian origin who are being expelled from Zanzibar today or those likely to be dis- South Africa in not too-distant future are not left in a position placed from placed from their belongings due to the stringent restrictions imposed on them through custom-laws.

Mr. Speaker : I shall find out as to why the name of Dr. Lohia has not been clubbed with those of other members who have tabled the Call Atten-tion Notices on the matter and I shall intimate him about it.

स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं क बारे में

RE : MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICES

कच्छ सीमा की स्थिति

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदस्यों से आज कई स्थगन प्रस्ताव तथा कई ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं मिली हैं। ये सूचनाएं तथा प्रस्ताव कच्छ में भारतीय सीमा पर स्थित चौकियों पर कब्जा किये जाने, और युद्ध-विराम प्रस्तावों के समाचार के बारे में हैं।

मुझे यह सूचना मिली है कि प्रधान मंत्री एक वक्तव्य दे रहे हैं। मैं इन्हें केवल प्रधान मंत्री के वक्तव्य सुनने के बाद ही लूंगा।

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): मैं युद्ध-विराम प्रस्तावों के बारे म एक संक्षिप्त वक्तव्य दूंगा। जैसाकि सभा को याद होगा कि मैंने बुधवार को इस बात का संकेत दिया था कि कुछ मित्र देश इस का प्रयत्न कर रहे हैं कि कच्छ सीमा पर चल रहा युद्ध बन्द हो जाये। इस सम्बन्ध में इंगलैंड के प्रधान मंत्री श्री हैरल्ड विल्सन ने मुख्य तथा औपचारिक पहल लेकर मुझे और प्रैसिडेंट अय्यूब को एक ही समय पत्र लिख कर एक संदेश भेजा।

इस समय एक ओर इंगलैंड और दूसरी ओर पाकिस्तान तथा भारत के बीच इस मामले में बातचीत चल रही है अतः इंगलैंड द्वारा रखे गये प्रस्तावों का ब्यौरा देना लोक-हित की दृष्टि से वांछनीय नहीं होगा। तथापि मैं सभा को यह विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जायेगा जो कि इस सभा द्वारा अनुमोदित नीति के विरूद्ध हो।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि प्रतिरक्षा मंत्री भी कोई वक्तव्य देना चाहते हैं।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): मैं अध्यक्ष महोदय तथा इस सभा से कच्छ के रन्न में चल रही सैनिक कार्यवाही के सिलसिले में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इस समय जबकि वहां सैनिक कार्यवाही चल रही है, हर कार्यवाही के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देना सुरक्षा की दृष्टि से वांछनीय नहीं है।

पाकिस्तान के समाचार पत्र गलत प्रचार कर रहे हैं और हमें उनके द्वारा किये जा रहे इस गलत प्रचार से प्रभावित नहीं हो जाना चाहिए। मेरा अभिप्राय किसी तथ्य को इस सभा से छिपाने का नहीं है। मैं सभा को विश्वास में लेकर इस बारे में और भी अधिक विस्तृत जानकारी देते रहूंगा। किन्तु मेरा केवल यह निवेदन है कि वक्तव्य अथवा जानकारी देने के लिए मुझे समय की छूट दी जाए।

श्री रंगा (चित्तूर): हमने प्रधान मंत्री महोदय से यह निवेदन किया था कि वह सभा को विश्वास में लेकर इस सम्बन्ध में और अधिक जानकारी दें किन्तु ऐसा करना उनके लिए सम्भव नहीं हो सका। इसके पश्चात् हमने उनसे यह अनुरोध किया कि वह हम में से कुछ सदस्यों को विश्वास में लेकर शुरू से लेकर आज तक की घटनाओं के बारे में वास्तविक जानकारी दें ताकि हम स्थिति के बारे में अवगत हो जाने पर केवल अत्यावश्यक प्रश्न ही पूछें। किन्तु उन्होंने वैसा भी नहीं किया। अब उनके प्रतिरक्षा मंत्री सभा से अनुरोध करते हैं कि वह सभा को विश्वास में लेकर इस सम्बन्ध में और भी विस्तृत जानकारी देते रहेंगे किन्तु वक्तव्य अथवा जानकारी देने के लिए केवल उन्हें समय की छूट दी जाए।

क्या प्रतिरक्षा मंत्री तथा प्रधान मंत्री के लिए गत अवसर की भांति इस समय भी यह उचित नहीं है कि वे विभिन्न दलों के नेताओं को पूर्ण रूपण विश्वास में लेकर उन्हें आमंत्रित करें और उन्हें इस सम्बन्ध में जानकारी दें तथा यदि आवश्यक हो तो, उनकी राय भी लें ?

इसके पश्चात्, जहां तक इस समय चल रही वार्ता का सम्बन्ध है, इंगलैंड के प्रधान मंत्री द्वारा इस बारे में रखे गये प्रस्तावों की वास्तविक रूपरेखा क्या है ? क्या मंत्रिमंडल के सदस्यों को इन प्रस्तावों के बारे में जानकारी है ? क्या हमें खुश करने के लिए तब बुलाया जायगा जबकि प्रधान मंत्री तथा मंत्रिमंडल उन पर कोई निर्णय ले लेंगे और बाद में उन्हें निश्चित वस्तु से इस सभा तथा देश का सामना करना पड़ेगा ? निस्संदेह संसद तथा संसदीय दलों से व्यवहार करने का यह तरीका नहीं है।

श्री रंगा : 8 अप्रैल को मैंने प्रधान मंत्री को इस प्रकार का पत्र लिखा था :

> "मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि यह देश के हित में होगा यदि भविष्य में आप ऐसे सम्मेलन यथा-सम्भव शीघ्र बुलाया करें, और जब कभी भी राष्ट्रीय हितों पर प्रभाव डालने वाले मामले उठें तो ऐसे सम्मेलन बार-बार बुलाये जाने चाहिये।"

प्रधान मंत्री ने ग्यारह तारीख को यह उत्तर दिया :

> "कच्छ की यह स्थिति बहुत अचानक हुई। तथापि, मैं आपसे सहमत हूं कि ऐसी बैठकें यथा-सम्भव शीघ्र होनी चाहियें।"

परन्तु अभी तक प्रधान मंत्री ने हममें से किसी को विश्वास के योग्य नहीं समझा ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The Defence Minister has appealed that we should not press the adjournment motion on the calling attention notice of which we have given notices. The question is not this whether the Government takes us into confidence or not but the question is about the policy that is being followed by the Government. The decision about the ceasefire in Kashmir was agreed to without consulting the country or the parliament. The same thing is being repeated in Kutch. We want this assurance from the Government that no cease-fire or any other agreement should be entered into till the whole Kanjarkot area has been vacated. The thing which happened in Kashmir, Longju and Ladakh is going to be repeated in Kutch.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : I had given notice of an adjournment motion . . . .

Mr. Speaker : I will take it up.

श्री सुरेंद्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : क्योंकि प्रस्तावों पर अभी चर्चा चल रही है, इसलिये प्रधान मंत्री अभी उनका ब्यौरा नहीं बता सकते, परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ब्रिटेन के प्रधान मंत्री की मध्यस्थता स्वीकार कर ली है ?

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : जब पाकिस्तान ने कंजरकोट पर बलपूर्वक कब्जा किया था, तो तब प्रधान मंत्री ने कहा था कि जब तक यथापूर्व स्थिति स्थापित नहीं होगी, तब तक बातचीत आरम्भ नहीं हो सकती । क्या ब्रिटेन के प्रस्ताव हमारी मांग के अनुकूल हैं ? क्या सरकार ने पाकिस्तान और ब्रिटेन को बता दिया है कि पाकिस्तान को कब्जा किया हुआ क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा भारत या हमारी सेना को कार्यवाही करनी पड़ेगी ?

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : हम प्रधान मंत्री से सहमत नहीं हैं कि वह ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के प्रस्तावों को नहीं बता सकते । साम्राज्यवादी एक तरफ तो पाकिस्तान को हमारे क्षेत्र में घुसने के लिये उकसा रहे हैं और दूसरी ओर हमें रोक रहे हैं । अतः मैं प्रधान मंत्री के इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि युद्ध-विराम के प्रस्तावों को गुप्त रखा जाय ; अतः मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले में सदन को अपने विश्वास में लें ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : हम प्रधान मंत्री के वक्तव्य से सन्तुष्ट नहीं हैं । अतः मैं आपके द्वारा प्रधान मंत्री से प्रार्थना करना चाहता हूं कि श्री रंगा के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय और प्रधान मंत्री सभी वर्गों के नेताओं को बुलाएं और स्थिति को स्पष्ट कर दें जिससे कि देश स्थिति को समझ सके ।

Shri Prakash Vir Shashtri (Bijnor) : Britains attitude towards India has not been a happy one. In the Kashmir dispute also Britain tried to harm us and supported Pakistan. Although the Prime Minister has not revealed the British Prime Minister's proposal but some how they have been leaked out. According to those proposals Pakistan armies will move out from Kanjarkot, but Indian armed forces, will not be entitled to enter this area. If it is so, then Britain is trying to stab India in the back. The whole country supports the announcement made by the Prime Minister that India is prepared to face hunger than pawn our own respect.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : हम प्रधान मंत्री को आश्वासन देना चाहते हैं कि इस राष्ट्रीय विपत्ति से हम राजनैतिक लाभ नहीं उठाना चाहते । हमारा यह अनुभव है कि जब भी किसी शत्रु ने हमारे क्षेत्र पर कब्जा किया और इसके पश्चात् युद्ध-विराम हुआ तो हम अपने आत्म-सम्मान की रक्षा इस प्रकार करते हैं कि हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे । यदि हम ने युद्ध विराम करना स्वीकार कर लिया तो इस क्षेत्र के साथ-साथ हम अपना आत्म-सम्मान भी खो बैठेंगे । जब तक हम अपनी चौकियां वापिस न ले लें, हमें युद्ध-विराम को स्वीकार नहीं करना चाहिये । श्री चह्वाण ने प्रार्थना की है कि उनसे इस सम्बन्ध में प्रश्न न पूछे जायें । परन्तु हम कब तक अटकल लगाते रहेंगे । यह हमारे लिये शर्म की बात है कि हमें पाकिस्तान रेडियो ने पहले यह सूचना दी कि बियार बेट की चौकी पाकिस्तान के हाथ आ गई है । हम अपने अधिकारों और उत्कंठा को व्यक्त कर रहे हैं । अतः हम स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं । परन्तु यह कहना कि सूचना प्रकट करना राष्ट्रीय हित में नहीं है, पर्याप्त नहीं है ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad): I am not interested in knowing the British proposals. There are two types of cease-fires. The first one is that with the advent of rainy-season. This area will be filled with water and the fight will stop. The other cease-fire is according to the proposals made by Shri Wilson and Shri Wilson must have consulted President Johnson. These Governments are themselves bombarding over North Viet-nam, but restrained India from using Air Force during the Chinese invasion. They always try to sacrifice the interests of India. Mr. Shastri says that in a few days this area will be filled up with water and many other proposals have been received. But we must be serious about the matter. Are we in a state of war with Pakistan or we are just playing a game of hide ans seek with them. I concede that I am incapable of removing the Government of Shri Shastri but Shri Shastri has become too shameless that he is losing territory after territory and yet he is not resigning. He should have that much self-respect that he should resign if we cannot remove him.

Shri Maurya (Aligarh) During emergency the Prime Minister should try to win the confidence of the opposition. It will not be a sensible thing if any agreement is entered into with a country, which was created on the basis of fanaticism and which understands the language of force only, without taking into confidence the leaders of the opposition parties.

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) : ध्यान दिलाने वाली सूचना और स्थगन प्रस्ताव लाने का हमारे उद्देश्य, बियार बेट और प्वाईंट 84 में जो चौकियां हमें छोड़नी पड़ीं और उससे जो गम्भीर स्थिति उत्पन्न हुई, उसकी ओर सरकार का ध्यान दिलाना था । सरकार केवल उतना मामला ही स्पष्ट कर दे जिसके बारे में सिवाए भारत के, सारे संसार में प्रसारण हो चुका है । प्रधान मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्री के इस कथन में कोई सार नहीं कि सार्वजनिक तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में वह इस सभा को कोई सूचना नहीं दे सकते जोकि सारे संसार को पता है । हम इस सम्बन्ध में सहमत हैं कि वर्तमान स्थिति ऐसी है कि हमें हर प्रकार की सूचना नहीं दी जा सकती, परन्तु कोई मंत्री यह नहीं कह सकता कि सभा को किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी जा सकती ।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : How can the Prime Minister of England intervene, when our territory has been occupied forcibly ? He is placing

the aggressor and the aggressed on the same plane. The Government should forcibly occupy the Pakistan territory in East Pakistan for the territory occupied by them in Biar Bet and Kanjarkot.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Our Government is in the habit of using such strong and fiery language that the public is always convinced about the sincerity of the Government to face the enemy, but now it has lost the confidence of the public. Pakistan has massed his forces on Tripura, Assam, Bengal, U. P., Punjab, Rajasthan, Jammu & Kashmir. In view of the serious situation, are the Government prepared to push back Pakistan 100 miles deep into its own territory . We should not agree to a cease-fire till we have pushed Pakistan 100—200 miles into its territory.

अध्यक्ष महोदय : संसद्-सदस्यों की यह मांग न्यायसंगत है कि उन को वह सूचना दी जानी चाहिये जो अखबारों में छपी है अथवा जिसके बारे में सब को पता है । यहां तक तो मैं उनसे सहमत हूं । परन्तु दूसरी बातों के बारे में हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा । संसद्-सदस्यों ने युद्ध-विराम सम्बन्धी वार्ता के बारे में सूचना मांगी है । उन्होंने मध्यस्थता की शर्तों के बारे में भी जानने की इच्छा प्रकट की है ; परन्तु जहां तक मैं समझता हूं यह मध्यस्थता नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : यदि यह मध्यस्थता नहीं तो ब्रिटेन के प्रधान मंत्री क्या कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : संसद् का कार्य तो मूल नीति को निर्धारित करना है और इस नीति के आधार पर कार्यकारिणी देश का प्रशासन चलाती है । यदि यह सरकार संसद् द्वारा निर्धारित नीतियों का कभी उल्लंघन करे तो इसे रहने का फिर अधिकार नहीं रहता ।

सरकार बहुमत के आधार पर बनी है, अत: यह संसद् के आदेश का पालन अवश्य करेगी । कुछ दिन हुए सरकार ने अपनी नीति को स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया था और संसद् ने लगभग एक-मत से इसे स्वीकार भी कर लिया था ।

Dr. Ram Manohar Lohia : A stage can come when there may rebellion and the Government overthrown.

Mr. Speaker : The Government has the right to withhold information till the negotiations are completed. If you ask the Government about the deployment of forces . . .

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The hon. Members want to know about the cease-fire.

Mr. Speaker : It is all the more better if the hon. Members do not want to know about it . But if the hon. Members want to know about the military operations. . . . . (*interruptions*)

Shri Madhu Limaye : I want to raise a point of order.

Mr. Speaker : I don't want to listen. Please sit down.

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : Certain Members are saying get out '.

Mr. Speaker : I will ask them to sit down also.

Shri Ram Sewak Yadav : We don't want the information about the military strength and deployment. But the questions raised here have not been answered to.

Shri Madhu Limaye : We only want to know whether the cease-fire will be effected after Pakistan has vacated the occupied territory or will it remain in their possession ?

Mr. Speaker : The hon. Members should not stand time and again.

Shri Madhu Limaye : If you accept the adjournment motion then the whole problem will end.

Mr. Speaker : I cannot give my consent to this adjournment motion, because the Parliament has laid down the policy for the Government.

Shri Madhu Limaye : Are they following the policy or bartering away the country? The Churchill of England was a lion, they are like a chicken.

Mr. Speaker : Order, Order.

Dr. Ram Manohar Lohia : * *

Shri K. N. Tiwary (Bagaha) : * *

Shri Rameshwaranand (Karnal) : * *

Shri Madhu Limaye : * *

Dr. Ram Manohar Lohia : * *

Mr. Speaker : Dr. Ram Manohar Lohia is interrupting the proceedings.

Shri Ram Sewak Yadav : It is the other side which is interrupting.

श्री रंगा (चित्तूर) : यह कांग्रेस सदस्य हैं जो बाधा डाल रहे हैं ।

Mr. Speaker : There have been quarrels, arguments not only in this Parliament but in other Parliaments also ; but due courtesy is shown to the Speaker so that the proceedings may be smooth.

**कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

Dr. Ram Manohar Lohia : Since you have referred to the parliamentary practice, I can show you May's Parliamentary Practice where it has been mentioned that once British Speaker was manhandled. But you must try to understand us.

Mr. Speaker : Shri Ranga says don't go to the extreme ; but the hon. Members do not let me proceed.

Shri Ram Sewak Yadav : Shri Raghunath Singh said ' get out '. He should not have said it.

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : मैंने यह कभी नहीं कहा ।

Shri Ram Sewak Yadav : Shame.

Mr. Speaker : If you want to fight amongst yourself, then let me adjourn the House.

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : हमारी शिकायत यह है कि हमारे विरुद्ध जो आरोप लगाये गये हैं वह निराधार हैं । अतः उन पर आधारित जो तर्क हैं वह भी मान्य नहीं हैं । हम प्रधान मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्री से सैन्य संचालन का ब्यौरा नहीं जानना चाहते । हम तो अपनी उन शंकाओं का समाधान चाहते हैं जो ठोस सबूत पर आधारित हैं ।

Mr. Speaker : I had started my statement with the sentence that the Government must give the information which it feels it can share with the House . In England also when a similar situation arose. . .

Shri Madhu Limaye : You are talking of England. . .

Mr. Speaker : Despite my appeals, no body is paying any attention. Since the operations are in military hands, therefore, the question of the failure of Government or the adjournment motion doesn't arise. But I will repeat my sentence that the Prime Minister should keep this House informed about the facts and give as much information as he thinks fit.

Dr. Ram Manohar Lohia : If at the instance of Mr. Wilson, Mr. Johnson or Mr. Galbraith, some of our territory in Kutch, Bier Bet or Kanjorkot remained under the occupation of Pakistan, and this question is raised in Lok Sabha, will you join us in saying that this is a useless Government.

Mr. Speaker : I do not have any note.

Shri Madhu Limaye : I want to raise a point of order.

Mr. Speaker : You need not speak till I have called you.

अध्यक्ष महोदय : मुझे समझ में नहीं आता मैं किस प्रकार कार्य करूं । जब भी मैं सख्त कार्यवाही करता हूं तो विरोधी सदस्य मुझसे सहयोग नहीं करते ।

Shri Lal Bahadur Shashtri : Shri Lohia has used very strong words. But it is our responsibility to run the Government and we take our orders from the Parliament, but we cannot tolerate receiving executive directions from here. We are also conscious of our country's prestige and we also know where our interest lies.

Shri Kishan Pattnayak (Sambalpur) : We should discuss about the land.

Shri Lal Bahadur Shastri : We will not be able to do the business of the House if the proceedings business are obstructed in this way. I don't say that the members of the opposition should not ask questions or should not give notices for adjournment motion etc. but some decorum must be observed. It is our duty to take them in to confidence and we will do our duty honestly but they should also maintain dignity of the House.

श्री रंगा (चित्तूर) : अध्यक्ष महोदय, जैसे विरोधी दलों के बहुत से सदस्यों ने हाल ही में कहा है, यह बहुत अच्छा होता यदि सभा के नेता ने सभा को विश्वास में ले लिया होता । मेरा कहना है कि यह सारी कठिनाई कभी भी उत्पन्न न होती यदि उन्होंने पहले विचार कर लिया होता और सभा को यह आश्वासन दे दिया होता जो उन्होंने इतनी कठिनाई उत्पन्न होने के बाद दिया ।

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा था कि हमें सभा की मर्यादा बनाये रखनी चाहिये । मैं इस बारे में उनसे पूर्ण रूप से सहमत हूं ।

ऐसे अवसरों पर जबकि देश में संकट हो तथा संसद् की कार्यवाही सामान्य तरीके से करना सम्भव न हो, तथा राष्ट्रहित के लिये खुले रूप से विस्तार से चर्चा न की जा सके तो विरोधी दलों को विश्वास में ले लिया जाना चाहिये तथा हमारी देशभक्ति और हमारे उत्तरदायित्व पर शक न करते हुए हमें, जहां तक सम्भव हो, अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी जानी चाहिये । अन्तिम निर्णय तो सरकार स्वयं ही करेगी, जैसे मैं पहले बता चुका हूं और हमें उस पर कोई आपत्ति भी नहीं है । मेरा विचार था कि प्रधान मंत्री इस बारे में आश्वासन देंगे परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि सभा के नेता ऐसा आश्वासन देने के लिये क्यों हिचकिचाते हैं जबकि उन्हें स्वयं ही आश्वासन दे देना चाहिये था ।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : जबकि प्रधान मंत्री ने यह घोषणा कर दी है कि युद्ध-विराम की शर्त यह होगी कि आक्रमण द्वारा ली गई भूमि पहले खाली करवा ली जायेगी । वह अब भी अपने वचनों से पीछे नहीं हटे हैं । इसलिये मेरे विचार से इस चर्चा को अब समाप्त कर दिया जाना चाहिये ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैंने जो पहले कहा था अब मैं उसका स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । जो बात मैंने पिछले बुधवार कही थी और जिसका सभा ने समर्थन भी किया था, मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं उसके विपरीत किसी बात को भी स्वीकार नहीं करूंगा ।

मैं ने पहले ही यह सब स्पष्ट कर दिया हुआ है ।

Shri Brij Raj Singh (Bareilly) : The assurances given by the ex-Prime Minister to this House have not been fulfilled and that is why they have been disappointed. That is the reason that they want assurances again and again. I would therefore, submit that in case such assurances are given from time to time it will encourage our morale and we will co-operate with the Government.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें, तथा सिंगरेनी कोलयरीज का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 556, दिनांक 10 अप्रैल, 1965 की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4311/65]**

(2) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत सिंगरेनी कोलयरीज़ कम्पनी लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1963–64 का वार्षिक प्रतिवेदन, परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों की एक प्रति।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 431/65]

प्राक्कलन समिति सम्बन्धी विवरण

STATEMENT RE: ESTIMATES COMMITTEE

सिफारिश पर की गई कार्यवाही

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : मैं प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) के एक-सौ अट्ठावनवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिश संख्या 44 के उन उत्तरों को दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं जो प्राक्कलन समिति के चौदहवें (की गई कार्यवाही) प्रतिवेदन में शामिल किये जाने के लिए सरकार द्वारा समय पर नहीं दिये गये थे।

याचिका समिति

COMMITTEE ON PETITIONS

कार्यवाही सारांश

श्री तिरूमल राव (काकिनाडा) : मैं याचिका समिति की चालू अधिवेशन के दौरान हुई बैठकों (सोलहवीं और सत्रहवीं) के कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखता हूं

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

उन्तालीसवां प्रतिवेदन

श्री मुरारका (झुंझनू) : मैं वित्त, पुनर्वास, इस्पात और खान (लोहा तथा इस्पात और खान तथा धातु विभागों) और निर्माण और आवास मंत्रालयों सम्बन्धी विनियोग लेखों (असैनिक) 1962–63 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) 1964; और वित्त तथा निर्माण और आवास मंत्रालयों सम्बन्धी विनियोग लेखा परीक्षा तथा व्यय पर नियंत्रण सहायक अनुदानों आदि सम्बन्धी सामान्य अध्यायों और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 1964 के बारे में लोक लेखा समिति का उन्तालीसवां प्रतिवेदन पेश करता हूं।

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS

तेहरवां प्रतिवेदन

श्री खाडिलकर (खेड) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का तेरहवां प्रतिवेदन पेश करता हूं।

याचिका समिति

COMMITTEE ON PETITIONS—(*contd.*)

तीसरा प्रतिवेदन

श्री तिरुमल राव (काकिनाडा) : मैं याचिका समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह): आप की अनुमति से मैं यह बताना चाहता हूं कि 3 मई, 1965 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में इस सभा का सरकारी कार्य इस प्रकार होगा :—

(1) वित्त विधेयक, 1965 पर विचार तथा पास करना।

(2) केरल राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा के बारे में संकल्प पर विचार।

(3) केरल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1965 पर विचार तथा पास करना।

(4) वर्ष 1965–66 के लिये केरल राज्य सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान ।

(5) रेलवे अभिसमय (कनवेंशन) समिति के गठन के बारे में संकल्प पर विचार ।

(6) निम्न विधेयकों पर विचार तथा पास करना :—

बीज विधेयक, 1964, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में ।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1965 ।

श्री रंगा (चित्तूर) : क्या अधिवेशन को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मंत्री महोदय ने बहुत से मद प्रस्तुत किये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : हम ने पहले ही उनसे पूछ लिया है और वह कहते हैं कि ऐसी कोई सम्भावना नहीं है ।

श्री नाथपाई (राजापुर) : यदि बातचीत के बावजूद भी कोई समझौता न हो सका और आक्रमण जारी रहा, तो क्या अधिवेशन को और बढ़ा दिया जायेगा या नहीं, इस बारे मैं प्रधान मंत्री से जत्तर चाहता हूं ?

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : पहले मैं प्रधान मत्री से प्राथना करूंगा कि वह हमें बतायें कि यदि स्थिति और बिगड़ गई तो क्या इसी अधिवेशन को बढ़ा दिया जायेगा या इसके लिये विशेष अधिवेशन होगा । अध्यक्ष महोदय, आप को तो याद ही होगा कि जनवरी, 1963 में जबकि चीन ने आक्रमण किया था तो स्थिति पर विचार करने के लिये तथा नीति निर्धारण के लिये एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था ।

दूसरे मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या अब भी पहले की तरह सभा 5 बजे के बाद अधिक समय तक के लिये नहीं बैठ सकती ।

अध्यक्ष महोदय : श्री कामत यह प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछते हैं और उन को हमेशा वही उत्तर दिया जाता है ।

श्री हरि विष्णु कामत : 5 बजे के बारे में ही क्या विशेष बात है ?

अध्यक्ष महोदय : हम ने उस समय सभी मांगें मतदान के लिये रखनी हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : दूसरी बात यह है कि वित्त विधेयक पर सोमवार को चर्चा होनी है तथा इस विधेयक की चर्चा के लिये 15 घंटे नियत किये गये हैं । इसलिये मैं आप से तथा संसद्-कार्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि आप इस बात पर विचार करें । यदि उस दिन वित्त मंत्रालय या किसी अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों को लिया जा सके । वित्त विधेयक पर तो हम मंगलवर, बुधवार तथा बृहस्पतिवार को भी चर्चा कर सकते हैं क्योंकि हम ने इस विधेयक को राज्य-सभा को 6 तारीख को भेजना है ।

एक और प्रश्न यह है कि आप ने पिछली बार कहा था कि जिन मंत्रालय की मांगों पर चर्चा नहीं हुई है उन पर बाद में चर्चा होगी । परन्तु मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वर्तमान वक्तव्य से पता चलता है कि यह सम्भव नहीं है । इसलिये अब मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस वायदे को अगले अधिवेशन के आरम्भ में ही पूरा किया जायेगा ? क्या ऐसे मंत्रालयों पर अधिवेशन के प्रथम सप्ताह में ही चर्चा होगी ?

एक और प्रश्न यह है ....

अध्यक्ष महोदय : कितने और प्रश्न करने हैं ?

श्री हरि विष्णु कामत : अब मैं राज्य सभा की लेखानुदानों की मांगों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । जब पिछली बार मैं ने यह प्रश्न उठाया था कि संविधान के अनुच्छेद 113 खण्ड (2) के अन्तर्गत दोनों सभाओं की लेखानुदानों की मांगों की जांच की जानी चाहिये तथा दोनों सभाओं को मतदान करना चाहिये, तो आप ने कहा था कि हम इस सम्बन्ध में राज्य सभा के सभापति से बातचीत कर रहे हैं । जहां तक इस सभा की मांगों का सम्बन्ध है, गत वर्ष आप द्वारा दिये गये सुझाव को सभा ने मान लिया था कि तीन सदस्यीय समिति इन मांगों पर विचार करेगी और प्राक्कलनों का अनुमोदन करेगी । जहां तक राज्य सभा का सम्बन्ध है आप ने कहा था कि मैं वहां के सभापति से बातचीत कर रहा हूं । इसलिये क्या आप सभा को बताने की कृपा करेंगे कि इस बारे में क्या हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उन से सलाह कर रहा हूं । मैं उन को एक बार मिल चुका हूं और शायद एक बार और मिलना पड़े । इसलिये इस वर्ष कुछ नहीं हो सकता ।

श्री हरि विष्णु कामत : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत खेद की बात है कि इस सम्बन्ध में सभा को संवैधानिक अधिकार से वंचित किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ हुआ है, मैं ने बतला दिया है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या इस बारे में अब बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता । मेरी समझ में नहीं आता कि राज्य सभा के सभापति रोड़ा क्यों अटका रहे हैं जबकि संविधान में यह स्पष्ट हो दिया हुआ है ।

मेरा अन्तिम प्रश्न सरकार के बारे में है । जहां तक मुझे स्मरण है भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, चीन द्वारा आक्रमण के पश्चात् नवम्बर, 1962 में बनाया गया था । परन्तु अब जबकि पाकिस्तान ने भी आक्रमण किया है इस में संशोधन करके पाकिस्तान को भी इस में सम्मिलित किया जाना चाहिये ।

एक और प्रश्न और मैं समाप्त करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप ने कहा था कि यह मेरा अन्तिम प्रश्न है ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं जो कुछ कहना चाहता हूं, वह कहने दिया जाना चाहिये मुझे पता है कि कई सदस्यों को मेरे से अधिक बोलने का समय दिया गया है; इसलिये मैं इस बात का विरोध करता हूं ।

मेरी अन्तिम बात आगामी सत्र की अवधि के बारे में है । 17 फरवरी के समाचार भाग-1 को देखने से पता चलता है कि 21 नये विधेयक हैं जिन में इस सत्र में तीन विधेयक प्रस्तुत किये जायेंगे अर्थात् 18 विधेयक शेष रह जायेंगे । इस के अतिरिक्त लोक-सभा तथा राज्य-सभा में पहले भी बहुत विधेयक पड़े हैं । इस प्रकार बहुत सा काम रह जायेगा । इसलिये मैं संसद्-कार्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह सरकार को इस बात की सलाह दें कि आगामी सत्र जुलाई के अन्त तक आरम्भ होना चाहिये । यह सत्र लम्बा भी होना चाहिये क्योंकि काम बहुत है जिस को इस सत्र में समाप्त किया जाना चाहिये ।

श्री रंगा : इस अवधि के बीच भी सत्र लग सकता है।

श्री हरि विष्णु कामत : लड़ाई की वजह से लग सकता है। परन्तु वह सत्र तो आपात-कालीन सत्र होगा। परन्तु सामान्य सत्र तो जुलाई के अन्त तक अथवा अगस्त के प्रथम सप्ताह में अवश्य लग जाना चाहिये। और यह सत्र छः अथवा सात सप्ताह से कम नहीं होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है। सरकार देखेगी कि कितनी देर के लिये सत्र लगना चाहिये।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Mr. Speaker, Sir, from the statement of the Prime Minister we had concluded that we are in a good position but Shri Kamath's statement reveals that there may be a session in between. I could not follow this anomaly.

Mr. Speaker : At this time the hon. Member can speak on the business of the House.

Shri Yashpal Singh : My motion was partty discussed. You had promised.....

Mr. Speaker : The hon. Member may please resume his seat.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : We have been getting assurances for the last so many months that the report of the Bonus Committee would be brought before the House. I would therefore like to know from the hon. Minister of State as to why the same has not been brought so far. So, should we take it that the report will not be brought in this Session. If not, the reasons for the same ?

श्री शिव मूर्ति स्वामी (कोप्पल) : चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने से पहले क्या उस पर चर्चा करने के लिये कोई समय दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : इस सत्र में सम्भव नहीं है।

श्री शिव मूर्ति स्वामी : जहां तक, जिन मांगों पर चर्चा नहीं हुई उन मांगों का सम्बन्ध है, उन में से इस्पात और खान मंत्रालय की मांगों का हमारे क्षेत्र के सम्बन्ध में बहुत महत्व है क्योंकि सरकार

. . . . . .

अध्यक्ष महोदय : 5 बजे तक जो कुछ भी किया जायेगा। 5 बजे इसे हम रखेंगे।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : May I know whe ther it is a fact that the Session of Lok Sabha will continue upto eleventh instant only ? Will it not be possible to extend this Session upto the time the Rajya Sabha is sitting, keeping in view the business of the House already announced ? Is Lok Sabha going to be adjourned soon because the hon. Prime Minister is visiting abroad ?

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur) : Sir, the remaining Demands will be guillatined at 5-O'clock. In this connection I submit that cut motions on these demands should not be allowed to lapse when the demands are guillatined. All the cut motions on the remaining demands may be put together

[Shri Kishan Pattnayak]

to the vote of the House. I would further request you to admit all the cut motions on Demand No. 109. Notices of which have been given by Shri Maddu Limaye, Dr. Ram Manohar Lohia and me. Secondly during the current Session you were pleased to refer this several time to the disorder in the House after the Question Hour. This matter causes anxiety not only to you but to us also. We have made a suggestion that keeping in view the deteriorating situation of the country and the growing weakness of the Government, one hour or 45 minutes after the Question Hour may be allotted for Adjournment motions and calling attention notices.

Shri Kishan Pattnayak : Is it under the consideration of Rules Committee, and whether some improvement is being made ?

Mr. Speaker : It is not under the consideration of the Rules Committee I have finally decided about in the demands relating to Parliament. I am not prepared to open this issue again, and I would request the hon. members not to raise this issue daily. The cut motions given notices of by the Members will not be taken up at all. I am sorry to point out that these things will also be raised through cut motions that is why a particulars, person has been promoted and why another person has not been promoted ? The Secretariat will not be in a position to function at all of matters are raised in this manner.

Shri Kishan Pattnayak : A discussion should be held on this issue.

Mr. Speaker : It has been decided that there would be no discussion on Demands of the Parliament.

कुछ माननीय सदस्य : हां, हां ।

Mr. Speaker : This discussion is final so long as I am here. It can be done only when I am pursued out.

Shri Kishen Pattnayak : I am expressing my helplessness on behalf of my party.

श्री काशी नाथ पांडे (हाता) : श्रम मंत्री ने घोषणा की थी कि बोनस विधेयक को इस सत्र में पुरःस्थापित किया जायेगा, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस को इस सत्र में पुरःस्थापित किये जाने की कोई सम्भावना है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : जहां तक 5 बजे गिलोटिन लगने का सम्बन्ध है इसका अपना महत्व है जिस का हमें पालन करना है ।

श्री हरि विष्णु कामत : इसे सोमवार 5 बजे तक होने दिया जाये ।

श्री सत्य नारायण सिंह : जहां तक वित्त विधेयक का सम्बन्ध है, हमने कार्य मंत्रणा समिति में स के बारे में चर्चा की है और हम कोई जोखिम (रिसक) नहीं लेंगे । हमें 5 तारीख की शाम तक इसे खत्म रना है ।

श्री हरि विष्णु कामत : 6 तारीख के 5 बजे तक ।

श्री सत्य नारायण सिंह : नहीं, नहीं । किसी भी वर्ष हम ने वित्त विधेयक के लिये 15 घंटे से अधिक समय नहीं दिया है । यदि माननीय सदस्य समय बढ़ाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं यदि सभा अधिक समय तक बैठने के लिये तैयार है ।

जहां तक श्री शिवमूर्ति स्वामी के प्रश्न का सम्बन्ध है मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस सत्र में ऐसी किसी बात के लिये अनुमति नहीं दी जायेगी क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है ।

जहां तक विशेष सत्र के लिये श्री कामत द्वारा उठाये गये प्रश्न का सम्बन्ध है, यह स्वाभाविक ही है कि यदि आवश्यकता हुई तो विशेष सत्र अवश्य ही होगा । परन्तु आशा है ऐसी आवश्यकता नहीं होगी ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । जब चीन ने नवम्बर 1962 में आक्रमण किया था, तो स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने यह वायदा किया था कि यदि आवश्यकता हुई तो विशेष सत्र अवश्य होगा । मैं भी इस समय यह उत्तर चाहता हूं . . . . . .

अध्यक्ष महोदय : यह तो उन्होंने (मंत्री महोदय ने) भी कह दिया है कि यदि आवश्यकता हुई तो अवश्य होगा ।

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं ने यही कहा है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो विशेष सत्र होगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : वह प्रश्नों को नोट नहीं करते हैं इस लिये वह सब का उत्तर नहीं देते हैं । मैंने एक प्रश्न किया था कि भारत प्रतिरक्षा अधिनियम में संशोधन होना चाहिये तथा पाकिस्तान को इस में सम्मिलित किया जाना चाहिये ।

श्री सत्य नारायण सिंह : आप की सलाह के लिये धन्यवाद । हम अवश्य ही इस पर विचार करेंगे ।

श्री रंगा : अध्यक्ष महोदय, क्या हमारे प्रश्नों का उत्तर देने का यह तरीका ठीक है ? आप चाहते हैं कि हम यहां शिष्टाचार बनाये रखे परन्तु हमारे संसद्-कार्य मंत्री हमारे प्रश्नों को न तो नोट करते हैं और न ही उन का उत्तर देते हैं । जब उन को उन प्रश्नों के लिये स्मरण कराया जाता है तो वह अपने ही मुख में कुछ कह देते हैं जो हमें सुनाई नहीं देता ।

श्री सत्य नारायण सिंह : माननीय सदस्य को मेरे शिष्टाचार के बारे में मुझे स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं ।

जहां तक उन के प्रश्न का सम्बन्ध है अवश्य ही उस बारे में जांच की जायेगी ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या प्रश्नों के उत्तर देने का यह तरीका है ? वह प्रश्नों को नोट नहीं करते हैं और न ही उत्तर देते हैं ।

श्री सत्य नायायण सिंह : मैं ने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है ।

श्री हरि विष्णु कामत : नहीं जी । मैंने आगामी सत्र की अवधि के बारे में प्रश्न किया था । मेरा प्रश्न यह था कि सरकार तो अपना कार्य प्रस्तुत कर देती है और अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप कार्य मंत्रणा समिति से सलाह कर के उस कार्य के लिये समय निर्धारित करें ।

अध्यक्ष महोदय : हम केवल समय निर्धारित करते हैं। यदि सरकार का काम समाप्त नहीं होता है तो सरकार ही उस पर विचार करती है ।

श्री हरि विष्णु कामत : अध्यक्ष महोदय, आप ने भी मुझे गलत समझा। अब मैं आप की अनुमति से स्पष्ट करना चाहता हूं। संसद् का अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है और तब तारीख सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। तब वह अपना कार्य प्रस्तुत करती है। अब यह देखना संसद का काम है कि किस मद को कितना समय दिया जाये। यदि आवश्यक समझा जाये तो अधिवेशन को बढ़ाया भी जा सकता है ।

आपात के कारण जब कि सरकारी कार्यालयों में अधिक समय तक काम हो रहा है तो हमें अधिक समय तक बैठने में क्या आपत्ति है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा को देर तक बैठना हो तो सभा अपनी मर्जी से बैठती है। सरकार उन्हें अधिक समय तक बैठने के लिये बाध्य नहीं कर सकती ।

तब उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति द्वारा अधिवेशन बुलाया जाता है और वह विधान कार्य प्रस्तुत कर देते हैं। वह ठीक है परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि सारा कार्य उसी सत्र में समाप्त हो। यह देखना सरकार का काम है कि अमुक विधेयक इस सत्र में पास किये जाये। यदि सरकार यह निश्चित करती है कि सत्र फलां तारीख को समाप्त हो जाये और सरकारी कार्य अभी पड़ा हो तो मैं उन को बाध्य नहीं कर सकता कि वे अधिवेशन को बढ़ाये।

श्री कांशी नाथ पाण्डेय : बोनस विधेयक का क्या हुआ ?

श्री सत्य नारायण सिंह : बोनस विधेयक के बारे में हम सम्बद्ध मंत्री से प्रार्थना करेंगे कि वह ऐसा प्रयत्न करें जिस से उसे इसी सत्र में पुरःस्थापित किया जा सके ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The hon. Minister has not said any thing about the Bonus Commission Report.

Shri Satya Narayana Sinha : As I had said just now we will do our best to bring that report. The concerned Minister had promised to introduce it in this very Session.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : But he does not want to bring it in this Session. I would request the hon. Minister for Parliamentary Affairs to stress him to bring it in this Session so that it may be included in the programme.

अनुदानों कीं मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : श्री बृजराज सिंह-कोटा अपना भाषण जारी रखें ।

श्री ब्रिजराज सिंह-कोटा (झालावाड़) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, जब कल मैं अभी कुछ और कहने जा रहा था तो सभा स्थगित हो गई थी। मैंने खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट को पढ़ा है

परन्तु खेद है कि उसमें भारतीय जंगली जीवों के बारे में एक शब्द भी नहीं मिला । हालांकि विभिन्न राज्यों में जंगली जीव सुरक्षा बोर्ड बने हुए हैं, फिर भी उनको बड़ी निर्दयतापूर्ण तरीके से गोली मार दी जाती है । इस बारे में कानून है, नियम हैं, परन्तु उनको क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है । परिणाम यह है कि इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है । बड़े बड़े लोग अथवा राजनयिक लोग वनों में जा कर अपनी मनमानी करते रहते हैं । उनको कोई पूछने वाला नहीं है ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

विदेशों में शिकार खेलने के बारे में कानूनों तथा विनियमों को दृढ़ता से लागू किया जाता है । यहां अपने राष्ट्रिक तो एक ओर रहे, दूसरे देशों के राष्ट्रिक अपनी मनमानी करते हैं । जंगली जीवों के शरण स्थानों के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि राज्यों द्वारा बनाये गये शरण स्थानों में वन विभाग वाले पेड़ आदि काटते रहते हैं और इस प्रकार निरन्तर गड़बड़ से तंग आकर पशु उस स्थान को छोड़ जाते हैं और अन्य स्थानों में जा कर वह शिकारियों की गोली का निशाना बन जाते हैं । कहने को तो काला मृग, चिंकारा तथा सारस परिरक्षित स्पीशीज़ हैं, परन्तु इनको नियमों तथा विनियमों का उल्लंघन करके गोली का निशाना बनाया जाता है । सरकार कहती है कि उन्होंने कई स्पीशीज़ को परिरक्षित कर रखा है, परन्तु वास्तव में स्थिति कुछ और ही है । उदाहरणार्थ मगरमच्छ एक परिरक्षित पशु है, परन्तु सरकार के एक अन्य विभाग, अर्थात् मीनक्षेत्र विभाग अथवा पशुपालन विभाग द्वारा नदियों में मगरमच्छों को समाप्त करने के ठेके दिये जाते हैं । तीतर आदि शिकार के पक्षियों का मांस जलपानगृहों में मिलता है, परन्तु कानून के अनुसार इनका शिकार करने की मनाही है । सरकार को इस अवैध शिकार को रोकने के लिये कानूनों तथा नियमों को दृढ़ता से क्रियान्वित करना चाहिये ।

दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि राजस्थान में विशेषकर कोटा में भूमि कटाव की जो समस्या है, सरकार को उस की ओर ध्यान देना चाहिये । वहां पर जो भूमि नदी के किनारे के साथ-साथ दी जाती है वह नदी के बिल्कुल किनारे तक दे दी जाती है । परिणाम यह है कि खेत जलमग्न होते हैं । इस प्रकार भूमि देने की नीति को बन्द करना चाहिये ।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I would like to suggest that the Ganga and the Jamuna rivers should be arrested as the Rhine river has been arrested in the Europe. In this way crores of acres of land can be brought under cultivation. We cannot eradicate corruption so long as we are unable to augment our food production. Even in small countries like Denmark the rate of productivity is very high. I do not think our people are brainless. Actually the Government have not tried to make use of their capabilities. I think there is no need of research which is bing carried on in agriculture. Our agriculturists are very wise and are in a position to produce so much food that would be more than enough to meet our requirements provided water, power, improved variety of seeds and other facilities are made available to them. We should have confidence in them and they should be allowed to stand on their own feet. The agriculturist has to depend on B. L. W. B. D. O. and A.D.O., he should have direct connection with you. We should make them to realise that they are the owners of seed and land, if we want to solve this problem. It is

[Shri Yashpal Singh]

regretted that power is made available to them at the rate of 19 paise per unit, whereas the rate charged from the big industrialists like Shri Birla is only 3 paise per unit. It is a wrong policy of the Government to recover land revenue from those who do not make use of canal water. Since the cost of canals has already been recovered, land revenue should, therefore, be abolished. They should be made self-sufficient as per wishes of Mahatama Gandhi. It is surprising that while cement is being made for cinema houses and other luxury houses but it is not being made available to the farmers for the construction of drains of tubewells. Government should, therefore, see that cement is made available to the farmrs for the said purpose.

Shri D. S. Chaudhury (Mathura) : Mr. Deputy-Spaker, Sir, there has been some increase in the production of foodgrains and I think that some credit for this increase should go to the Ministry of Food and Agriculture. But the main reason for this increase is this that the farmers have been given higher prices. The higher the prices, the greater the production. This contention is based on certain figures which I would like to quote here and my own experience in farming. In 1962 the price index of rice rose from 101 to 114 and as a result of this increase, the production of rice rose from 319 to 365 lakh tons. Again in that year the price index of wheat came down from 98 to 91 and thus there was decrease in the production of wheat from 108 to 97 lakh tons. Now the price index of wheat has risen from 112 to 145 in 1964 and I think, that there will also be proportional increase in wheat production. I would, therefore, suggest that the prices of foodgrains should be further increased so that there is more production. A very few people will be affected by this rise in prices, because 90 per cent of the total production of foodgrains is consumed by the farmers themselves. The remaining 10 per cent production, which the farmrs are able to sell after making allowance for their requirements would only affect the prices. I hope, the hon. Minister would accept this suggestion, which is a practical one, because the farmers sow those commodities which are dear.

The experts of the Indian Council of Agricultural Research or of the Indian Central Committee have failed to deliver the goods, because they have no practical knowledge of the difficulties of the farmers. I think a committee of farmers would, therefore, be in a better position to give us practical and useful suggestions to augment the production of foodgrains.

Only 10 percent farmers have been benefited by the Warehousing Corporation. The policies being followed by us are defective and are therefore responsible for decrease in the production of foodgrains. All decisions are being taken on the basis of the theoretical knowledge without going into the practical difficulties of the farmers. For instance, a decision has been taken that so much quantity of fertilisers should be applied for achieving good results without going into the crop pattern at various places and the other factor like availability of irrigation facilities etc. without which fertilisers will simply prove to be harmful for the crops. Without going into such details, the farmers are being forced to use fertilisers. The result is that the production is actually going down. I would, therefore, once again suggest that a committee of farmers should be appointed which could go into all these details on the basis of their practical knowledge and experience in agriculture. Then and only then we would be able to make useful suggestions to the farmers in the field of agriculture and the production will naturally increase.

श्री जसवंत मेहता (भावनगर) : माननीय उपमंत्री ने अपने भाषण में बताया कि चीनी के उत्पादन में वृद्धि हुई है। यहां तक कि हमने इसका निर्यात भी किया। यदि उत्पादन 30 लाख टन हुआ है, तो सरकार को चीनी से नियंत्रण उठाने में क्या कठिनाई है? ऐसा करने से प्रशासनिक व्यय में बचत होगी।

मैं माननीय मंत्री की सरहाना करता हूं कि उन्होंने तीन महत्वपूर्ण निर्णय किये हैं। पहला यह कि सरकार ने किसानों को लाभप्रद मूल्य देने की नीति को सिद्धान्त रूप से मान लिया है। दूसरा यह कि सरकार ने एक कृषि मूल्य आयोग की नियुक्ति की है और तीसरा यह कि सरकार ने खाद्य निगम को गठित करने की दिशा में एक सही कदम उठाया है। राज्य व्यापार निगम का गठन प्रत्येक राज्य में किया जाना चाहिये, वर्तमान वितरण प्रणाली त्रुटिपूर्ण है और इससे उन राज्यों को हानि हो रही है जिनमें खाद्यान्न उत्पादन कम होता है। यदि इस स्थिति में सुधार नहीं किया जायेगा तो अन्य राज्यों को मजबूर होकर व्यापारिक फसलों को बोने की बजाय खाद्यान्न पैदा करना पड़ेगा जिससे अन्ततोगत्वा सारे देश को हानि होगी क्योंकि व्यापारिक फसलों से अर्जित होने वाली विदेशी मुद्रा से हम वंचित रह जायेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार को दोनों प्रकार की फसलों को प्रोत्साहन देना चाहिये। ऐसा करने के लिये जो सब से पहले कदम उठाया जाना चाहिये वह यह है कि खाद्य खण्ड प्रणाली को समाप्त कर दिया जाये। मुख्य मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में यह आश्वासन दिया गया था कि इस प्रणाली का अन्त कर दिया जायेगा, परन्तु खेद है कि अभी तक ऐसा नहीं किया गया।

मूल्यों को इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिये कि किसान को मिलने वाले लाभप्रद मूल्य तथा उपभोक्ता द्वारा दिये जाने वाले मूल्य के बीच केवल 6 प्रतिशत का अन्तर रहे और एक वर्ष में मूल्यों में जो वृद्धि हो वह भी 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये। किसानों को फसल तथा ढोरों के बीमा की सुविधा दी जानी चाहिये। ग्रामीण ऋण कुल ऋण का 25 प्रतिशत है जो अपर्याप्त है। सरकार को दीर्घकालीन, अल्पकालीन तथा मध्यम कालीन प्रणाली का समन्वय तथा एकीकरण करना चाहिये। ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिये। किसान को भूमि के मूल्य के आधार पर कुछ प्रतिशत ऋण दिया जाना चाहिये और उसे ऋण जो है वह सीधा बैंक से चेक द्वारा मिलना चाहिए।

Shri Balkrishna Singh (Chandauli) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the moot point is this that when we all want that these should be increased in production of foodgrains and we are making our efforts to achieve this end, but in spite of all these things there has been no increase in production. As far as I think there is no co-ordination among those Ministries at centre which are connected with agriculture. There is no co-ordination among the employees, the officers who are concerned with agriculture and the farmers at district level. If there is co-ordination among these agents and if all the requisite facilities are made available to the farmers, the production will definitely increase and we will have not to depend on other countries for foodgrains. In order to increase the production capacity, it is necessary that fertility of the land should be increased and for this fertilisers of good quality are needed. It is correct that a number of committees have been formed to go into the question of prices and distribution of fertilisers, but no committee has so far been appointed to see whether the quality of fertilisers which is being produced in our factories is up to the mark or not. I want to know for the hon. Minister as to whether the manure of ammonium chloride which is being produced in our country is in the form of powder or in the form of crystals. Being a farmer

[Shri Balkrishna Singh]

I know that it should be in the form of crystals, but the ammonium chloride being prepared in our factory, is in the form of powder the application of which is harmful to the crops and thus the production is going down. Irrigation facilities should provided. The attention being paid towards big dams and tubewells is more than necessary. We have perennial rivers in our country and where dams cannot be constructed, lift canals should be taken of from the rivers and water supplied to the farmers according to their requirements, so that they could get water at cheap rates.

More attention should be paid to check crop diseases This natioanl waste can be saved if we help the farmers by spraying pesticides in the fields by means of planes, because the farmer alone cannot achieve good results in this direction. The Government should help them in this regard. To achieve good results in agricultural production, apart from good seeds and irrigation facilities, it is also necessary that the farmers should be healthy and educated ones. They are not only working in the fields to push forward the agricultural production, their sons are defending us on the borders. It is, therefore, necessary that we should pay more attention towards their welfare. Developed agriculture means developed human being and developed country.

Shri Sheo Narain (Bausi) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I would like to submit that Zonal system should be abolished. Actually there is no shortage of foodgrains in the country, but this artificial shortage which we find today is created by the Government itself by adopting wrong policies. If this Zonal system is abolished the shortage will disappear and the people would be able to get foodgrains without any inconvenience of standing in queues etc. Secondly those farmers who have land less then 5 acres should be exempted from land revenue. This step would encourage the farmers to produce more foodgrains enough to meet the needs of the people and thus the foreign exchagne which now we are spending on imports, will be saved.

If the Rapti and Ghaghar rivers are controlled, so much rice can be produced in Gorakhpur and Basti areas that would be enough to meet the requirements of all the people of our country. Every summer, we leave to face water-shortage in Delhi, I want to know why precautions are not taken by the Administration beforehand They should arrange to control the water by taking some practical steps in this direction.

It is regretted that while power is being supplied to the big capitalists at the rate of 3 paise per unit, 19 paise per unit are being charged from the farmers for running their tubewells. If the farmers are given full facilities and if they are exempted form payment of 25 percent of the land revenue, they can establish **Ram Rajya** of Gandiji's dreams here. The farmers are not getting reasonable price for their sugarcane. The Government is playing in the hands of mill-owners. While mill- owners are earning lakhs of Rupees every year, the farmers are suffering—no facilities are provided to them by the mill-owners. In Cuba the mill-owners bring sugarcane from the fields by trucks themselves. Here in India even roads are not there in the sugar cane areas. The mill-owners should be asked either to construct roads there or bring sugarcane from the fields themselves. Government should procure the entire quantity of rice available in the country at any cost, if they want to solve this problem. This problem of food can only be solved by courage and by following practical policies.

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur): Mr. Deputy-speaker, Sir, I congratulate the hon. Minister for averting the food crises by taking firm and right steps. While there has been some increase in the production of cash crops like jute, tobacco, sugar etc., there has not been any increase in the production of foodgrains. In spite of the fact that millions of Rupees have been spent during the period of the last three Five Year Plans and for importing foodgrains from abroad, we have not been able to become self-sufficient in foodgrains. The people still remember Shri Rafi Ahmed Kidwai who had succeeded to avert food crisis. He abolished control on foodgrains. I think there are enough quantities of foodgrains in our country to meet our requirements, but the reason for its non-availability is that Government have failed to implement the laws passed by us to deal with hoarding, profiteering and black marketing. I want to point out that large quantities of goods and foodgrains are being sumggled out to China through Nepal. This should be checked.

Now I would like to say something about my state namely Uttar Pradesh. There are 58 poorest districts out of which 22 are in Uttar Pradesh. There are 29 most backward districts out of which 11 are in Uttar Pradesh. The per capita income of the people of these districts is the lowest. While the *per capita* income of India duing 1965-66 will be Rs. 352 whereas it will remain Rs. 253 of Uttar Pradesh. The State of Uttar Pradesh has to face natural calamities every year and as a result of which the crops are destroyed and lakhs of acres of land submerge in water. Government should control floods and water-logging so that production could be augmented. The hon. Minister should see that the amount proposed by the Patel Commission for the development of the eastern part of Devarya is made available to the Government of Uttar Pradesh.

In order to increase the production of foodgrains Government should make efforts at war footing. The farmers should be given all incentives and facilities, better quality of seeds, cheap fertilisers and irrigation facilities, so that agricultural production is increased and we are able to go ahead to achieve the goal of attaining self sufficiency. We should follow the recommendation of the Patel Commission so that water, fertilisers and better seeds are available to the farmers without any inconvenience.

Shri R. S. Pandey (Guna) : I support the Demands for Grants in respect of the Ministry of Food and Agriculture. The allocation of funds made in respect of agriculture during the Fourth Five Year Plan is less and it should, therefore, be increased from Rs. 3,300 to Rs. 5,500 or Rs. 6,000. As a result of a survey made of the soil of Chambal ravines the Ministry had decided that 40 lakh acres of the land would be reclaimed but it is regretted that nothing has so far been done. Government should take immediate sleps to reclaim that fertile land so that foodgrains could be grown there. A hybrid seed factory should be installed so that better seeds could be made available to the farmers. Arrangements for making available water and fertilisers should also be made. In order to meet the credit needs of the farmers, village banks should be opened.

Government should increase the existing cedit facilities for farmers. It will help them in increasing production.

Another thing which I want to say about the wastage of foodgrains by pests and insects is that about 1 crore 40 lakhs tons of foodgrains are spoiled by pests in our country every year. If proper steps are taken this big quan-

[Shri R. S. Pandey]

tity of foodgrains can be saved and utilised. I would suggest to the hon. Minister to take necessary steps in this direction.

An Agricultural Form has been set under the leadership of Shri S. K. Patil. It will help farmers in safeguarding their interests.

खाद्य तथा कृषी मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में तथा प्राक्कलन समिति ने हाल ही में बड़े अच्छे अच्छे सुझाव प्रस्तुत किये हैं। हम इन सब बातों पर पूरा पूरा विचार करेंगे और प्रयत्न करेंगे कि उनको कार्यान्वित किया जाये। हमने अनुभव किया है कि पहले खाद्यान्नों के वितरण पर बहुत ध्यान दिया जाता है परन्तु अब कृषि उत्पादन की बात को मुख्य माना जाता है। गत वर्ष देश को खाद्यान्नों के बारे में बहुत गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ा था। इस साल हालत में काफी सुधार हुआ है। 1964-65 में कृषि उत्पादन सर्वाधिक हुआ है। इस बारे में मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। पिछले वर्ष खरीफ तथा रबी दोनों फसलों का उत्पादन बहुत हुआ है। कई वर्षों से ऐसा होता आ रहा था कि एक फसल अच्छी होती थी और दूसरी सन्तोषजनक नहीं होती थी, परन्तु गत वर्ष दोनों ही अच्छी हुई हैं।

चावल, गेहूं, जौ, चना, ज्वार सभी के उत्पादन में वृद्धि हुई है। 1961-62 में खाद्यान्नों का उत्पादन 8 करोड़ 10 लाख टन था परन्तु इस वर्ष इस के 8 करोड़ 72 लाख टन होने की आशा है। यह वृद्धि 7·7 प्रतिशत होगी। इसी प्रकार लगभग सभी चीजों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसका श्रेय भारत के किसानों को है। परन्तु हमें अपने प्रयत्नों में ढील नहीं आने देनी है। और अधिक कोशिश करनी होगी कि उत्पादन बढ़े।

यह भी सन्तोषजनक बात है कि हमारे देश में मौसम आदि खराब होने के कारण हमारे उत्पादन में कमी नहीं आई है। हमें अपनी व्यवस्था को और अच्छा बनाना है। यहां पर प्रश्न उठाया गया था कि यदि उत्पादन वृद्धि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बना दी जाये तो बहुत लाभ हो सकता है। कहा गया है कि इसके लिये संविधान में संशोधन कर देना चाहिये। मैंने राज्य सरकार में काम किया है। मेरा अनुभव है कि इस सम्बन्ध में केन्द्र बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। केन्द्रीय कृषि मंत्रालय राज्य सरकारों को अच्छे अच्छ सुझाव दे सकता है और कार्यक्रमों की कार्यान्विति के लिये वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करा सकता है। इससे कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो सकती है। हमें केन्द्र में अच्छे अच्छे तथा प्रतिभाशाली अधिकारियों को नियुक्त करना चाहिये। उनको राज्यों की समस्याओं का ज्ञान होना चाहिये। उन्हें कृषि के विकास सम्बन्धी सभी बातों की जानकारी होनी चाहिये। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम ने कृषि विभाग का सचिव राज्य सरकार से मंगाया है। वह वहां की कठिनाइयों से परिचित हैं। छोटे अधिकारियों के बारे में भी यही नीति अपनाई जायेगी। मुझे राज्य में भी मंत्री के रूप में कार्य करने का अनुभव है। अतः मैं उसका भी लाभ उठाता हूं।

हमारे केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों, जो कृषि से सम्बन्धित हैं, में समन्वय होना बहुत आवश्यक है। ये विभाग हैं कृषि मंत्रालय, सामुदायिक विकास मंत्रालय तथा सिंचाई विभाग आदि। इन विभागों को मिलाने के बारे में एक जांच करायी गई थी। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इनको मिलाना ठीक नहीं होगा परन्तु इनके कार्य में समन्व होना चाहिये। कुछ वर्ष

पूर्व कृषि उत्पादन बोर्ड की स्थापना की गई थी । यह बोर्ड बहुत अच्छा कार्य कर रहा है । इस बोर्ड को और शक्तिशाली बनाने का निर्णय किया गया है । इसका सचिव भारत सरकार के विशेष सचिव के स्तर का होगा । यह अधिकारी सरकार तथा बोर्ड के निर्णयों की कार्यान्विति के कार्य को देखेगा । आजकल उत्पादन बोर्ड के कार्यों को कोई विशेष रूप से नहीं देखता । इसके अतिरिक्त यह भी निश्चय किया गया है कि एक छोटी उपसमिति गठित की जाये जो कृषि उत्पादन की वृद्धि के कार्य की देखभाल करेगी । इस समिति के सदस्य सम्बद्ध सरकारी विभागों से होंगे । यह समिति किसानों तथा कृषि सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करेगी । इस बोर्ड तथा समिति के अलावा और भी कार्यवाही की जा रही है । हम मंत्रालय के ढांचे तथा अधिकार-क्षेत्र में भी परिवर्तन लाना चाहते हैं । जहां पर विशेषज्ञों का कार्य है वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों का नियंत्रण नहीं होगा । जैसे वन विभाग के इन्सपेक्टर जनरल को मंत्रालय का पदेन संयुक्त सचिव बनाया जा रहा है । इसी प्रकार पशु पालन विभाग के अधिकारियों तथा अन्य ऐसे विभागों की भी बात है । इससे सरकार के निर्णय करने में विलम्ब नहीं होगा । जहां पर प्रशासन अधिकारी तथा विशेषज्ञ अधिकारी में मतभेद होगा तो उस विषय पर किसी अन्य विशेषज्ञ की राय ली जायेगी । यह शिकायत की गई है कि सरकारी काम में विलम्ब बहुत होता है । इस बारे में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । गृह-कार्य मंत्रालय इस सम्बन्ध में कदम उठा रहा है । इसके अतिरिक्त मैंने कलकत्ता के प्रबन्ध संस्थान से कृषि मंत्रालय के कार्य में सुधार तथा कार्यकुशलता लाने के बारे में अध्ययन करके अपनी सिफारिशें देने को कहा है । इस के लिये प्रत्येक सम्भव उपाय किया जा रहा है कि कार्यकुशलता लाई जाये । इस प्रकार हम राज्य सरकारों तथा अधिकारियों में विश्वास के पात्र बन सकेंगे ।

हमें यह भी देखना है कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच सम्पर्क तथा समन्वय कैसे स्थापित किया जा सकता है । यह भी निर्णय किया जा रहा है कि राज्यों के सम्पर्क अधिकारी दिल्ली में स्थित हों । इससे राज्यों तथा केन्द्र सरकार दोनों को लाभ होगा । हम केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों में और अधिक अनौपचारिकता लाना चाहते हैं । दोनों के दायित्वों को वित्तीय दृष्टि से बता दिया जायेगा । मेरे साम्यवादी मित्र इसको पसन्द नहीं करेंगे । यह परिवर्तन और सुधार हम मंत्रालय के कार्यवहन में लाना चाहते हैं और आशा करते हैं कि इन से लाभ होगा । हमने कृषि के बारे में खोज का कार्य भी आरम्भ किया है । देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह कार्य बहुत आवश्यक है । इस मंत्रालय का कार्यभार संभालते समय मैंने इस बारे में कार्य आरम्भ कराया था । इससे पहले भी इस सम्बन्ध में कार्य हो रहा था । मैंने कोई नई बात नहीं की है ।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के डायरेक्टर जनरल के पद पर एक वैज्ञानिक डा० पाल को नियुक्त किया जा रहा है । वह कल अपना कार्यभार सम्भाल लेंगे । हम अपनी अनुसन्धान संस्थाओं में परिवर्तन लाकर उनका नवीकरण करना चाहते हैं । हमारे देश में ऐसी बहुत सी संस्थायें हैं । फिर राज्यों में भी संस्थायें हैं । इन सब के कार्य में समन्वय होने से बहुत लाभ होगा और अच्छे परिणाम निकलेंगे । भारत सरकार विदेशियों पर भी निर्भर नहीं रहना चाहती । हमारे वैज्ञानिकों में बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं । हम कृषि के प्रत्येक क्षेत्र में अनुसन्धान करना चाहते हैं । हम इसके लिये अणुशक्ति को भी प्रयोग में ला रहे हैं । चौथी योजना में अनुसन्धान कार्य को विशेष महत्व दिया जायेगा । हमें प्रसन्नता है कि हमारे तरुण वैज्ञानिक इस कार्य में बहुत रुचि रखते हैं ।

[श्री चि० सुब्रह्मण्यम]

इन सभी का मुख्य अभिप्राय है खाद्यान्नों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करना । विदेशों से आयात पर निर्भर रहना ठीक नहीं है । पिछले महीने अमरीका में हड़ताल के कारण यहां पर गम्भीर स्थिति खड़ी हो गई थी । इसलिये हमें अपने देश का उत्पादन बढ़ाना होगा । हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं इसका मुझे वैज्ञानिकों ने भी आश्वासन दिलाया है । यह सम्भव है कि चतुर्थ योजना के अन्त तक हम आत्मनिर्भर हो जायें । हमने यह लक्ष्य निर्धारित किया है । इसकी पूर्ति के लिये हमें भरसक प्रयत्न करना है । हमें उर्वरक आदि अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करानी हैं । हमें अपने किसानों की मांगों को पूरा करना है । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि कृषि के लिये पर्याप्त धन नहीं दिया गया । इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यदि कृषि के साथ साथ सम्बद्ध उद्योगों को भी प्रोत्साहन देना है उर्वरक पर व्यय भी तो कृषि पर ही व्यय है । मैं देश के किसानों की सराहना किये बगैर नहीं रह सकता । उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है । उन्होंने उर्वरक का बहुत अच्छा प्रयोग किया है ।

मुझे बताया गया है कि कई राज्यों में इसका प्रयोग नहीं भी हुआ । इस सम्बन्ध में मेरा राज्य सरकारों से अनुरोध है कि वे इसका अधिक से अधिक प्रयोग करें ।

उर्वरक का सर्वोत्तम उपयोग तभी हो सकता है जब कि पानी काफी मात्रा में उपलब्ध हो । इसके लिये मध्यम तथा बड़ी बड़ी परियोजनायें तो कार्यान्वित हो रही हैं परन्तु इसमें समय लगेगा । इसी बीच हमें लघु सिंचाई व्यवस्था करनी है । नलकूप, तालाबों आदि के लिये पानी के स्तर, भूमि आदि का सर्वेक्षण कार्यक्रम जो हमने तैयार किया है वह काफी व्यापक होगा । छोटे पैमाने की सिंचाई योजनाओं का यही आधार है । हम इस वर्ष चौथी योजना के लिये सिंचाई कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रहे हैं ।

यद्यपि यह समझना कि पानी की ठीक उपलब्धि से उत्पादन में वृद्धि निश्चित सी है परन्तु फसल के अनुसार भूमि आदि की किस्म की भी पूरी जानकारी आवश्यक है तभी पानी से पूरा लाभ हो सकता है । उर्वरकों के प्रयोग के लिये पूरी जानकारी का होना आवश्यक है क्योंकि जहां उर्वरकों के प्रयोग से फसल बढ़ती है वहां कई प्रकार के कीटाणु और जड़ी बूटी रोग हो जाते हैं जिनके लिये रसायनों के प्रयोग का ज्ञान भी आवश्यक है । यह भी हमारे कार्यक्रम में शामिल है । बीज का महत्व भी कुछ कम नहीं है । परन्तु बीजों का उत्पादन तथा प्रयोग संतोषजनक नहीं है क्योंकि उनकी किस्म बढ़िया नहीं है । इसलिये हमें एक सघन बीज उत्पादन कार्यक्रम बनाना चाहिये । बीज विधेयक इसी उद्देश्य से लाया जा रहा है जिसके आधार पर बीजों के गुण आदि सुनिश्चित करके ही उन्हें वितरित किया जाएगा । केवल विधान बनाने से ही बीजों की किस्म में सुधार नहीं होगा इसीलिये बीज निगम की स्थापना की गई है । हम चाहते हैं कि बीज निगम क्षेत्रवार अथवा वस्तुवार भी बनाए जायें । गैर-सरकारी फर्मों को भी इसमें भाग लेने का निमंत्रण दिया गया है और उनकी प्रतिक्रिया उत्साहजनक है ।

विद्यमान किस्मों के खाद्यान्नों के उत्पादन में ही वृद्धि आवश्यक नहीं है क्योंकि इस प्रकार हम कुछ निश्चित मात्रा से अधिक उत्पादन नहीं कर सकते । इसलिये नई किस्में निकालनी पड़ेंगी । बीज उद्योग की प्रगति इसी दिशा में होनी अनिवार्य है ।

खेद है कि यद्यपि कृषक यह सभी कार्य करना चाहते हैं, परन्तु आर्थिक रूप से वे इस योग्य नहीं हैं । इसीलिये कृषि ऋण सहकारी समितियों द्वारा वितरित करने के कार्य का विकास करना

चाहते हैं परन्तु खेद है कि तीन, चार राज्यों को छोड़ कर सहकारी संस्थाएं ठीक से कार्य नहीं कर रही हैं। हम इस कार्य के लिये सहकारी संस्थाओं के विकास पर निर्भर नहीं रह सकते। इसलिये रक्षित बैंक मामले की जांच कर रहा है। जहां सहकारी आंदोलन निर्बल है वहां हम कृषि ऋण बैंक खोलने पर विचार कर रहे हैं।

केवल अनाज ही देश की खाद्य समस्या हल नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त सहायक खाद्य पदार्थों की भी आवश्यकता है। इसीलिये हम एक तीव्र गति वाला सब्जियां उगाने का कार्यक्रम आरम्भ कर रहे हैं विशेष रूप से दिल्ली में गत 3 अथवा 4 मास में इस क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। अन्य नगरवर्ती क्षेत्रों में भी हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार मछली पालन तथा मुर्गी पालन में भी विकास आवश्यक है। मुर्गी पालन ने गत तीन चार वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है परन्तु हमने इसे बनाए रखना है।

वितरण का पहलू भी कम महत्वपूर्ण नहीं है--विशेषकर अभाव के दिनों में। अभाव के दिनों में स्थिति काबू में रखने के लिये --हमने लम्बी अवधि की मूल्य नीति तथा वितरण कार्यक्रम तैयार किया है जिसकी मुख्य रूप-रेखा उत्पादक को न्यूनतम आर्थिक मूल्य निश्चित करना तथा यह देखना कि उपभोक्ता को अनुचित सीमा तक ऊंचा मूल्य न देना पड़े।

'बफर स्टाक' तथा खाद्य निगम इसीलिये बनाए गए हैं। 'बफर स्टाक' बन जाने पर क्षेत्रीय प्रबन्धों की पुनः जांच की जाएगी और आशा है कि यह प्रबन्ध शीघ्र ही हो जाएगा। इसके पश्चात् क्षेत्रीय नियंत्रण भी शीघ्र ही हटा लिया जाएगा।

केरल में तीन मास के लिये पर्याप्त खाद्य भण्डार बना दिया गया है और वर्षा ऋतु में होने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिये वहां खाद्य सलाहकार समिति इस मामले पर विचार करेगी। केरल की जनता को कोई कठिनाई नहीं होने दी जाएगी।

वितरण सम्बन्धी समस्याओं पर माननीय सदस्यों के विचारों तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् की उपसमिति और प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा और जो कार्यक्रम बनाए जा चुके हैं उन्हें अवश्य ही कार्यरूप दिया जाएगा। कृषि मूल्य आयोग जो 1 जनवरी से कार्य कर रहा है और जो प्रगतिशील कृषकों के सहयोग से उचित मूल्य निर्धारित करने के लिये बनाया गया है, ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : मैंने अपने भाषण में कहा कि उर्वरक से सम्बन्धित कर्मचारियों की उपेक्षा के कारण उपभोक्ता संस्थाएं तथा कृषकों को हजारों रुपये की हानि हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इस हानि को रोकने के लिये क्या कुछ हो रहा है ?

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : हम में से कई सदस्य कुछ प्रश्न पूछना चाहते थे।

उपाध्यक्ष महोदय : 3-30 बजे गैर-सरकारी कार्य आरम्भ होना है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : गत शुक्रवार को भी तो यही कार्य 3 मिनट देर से आरम्भ हुआ था।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा। श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : प्रश्नकाल के दौरान मंत्री महोदय ने हमें बताया था कि फस्ल का बीमा तथा पशु बीमा योजना अमुल डेरी (आनन्द) में लागू किया गया है। क्या सरकार किसानों के लाभ के लिये पशु बीमा की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम इस पर विचार करेंगे ।

श्री वारियर (त्रिचूर) : मंत्री महोदय ने अपने भाषण के आरम्भ में कहा कि हमारे उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिये और अन्त में कहा कि कठिनाई उत्पादन की है न कि वितरण की । क्या यह अनजाने में कहा गया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उत्पादन के बिना वितरण की समस्या हल नहीं हो सकती ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं कटौती प्रस्ताव पृथक पृथक सभा के समक्ष रखूं ?

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या 6 से 9 पृथक पृथक प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव सं० 6 से 9 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Cut Motion Nos. 6 to 9 were put and negatived.

श्री यशपाल सिंह : मैं अपने सभी कटौती प्रस्ताव पृथक रूप से प्रस्तुत करवाना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा । अब मैं कटौती प्रस्ताव सं० 36 से 45 सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव सं० 36 से 45 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Cut Motion Nos. 36 to 45 were put and negatived.

श्री सरजू पाण्डेय : (रसड़ा) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या 63 से 94 पृथक रूप से प्रस्तुत करवाना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कटौती प्रस्ताव सं० 63 से 94 सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव सं० 63 से 94 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Cut Motion Nos. 63 to 94 were put and negatived.

श्री शिवमूर्ति स्वामी : मैं अपने कटौती प्रस्ताव सं० 96 तथा 97 पृथक रूप से रखवाना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं कटौती प्रस्ताव सं० 96 तथा 97 सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव सं० 96 तथा 97 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Cut Motion Nos. 96 and 97 were put and negatived.

श्री राजाराम (कृष्णगिरि) : मैं कटौती प्रस्ताव सं० 113 पृथक रूप से प्रस्तुत करवाना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कटौती प्रस्ताव सं० 113 सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव सं० 113 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Cut Motion No. 113 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अन्य सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

अन्य सभी कटौती प्रस्ताव भ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

All the other Cut Motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

उपाध्य महोदय द्वारा खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिय रखी गई तथा स्वीकृत हुई :—

The following demands in respect of Ministry of Food and Agriculture were put out and adopted :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
42	खाद्य तथा कृषि मत्रालय .	80,38,000
43	कृषि . .	3,48,10,000
44	कृषि सम्बन्धी गवेषणा	5,43,33,000
45	पशु-पालन	1,07,44,000
46	वन	1,21,74,000
47	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय. .	29,37,12,000
128	वनों पर पूंजी परिव्यय .	1,57,000
129	अन्न की खरीद . . .	3,33,13,75,000
130	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय . .	70,29,77,000

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

पैंसठवां प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब गैर-सरकारी कार्य आरंभ करेगी ।

श्री हेम राज : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पैंसठवें प्रतिवेदन से, जो 28 अप्रैल, 1965 को सभा में उपस्थित किया गया था, सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पैंसठवें प्रतिवेदन से, जो 28 अप्रैल, 1965 को सभा में उपस्थित किया गया था, सहमत है" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

संविधान संशोधन विधेयक (आठवीं अनुसूची का संशोधन)

(आठवीं अनुसूची का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of eighth Schedule)

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने संबंधी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान को अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा 80 का हटाया जाना)

CODE OF CIVIL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL

(Ommission of section 80)

श्री नाथ पाई : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अग्रेतर संमोधन करने वाल विधेयक को पुरः स्थापित करने को अनुमति दी जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री नाथपाई : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

आयकर (संशोधन) विधेयक

(धारा ३६ का संशोधन)

INCOME-TAX (AMENDMENT) BILL

(Amendment of section 36)

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आय-कर अधिनियम, 1961 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आय-कर अधिनियम, 1961 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

संसद् सदस्यों को पेंशन की अदायगी विधेयक

PAYMENT OF PENSINS TO MEMBERS OF PARLIAMENT BILL

श्री हेमराज (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद सदस्यों को पेंशन की अदायगी का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद् सदस्यों को सेवा निवृत्ति के उपरान्त पेंशन की अदायगी का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adoped

श्री हेमराज : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुछेद ३५६ का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (Amendment) Bill

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

श्री हरि विष्णु कामत : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा 309 का हटाया जाना)

INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL

(Omission of section 309)

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दण्ड संहिता 1860 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दण्ड संहिता 1860 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

श्री हरि विष्णु कामत : मैं विधेयक को पुर : स्थापित करता हूं।

विधान परिषदों (गठन) विधेयक—जारी

LEGISLATIVE COUNCILS (COMPOSITION) BILL

उपाध्यक्ष महोदय : यह विधेयक जो श्री श्रीनारायण दास ने 15 अप्रैल, 1965 को सभा में पेश किया था, अब इस पर आगे विचार होगा। 2 घण्टे के निर्धारित समय में से एक मिनट का समय व्यय हो चुका है। अब श्री श्रीनारायण दास अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री श्री नारायण दास : पिछले दिन मैंने प्रस्ताव किया था कि यह विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाए।

इस संबंध में राज्यों के कुछ प्रतिनिधियों ने यह निश्चय किया था कि उनके राज्यों में विधान परिषद् हों जब कि कुछ दूसरे राज्यों के प्रतिनिधि ऐसा नहीं चाहते थे।

[**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** पीठासीन हुए
SHRI SURENDARNATH DWIVEDY *in the Chair*]

इस समय हमारे 9 राज्यों में विधान परिषद् हैं। उस समय यह भी निश्चय किया गया कि यदि कोई राज्य यह परिषद् न चाहे तो विधान सभा में एक संकल्प पारित करके उसे हटा सकती है। इसी प्रकार जिन राज्यों में यह परिषदें नहीं है वे भी संकल्प द्वारा इन्हें बना सकती हैं।

विधान परिषदों के गठन सदस्य-संख्या आदि पर भी काफी चर्चा हुई। वर्तमान उप के अनुसार विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या विधान सभा के सदस्यों की संख्या के चौथाई भाग से अधिक न होगी। संविधान में यह भी उपबन्ध है कि गठन विधि ऐसे ही रहेगी जब तक संसद् कानून द्वारा कोई अन्य उपबन्ध न करे।

मेरे इस संशोधन की आवश्यकता स्थानीय निकायों के ढांचे में परिवर्तन के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न हुई है।

अब समय आ गया है कि विधान परिषदों के गठन पर विचार किया जाये। इस समय विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व के चार वर्ग हैं। एक-तिहाई सदस्य विधान सभाओं से चुने जाते हैं। जब यह विधेयक प्रस्तुत किया गया था तो कुछ माननीय सदस्यों ने यह राय व्यक्त की है कि राज्य स्तर पर परिषदों की कोई आवश्यकता नहीं है। यह भी प्रश्न उठाया गया है कि केन्द्र में भी द्वितीय सदन की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि राज्य सभा एक प्रकार से विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए उसकी आवश्यकता हो सकती है लेकिन राज्यों में प्रतिनिधित्व व्यावसायिक प्रतिनिधित्व पर आधारित होना चाहिये।

व्यक्तिगत रूप से मैं यह समझता हूं कि विधान परिषदों की कोई आवश्यकता नहीं है परन्तु यदि यह मान लिया जाये कि परिषदें होनी चाहियें तो उनके गठन में परिवर्तन करना आवश्यक है।

इस समय प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को इन परिषदों में प्रतिनिधित्व नहीं मिला हुआ है। जब माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को प्रतिनिधित्व दिया गया है तो प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये।

वर्तमान लोकतंत्रात्मक ढांचे के अन्तर्गत पंचायतें, पंचायत समितियां और ज़िला परिषदें हैं। पंचायत समितियों तथा ज़िला परिषदों को कुछ राज्यों में प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया हो गया परन्तु अन्य राज्यों में उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। इसलिए मैं यह सुझाव देता हूं कि राज्यों में परिषदों के कुल सदस्यों का लगभग छटा भाग ज़िला परिषदों और खंड समितियों द्वारा निर्वाचित किया जाना चाहिये।

देश में बहुत बड़ी संख्या में सहकारी समितियों का गठन किया गया है और आर्थिक कामों में वे महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये और विधान बनाते समय उनकी सुनवाई होनी चाहिये। इसलिए इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि सहकारी समितियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाये।

जब पिछली बार विधेयक पर विचार किया जा रहा था तो एक चक रह गई थी और अब मैंने व्यवस्था की है कि श्रमिक संगठनों को भी कोई स्थान दिया जाये। वाणिज्य, उद्योक तथा व्यापार को प्रतिनिधित्व देने का भी उपबन्ध किया गया है।

यदि राज्य स्तर पर द्वितीय सदनों का कोई स्थान है तो मेरे विचार में उनका आधार व्यावसायिक प्रतिनिधित्व पर होना चाहिये। आजकल एक-तिहाई सदस्यों के विधान सभाओं द्वारा चुने जाने का जो उपबन्ध है उसे बिल्कुल समाप्त कर दिया जाना

[श्री नारायण दास]

चाहिये और कुछ अन्य हितों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये । जहां तक सम्भव हो, हमें विधान परिषदों का गठन व्यापक बनाना चाहिये । यदि इसे व्यावहारिक रूप देना सम्भव न हो तो राज्य स्तर पर विधान परिषदों की आवश्यकता नहीं है ।

यह विधेयक लोक राय जानने के लिए परिचालित किया गया था और कई राये प्राप्त हुई हैं जिन्हें सभा-पटल पर रख दिया गया है, इससे सम्बन्धित लोगों से प्राप्त बहुमत इस पक्ष में है कि परिषदों का आधार व्यापक होना चाहिये ।

यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपे जाने के लिए है और फिर प्रवर समिति द्वारा आवश्यक परिवर्तन किये जा सकते हैं । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं और मेरा विचार है कि सभा इसका समर्थन करेगी ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री यशपाल सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राज्यों की विधान परिषदों के गठन तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को 30 सदस्यों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिनमें 20 सदस्य इस सभा से, अर्थात :

(1) श्री रामचन्द्र विट्ठल बड़े
(2) श्री चि० र० बासप्पा
(3) श्री बसन्त कुमार दास
(4) श्री श्रीनारायण दास
(5) श्री गौरी शंकर कक्कड़
(6) श्री कृ० ल० मोरे
(7) श्री शंकरराव शान्ताराम मोरे
(8) श्री मुजफ्फर हुसैन
(9) श्री वै० च० पाराशर
(10) श्री जगन्नाथ राव
(11) श्री स० चं० सामन्त
(12) डा० सरोजिनी महिषी
(13) श्री शिव नारायण
(14) श्री कृष्णपाल सिंह
(15) श्रीमती रामदुलारी सिन्हा
(16) श्री सोनावने
(17) श्री विश्राम प्रसाद
(18) श्री राधेलाल व्यास
(19) श्री कृ० क० वारियर ; और

(20) श्री यशपाल सिंह

तथा 10 सदस्य राज्य सभा से हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति संयुक्त सभा के कुल सदस्यों की एक-तिहाई होगी;

कि समिति अगले स्तर के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक इस सभा में अपना प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में इस सभा के संसदीय समितियों सम्बन्धी प्रक्रिया नियम उन परिवर्तनों तथा संशोधनों सहित लागू होंगे जिन का अध्यक्ष आदेश दें; तथा

कि यह सभा राज्य-सभा को सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और इस सभा को संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले दस सदस्यों के नामों की सूचना दे।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव तथा संशोधन सभा के सामने हैं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मैं संक्षेप से इस विधेयक में निहित उद्देश्य और उसे प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । परन्तु मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सहकारी समितियों को इस प्रकार प्रतिनिधित्व दिया जाये । वे अभी तक अपने कार्य में सफल नहीं हुई हैं ।

जो विधेयक हमारे सामने है उसमें कुछ पहलूओं में विधान परिषदों के अधिक उचित तथा संतुलित गठन का प्रस्ताव है । इस विधेयक में राजनैतिक संस्थाओं में अनेकवादी तथा व्यवसाय पर आधारित प्रतिनिधित्व की मांग की गई है । सिद्धान्त के रूप में हमें इसका समर्थन करना चाहिये ।

उन कार्यों के बारे में अध्ययन करना चाहिये जो विधान परिषदों ने विभिन्न राज्यों में किये हैं और यह भी देखना चाहिये कि क्या अब भी वे विधान कार्य के और जनता के विचारों की अभिव्यक्ति के लाभदायक अंग हैं ।

[**श्री सोनावने** पीठासीन हुए
SHRI SONAVANE *in the Chair*]

हमारे लिये यह आवश्यक है कि इस पर विचार करें । यदि उचित छानबीन द्वारा यह मालूम हो कि यह परिषदें कोई लाभदायक कार्य नहीं कर रही हैं तो उन्हें समाप्त कर देना चाहिये । यदि वे लाभदायक सिद्ध हों तो उन्हें उन राज्यों में स्थापित किया जाना चाहिये जिनमें वे इस समय नहीं हैं । मेरे विचार में सरकार ने इस मामले में बहुत कम सोचा है । मैं यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री बतायें कि विभिन्न राज्यों में द्वितीय सदन के कार्यों का पता लगाने के लिए सरकार के विचाराधीन कौन से प्रस्ताव हैं ?

श्री ओझा (सुरेन्द्रनगर) : इस देश में द्वितीय सदन को बनाये रखने के सम्बन्ध में दो विचारधारायें हैं । मेरे विचार में द्वितीय सदन न केवल राज्यों में होने चाहियें बल्कि हमें केन्द्र

[श्री ओझा]

में भी द्वितीय सदन को बनाये रखना चाहिये । मेरे विचार में देश में कुछ ऐसे सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक हित हैं जो प्रत्यक्ष चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हैं । जैसा कि प्रस्तावक महोदय ने बताया है, स्वतंत्रता के पश्चात् हमारे सामाजिक तथा आर्थिक जीवन के ढांचे में परिवर्तन हो गया है और नये हित पैदा हो गये हैं । इस कारण यह आवश्यक हो गया है कि हम विधान परिषदों के गठन के मामले पर पुनः विचार करें और उन हितों को प्रतिनिधित्व दें । ग्राम पंचायतों, सहकारी समितियों तथा प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को प्रतिनिधित्व देना ठीक नहीं है । यह अनिवार्य है कि उन्हें सक्रिय राजनीति से परे रखा जाये । उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है और ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिये जिससे उनका ध्यान अन्य बातों की ओर जाये ।

प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक समूचे देश में तथा प्रत्येक गांव में हैं और उनका उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है । मेरे विचार में उन्हें राजनीतिक अखाड़े में लाना उचित नहीं होगा ।

यह सुझाव दिया गया है कि जहां विधान परिषदें ठीक काम कर रही हैं, वहां उन्हें जारी रखा जाये और जहां वह ठीक काम नहीं कर रही हैं, वहां उन्हें समाप्त कर दिया जाये । मेरा विचार ऐसा नहीं है । धीरे धीरे विधान परिषदों में भी सुधार हो जायेगा । हमें इस प्रक्रिया को धैर्य से देखना चाहिये । इसलिए, मेरा विचार यह है कि केवल इस कारण से कि कुछ राज्यों में विधान परिषदें ठीक से कार्य नहीं कर रही हैं, उन्हें समाप्त नहीं कर दिया जाना चाहिये । धीरे धीरे उन में परिपक्वता आ जायेगी । मेरा तो विचार यह है कि प्रत्येक राज्य में एक विधान परिषद् होनी चाहिये । उन राज्यों में भी जिन में विधान परिषदें नहीं हैं, संसद् को यह निदेश देना चाहिये कि विधान परिषदें स्थापित की जायें ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । मुझे आशा है कि सरकार इस मामले पर पुनः विचार करेगी और इस विधेयक के मुख्य उद्देश्य को स्वीकार करेगी ।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Mr. Chairman, I Congratulate Shri Shree Narayan Das for bringing forward this bill. The Members of Co-operative Unions should be represented in the Councils Primary school teachers should be represented in the Councils. In India primary schools teachers have no respect. They must be taken in the legislative councils.

The economy of our country is based on cooperatives. Therefore, the Cooperatives must be represented in the Councils. Elections should not be held on the basis of party politics. Those who have served as I.C.S. & I. A.S. officers and those who have worked as judges should not be taken in the legislative councils for if they have hopes of nomination they will not be able to administer justice . In no other country do the M.L.A's& M.P,s interfere in judiciary.

Six crore persons of nomadic tribes are not represented any where. This bill has been brought forward because the old system has become use-less. It is necessary that primary school teachers and cooperative societies should be represented in the secord Chamber.

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur) : The bill brought forward by Shri Shree Narain Das is incomplete. The provision sought to be made for egislative councils should also be made for Rajya Sabha.

Shri Shree Naraian Das has sought to remove some of the shortcomings of the Constitution. One-third of the Members of Legislative councils are elected from the Legislative Assemblies. Therefore, the representatives of the Majority party in the Legislative Assembly are elected to the Legislative Councils.

Rajya Sabha and Legislative Councils should be constituted independently. so that those persons who are not affiliated to any party should be elected to those Houses and they should be able to express their ideas independently.

Legislative Councils or Rajya Sabha have not been given financial powers. They have been given equal powers to enact the laws.

> "उप-धारा (2) के अन्तर्गत खंड (1) से (9) के अधीन जिन सदस्यों का निर्वाचन होगा वह विहित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से होगा तथा उक्त खंडों के अधीन निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होगा।"

Teachers, graduates, Co-operative societies have been included in this category and they have been given proportional representation. But it would have been better had there been territorial constituencies as for Lok Sabha. By making separate categories there is a likelihood of overlapping.

We have observed that sometimes in legislative Councils six persons are represented from one district alone, while few other parts remain completely unrepresented. If the constituencies are marked according to area, then more and more local persons will be represented. There are 34 members from U. P. for Rajya Sabha and there are 52 district in U. P. i.e. for 1½ districts, there is one member. But out of these 34 members, 20 belong to Kanpur, Allahabad, Agra, Meerut etc. As in the case of Lok Sabha and Vidhan only the representatives of the public should come to Rajya Sabha and Vidhan Parishads nobody should be thrust there. I would request the Government to let the Bill be admitted and refer it to a Select Committee. The Government shouldn't submit to pressure but should see whether thing is right or not. The Government must support a right idea even of it comes from the opposition parties.

श्री हेडा (निज़ामाबाद) : यह विधेयक अप्रत्यक्ष निर्वाचनों के सम्बन्ध में है। जिस समय संविधान बनाया गया था उस समय से अब तक उसमें काफी प्रगति हुई है और इससे जनता में काफी जागृति हुई है। अतः इस बात पर हमें पुनः विचार करना है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन होने चाहियें कि नहीं। किसी भी देश में लोकतंत्र के विकास का अनुमान प्रत्यक्ष निर्वाचनों की मात्रा से लगाया जा सकता है। हमारे देश में तीन आमचुनाव सफलतापूर्वक हो चुके हैं। अतः हमें केन्द्र और राज्यों के दोनों सदनों के लिये प्रत्यक्ष निर्वाचनों को प्रोत्साहन देना चाहिये।

मेरा सुझाव यह है कि परिषदों के लिये आधे सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिये और आधे सदस्यों को उस क्षेत्र के विभिन्न हितों का प्रतिनिधि होना चाहिये। अमरीका में भी जितने क्षेत्र से सीनेट के लिये सदस्य चुना जाता है वह उस क्षेत्र से बहुत अधिक है जिससे कांग्रेस के लिये एक सदस्य चुना जाता है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में विधान परिषद् के लिये 1½ ज़िले से एक सदस्य चुना जाता है। जहां तक हितों के प्रतिनिधि के सम्बन्ध हैं यह हित काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक होने चाहियें। अंग्रेजों के काल में अध्यापक और वकील

[श्री हेडा]

कुछ हितों के प्रतिनिधि थे। मैं वकील और स्नातक भी, परन्तु मेरा कोई हित नहीं है। मैं अध्यापकों के लिये विशेष प्रतिनिधित्व का विरोध करता हूं। जब शिक्षा का इतना प्रसार नहीं हुआ था तो अध्यापक का स्थान गांव में बहुत ऊंचा था, परन्तु अब ग्राम पंचों का स्थान भी उतना ऊंचा है जितना कि किसी और का। अतः अध्यापकों के हितों के लिये कोई विशेष प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिये।

यदि विधान परिषदों के लिये आधे सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव के बारे में मेरा सुझाव सरकार को स्वीकार नहीं तो मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। ग्राम पंचायतों और अन्य स्थानीय निकायों के लिये विधान परिषदों में और अधिक स्थान होने चाहियें।

श्री कृ० ल० मोरे (हतकंगले) : मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि श्री श्रीनारायण दास ने प्रवर समिति में मेरा नाम भी शामिल कर दिया है और मुझे वहां इस बारे में कहने के लिये काफी अवसर मिल जायेगा। माननीय सदस्य ने विभिन्न हितों के प्रतिनिधित्व के उपबन्ध को अच्छे अभिप्राय से रखा है। प्राथमिक पाठशालाओं का हमारे राष्ट्र के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। परन्तु उनके लिये पंचायतों जैसे छोटे संगठनों में स्थान पाना भी बहुत कठिन है। और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि विधान सभाओं और परिषदों में उनके लिये स्थान पाना कितना कठिन होगा और राज्य सभा तथा लोक सभा में स्थान पाना उससे भी कठिन। अतः इस विधेयक में प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों के उपेक्षित वर्ग को जो प्रतिनिधित्व दिया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

परन्तु अप्रत्यक्ष नामनिर्देशन के बारे में जो उन्होंने कहा है उसका मैं विरोध करता हूं क्योंकि इस प्रकार चुने जाना एक प्रकार से गुप्त रूप से आने के समान है। एक वास्तविक लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को नामनिर्देशन का अधिकार नहीं होना चाहिये।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का ऐसा वर्ग है जो वास्तव में उपेक्षित है और जिसके लिये कहीं भी प्रतिनिधित्व नहीं है। उनके लिये रक्षण अभी जारी रहना चाहिये। अतः प्रवर समिति से मेरा अनुरोध है कि पिछड़ी हुई जातियों को इन संगठनों में स्थान देने के लिये रक्षण के प्रश्न पर विशेष रूप से विचार करे। और यह शिकायत भी सुनने में आई है कि ज़िला परिषदों और पंचायतों में भी इन उपेक्षित जातियों को स्थान नहीं मिलता। अतः मैं श्री श्रीनारायण दास से अनुरोध करूंगा कि वह उपेक्षित जातियों की ओर अधिक ध्यान दें जिससे देश में वास्तविक लोकतंत्र आ सके।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर): जब संविधान बन रहा था तो किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि विभिन्न निकायों को प्रतिनिधित्व देने के लिये परिषद् जैसी कोई संस्था बनाई जायेगी। विकेन्द्रीकरण करने के साथ साथ यह आवश्यक हो गया था कि जिला और ग्राम स्तर पर जो निकाय हैं उनको विधान परिषद् और राज्य सभा में स्थान मिले।

हमने राज्य सभा तथा परिषदों के लिये अप्रत्यक्ष निर्वाचनों के बुरे परिणाम भी देखे हैं। केन्द्र और राज्यों में एक ही दल की सत्ता होने के कारण अप्रत्यक्ष चुनावों

के बुरे प्रभाव इस सभा में भी पड़े हैं । कुछ ऐसे भी मामले हैं जहां लोगों ने विधान परिषद् तथा राज्य सभा का सदस्य बनने के लिये लोगों ने बहुत सा धन घूस दिया । इस विधेयक में इस पहलू पर भी ध्यान दिया गया है इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

मैं नामनिर्देशन के सिद्धान्त के बिलकुल विरुद्ध हूं । यद्यपि संविधान में यह दिया हुआ है कि जिन लोगों के किसी विषय के बारे में विशेष ज्ञान है उनको नामनिर्देशित किया जायेगा, फिर भी सत्तारूढ़ दल ने परिषद् के लिये ऐसे व्यक्ति नामनिर्देशित किये हैं जिनको किसी विषय के बारे में कोई विशेष ज्ञान नहीं है । कई बार राजनैतिक क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति असफल रहता है, और कोई बड़े नेता उस पर प्रसन्न होते हैं तो उसे परिषद् के लिये नामनिर्देशित कर दिया जाता है ।

अध्यापकों को प्रतिनिधित्व देने के बारे में सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए । यदि सरकार चाहती है कि शिक्षा संस्थाओं को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए तो मैं इस बात से सहमत हूं । किन्तु यह बात सत्तारूढ़ दल के सम्बन्ध में भी लागू होनी चाहिए क्योंकि सत्तारूढ़ दल अपने स्वार्थ के लिए अध्यापकों को प्रतिनिधित्व देने के लिये तैयार है । इस प्रकार का भेदभाव रखने का कोई औचित्य नहीं है । यदि सरकार उन्हें प्रतिनिधित्व देना ही चाहती है तो माध्यमिक तथा प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए ।

विधान परिषदों तथा राज्य सभा के लिए क्षत्रीय आधार पर प्रतिनिधि चुने जाने चाहिए ताकि किसी को यह शिकायत न रहे कि किसी क्षेत्र विशेष के साथ पक्षपात किया गया है । राज्य सभा तथा विधान परिषदों के लिए चुनाव के बारे में सन्देह को दूर करने के लिए एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : लोकतंत्रीय सरकार चलाने के लिए लोकतंत्रात्मक संस्थाओं का क्रियाशील आधार पर गठन किया जाना चाहिए, अर्थात्, विधान परिषदों में व्यवसायों से भी कुछ प्रतिनिधि लिए जाने चाहिएं ताकि देश अधिक योग्य व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग कर सके । संविधान बनाते समय क्रियाशील लोकतंत्र बनाने के लिए विचार व्यक्त किया गया था । यह विधेयक उसी को कार्यरूप दे कर व्यवसायिक आधार प्रतिनिधित्व का उपबन्ध करता है जो एक सराहनीय कदम है । सरकार को इसे स्वीकार कर लेना चाहिए । यदि यह विधेयक पारित नहीं किया गया तो यह देश के साथ अन्याय होगा क्योंकि अनेक ऐसे योग्य व्यक्तियों की सेवाओं का देश उपयोग नहीं कर सकेगा जो चुनावों पर अधिक व्यय होने के कारण चुनाव लड़ने में असमर्थ हैं ।

सरकार ने देश में अध्यापन व्यवसाय की सदा अवहेलना की है । एक दो राज्यों को छोड़ कर सभी राज्यों में अध्यापकों की दशा शोचनीय है । उनकी शिकायतों को सुनने वाला कोई नहीं है । अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि प्राइमरी तथा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को इन परिषदों में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए ताकि वे अपनी मांगें सरकार के सामने अच्छे ढंग से रख सकें ।

[श्री दी० चं० शर्मा]

यह सराहनीय बात है कि हमारे देश की महिलाएं भी अब जनता का प्रतिनिधित्व करने लगी हैं किन्तु उनकी संख्या बहुत कम है । उन्हें पर्याप्त संख्या में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये । भूतपूर्व सैनिकों तथा कर्मचारी संघों को भी इन परिषदों में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए ।

श्री रंगा (चित्तूर) : प्रस्तुत विधेयक में अन्तर्निहित सिद्धान्त अत्यन्त सराहनीय है । सरकार को क्रियाशील आधार पर व्यवसायिक प्रतिनिधित्व देने के सिद्धान्त को मान लेना चाहिए । यदि सरकार इस विधेयक को स्वीकार नहीं भी करना चाहती है तो इन सिद्धान्तों को कार्यरूप देने के लिए और अधिक व्यापक विधेयक सभा में लाया जाना चाहिए ।

इस समय प्रत्येक व्यक्ति चुनावों पर बहुत अधिक व्यय होने के कारण चुनाव नहीं लड़ सकता है । इसका परिणाम यह होता है कि देश अनेक योग्य तथा प्रतिभावान व्यक्तियों की सेवाओं से वंचित रह जाता है । अतः क्रियाशील प्रजातंत्र को चलाने के लिए हमारी जनता के विभिन्न वर्गों को व्यवसाय के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए । मैं समझता हूं कि केवल सेवा निवृत्त लोगों को ही--अध्यापकों, डाक्टरों, महिलाओं तथा अन्य व्यवसाय के व्यक्तियों को--प्रतिनिधित्व दिया जाये क्योंकि सेवा में रहने वाले व्यक्तियों पर नियोजकों का प्रभाव रहता है जिससे निष्पक्ष रूप से निर्वाचन नहीं हो सकता है । चुनाव के उम्मीदवार के लिए यह शर्त होनी चाहिए कि वह सेवा-निवृत्त व्यक्ति होना चाहिए ।

कुछ व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, कुछ व्यक्तियों के नामनिर्देशन करने के राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के अधिकार पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किन्तु सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह नामनिर्देशित किए जाने वाले व्यक्तियों द्वारा की गई व्यावसायिक सेवाओं को पहले ध्यान में रखे ।

इन निर्वाचनों में क्षेत्रीय भेदभाव का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चुनाव में फिजूलखर्ची नहीं होनी चाहिए ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री श्याम लाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यापकों को निर्वाचन क्षेत्र में घसीट कर राजनीति में लाना उचित नहीं होगा । सरकार को इस सम्बन्ध में सावधानी पूर्वक सोच विचार कर काम लेना चाहिए । अध्यापकों को चुनाव द्वारा प्रतिनिधित्व देने की अपेक्षा नामनिर्देशित कर के प्रतिनिधित्व देना अधिक अच्छा होगा ।

कुछ व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रतिनिधित्व देना भी संविधान के प्रतिकूल होगा क्योंकि इससे भेदभाव पैदा हो जायेगा । देश के जिन लोगों की सेवा की देश को आवश्यकता है और जिन्हें साधारणतया प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता है उन्हें सरकार को नामनिर्देशित करना चाहिए ताकि उन की सेवाओं का उपयोग किया जा सके ।

मैं विधेयक में अन्तर्निहित सिद्धान्तों से पूर्णतः सहमत हूं किन्तु इस में कुछ कमियां हैं जिन्हें दूर करने के लिए सरकार को एक व्यापक विधेयक सभा में लाना चाहिए ।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : Mr. Deputy Speaker it necessary that representation is given to agriculturists, labourers, teachers and other organised associations in the legislatures. But it is also necessary that an age limt should be provided for such representation so that they may able to do some active and real work.

श्री बासुमतारी (गोलपाड़ा) : सभा में गणपूर्ति नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बज रही है । सभा में फिर भी गणपूर्ति नहीं है अतः सभा स्थगित होती है ।

इसके पश्चात लोक सभा शनिवार, 1 मई 1965/11 वैशाख, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, May, 1, 1965/ Vaisakha, 11, 1887 (Saka).

GMGIPND—LSIII—717(Ai) LS—27-7-65—600.